

₹ 15

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

क्रान्ति

मार्च 2012

★ हमारा वास्तविक प्रेम-पात्र कौन ?
–मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां

★ परलोक की वास्तविकता
–डॉ॰ मुहम्मद अहमद

★ इस्लाम में ही वास्तविक शांति
–यूसुफ़ इस्लाम

★ पूर्वाग्रह छोड़ें सत्य अपनाएं
–मुहम्मद सलीम इंजीनियर

M.Khan : 9890227700

Khan & Sons

Hindustan

Group

Manufactures of
: Crumb Rubber &

Dealers
: New/Old M.S. Angles, Channels, Plates, Pipes etc
: Building Material, Furnitures, M.S./Plastic Barrels.
: Industrial Scrap Materials & Empty Plastic/Gunny Bags

Add:
N.H.17 Highway, Karaswada Mapusa - GOA
Akbar Khan : 9822497700, Anwar Khan : 9822427700
Office : 2257900, Telefax :2257793, Res.: 2257700

Our Firms

M/s. Hindustan Sales Corporation
38/12, Khorlim, Mapusa, Goa

M/s. Hindustan Rubber Industries
Plot No.62 Canacona IDC, Goa

M/s. Hindustan Sales Syndicate
HH-17, Karaswada, Mapusa, Goa.

M/s. Hindustan Containers
S/2, IDC, Colvale, Bardez, Goa

M/s. Hindustan weight Bridge
NH-17, Karaswada, Mapusa Goa.

M/s. Hindustan Gunny Traders
Narasaraj Pet, Davangere (Karnataka)

Email: hindustansales@gmail.com

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 21 अंक 9 मार्च 2012

जो लोग अपने रब की अवज्ञा से बचते थे उन्हें गिरोह के गिरोह जन्नत की ओर ले जाया जाएगा, यहां तक कि जब वे वहां पहुंचेंगे, और उसके द्वार पहले ही खोले जा चुके होंगे तो उनके प्रहरी तुमसे कहेंगे, सलाम हो तुम पर बहुत अच्छे रहे, दाख़िल हो जाओ इसमें सदा के लिए । –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी–314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी–314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

फोन–(011)–26949430

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 15/- विशेषांक रु० 25/-

वार्षिक रु० 160/-, दो वर्ष 300/-, पांच वर्ष 700/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–60 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–25 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'मासिक कान्ति'** के नाम से बनवाएं

ग़ज़ल

पा सकोगे कैसे इनसे पार तुम
मत करो इच्छाओं का विस्तार तुम

आस, उदासी, वेदना, सुख संग लिए
जी रहे हो, जैसे हो बाज़ार तुम

रिश्ते-नाते किस तरह खंडित हुए
फिर भी कहलाये हो ज़िम्मेदार तुम

ओढ़कर चिंता न घर आया_ करो
वर्ना बन जाओगे इक अख़बार तुम

नाव मर्यादा की है मझधार में
बन सको गर तो बनो पतवार तुम

जिसको है जिस राह जाना, जाएगा
कर रहे हो कोशिशें बेकार तुम

मत जताओ अपने एहसानों का हक़
कब किसी का बन सके आधार तुम

मुल्क है बदशक्ल ये तन्क़ीद क्यों
काश ! इसे देते सही आकार तुम

धज्जियां उड़ती रहीं इन्साफ़ की
और लगाते ही रहे दरबार तुम

जानता हूं ख़ूब अपनी ख़ामियां
'मर्हबा' बोलो न बारम्बार तुम

बन गये 'दरवेश', पर ये तो कहो
क्या किसी का कर सके उपकार तुम।

● 'दरवेश' भारती

(प्रकाश्य ग़ज़ल-संग्रह 'रोशनी की सफ़र' से)



कहां क्या है ?

ग़ज़ल	–'दरवेश' भारती	3
कुरआन ज्योति		5
छिपी बातों की हिफ़ाज़त (हदीस मंजरी)		6
अभिव्यक्ति का नहीं, समदृष्टि का सवाल (संपादकीय)		7
'जीव हत्या' से कोई बच नहीं सकता (आपके पत्र)		9
हमारा वास्तविक प्रेम-पात्र कौन ?	–मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां	13
सद्भावना के प्रतीक मौलाना मुहम्मद अली जौहर	–तालिब रामपुरी	15
पूर्वाग्रह छोड़कर सत्य तक पहुंचने की राह सुगम बनाएं (संगोष्ठी)		17
वास्तविक सुख-शांति सिर्फ़ इस्लाम में (आपबीती)	–यूसुफ़ इस्लाम	19
आयोडीन युक्त नमक : स्वास्थ्य के लिए घातक (स्वास्थ्य चर्चा)	–डॉ॰ सुशील गुप्ता	25
परलोक की वास्तविकता	–डॉ॰ मुहम्मद अहमद	26-27
हज़रत अफ़रा बिन्त उबैद रज़ि॰ (नेकी के सिपाही)	–तालिब हाशमी	33
भास्कर बहादुर (कहानी)	–आशा शैली 'हिमाचली'	35
इस्लाम में पवित्र कमाई का महत्व	–लाला काशीराम चावला	39
भुखमरी तो मिटानी ही होगी मगर इस तरह नहीं	–प्रो॰ ज्यां द्रेज	41
व्यथा ही इनका जीवन !	–विद्या प्रकाश	43
सूचना का अधिकार : कितनी हक़ीक़त कितना अफ़साना	–रूपा मंगलानी	45
उर्दू एक सलीस ज़ुबान	–डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी	47
अंधेरी राह और मैं (कविता)	–डॉ॰ रामनिवास 'मानव'	48
आज्ञाकारी कविताएं (कविता)	–मुनाज़िर हक़	48
क्षणिकाएं	–डॉ॰ शरद नारायण खरे	48
तितलियों का अनोखा संसार (बालवीथी)	–विद्या प्रकाश	49
बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करें	–मिन कुमार रावल	50

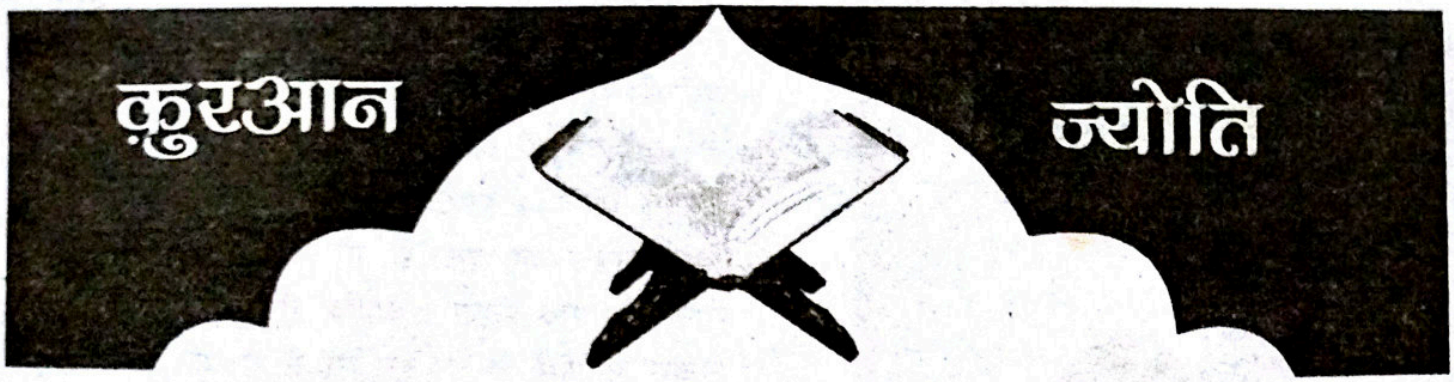

(48) तनिक ध्यान करो उस समय का जबकि शैतान ने उन लोगों की करतूतें उनकी दृष्टि में प्रिय बनाकर दिखायी थीं और उनसे कहा था कि आज कोई तुम पर विजयी नहीं हो सकता और यह कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मगर जब दोनों गिरोहों का आमना-सामना हुआ तो वह उलटे पांव फिर गया और कहने लगा कि मेरा-तुम्हारा साथ नहीं है। मैं वह कुछ देख रहा हूं जो तुम लोग नहीं देखते। मुझे अल्लाह से डर लगता है, और अल्लाह बड़ी कड़ी सज़ा देने वाला है। (49) जबकि मुनाफ़िक़ (कपटाचारी) और वे सब लोग जिनके दिलों को रोग लगा हुआ है, कह रहे थे कि इन लोगों को तो इनके दीन (धर्म) ने सनक में डाल रखा है[39], हालांकि अगर कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो निश्चय ही अल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और तत्वदर्शी है। (50, 51) काश, तुम उस हालत को देख सकते जबकि फ़रिश्ते इन्कार करने वाले मक़तूलों (वधितों) के प्राण निकाल रहे थे। वे उनके चेहरों और उनके कूल्हों पर चोटें लगाते जाते थे, और कहते जाते थे, "लो, अब जलने की सज़ा भुगतो। यह वह बदला है जिसका सामान तुम्हारे अपने हाथों ने पेशगी जुटा रखा था, वरना अल्लाह तो अपने बन्दों पर अत्याचार करने वाला नहीं है।" (52) यह मामला उनके साथ उसी तरह पेश आया जिस तरह फ़िरऔनियों और उनसे पहले के दूसरे लोगों के साथ पेश आता रहा है कि उन्होंने अल्लाह की आयतों को मानने से इन्कार किया और अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया। अल्लाह शक्तिवान और कठोर दंड देने वाला है। (53) यह अल्लाह के उस नियम के अनुसार हुआ कि वह किसी नेमत को, जो उसने किसी क़ौम को प्रदान की हो, उस समय तक नहीं बदलता जब तक कि वह क़ौम स्वयं अपनी रीति-नीति को नहीं बदल देती।[40] अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। (54) फ़िरऔनियों और उनसे पहले की क़ौमों के साथ जो कुछ पेश आया, वह इसी नियम के अनुसार था। उन्होंने अपने रब की आयतों को झुठलाया, तब हमने उनके गुनाहों के बदले में उन्हें हलाक किया और फ़िरऔनियों को डुबा दिया। ये सब ज़ालिम लोग थे।

(55) निश्चय ही अल्लाह के नज़दीक धरती पर चलने वाले प्राणियों में सबसे बुरे वे लोग हैं जिन्होंने सत्य को मानने से इन्कार कर दिया, फिर किसी तरह वे उसे स्वीकार करने पर तैयार नहीं हैं।

–क़ुरआन, 8 : 48,55

---

39. यानी, मदीना के मुनाफ़िक़ और वे सब लोग जो दुनियापरस्ती और अल्लाह से ग़फ़लत के रोग के शिकार थे, यह देखकर कि मुसलमानों का मुट्ठी-भर निहत्था समुदाय क़ुरैश जैसी प्रबल शक्ति से टकराने के लिए जा रहा है, आपस में कहते थे कि ये लोग अपने धार्मिक उन्माद में दीवाने हो गये हैं, इस लड़ाई में उनका विनाश निश्चित है, मगर इस नबी ने कुछ ऐसा जादू उन पर कर रखा है कि उनकी बुद्धि मारी गयी है और आंखों देखे ये मौत के मुंह में चले जा रहे हैं।

40. अर्थात् जब तक कोई क़ौम अपने आपको पूरी तरह अल्लाह की नेमत के अपात्र नहीं बना लेती, अल्लाह उससे अपनी नेमत नहीं छीना करता।

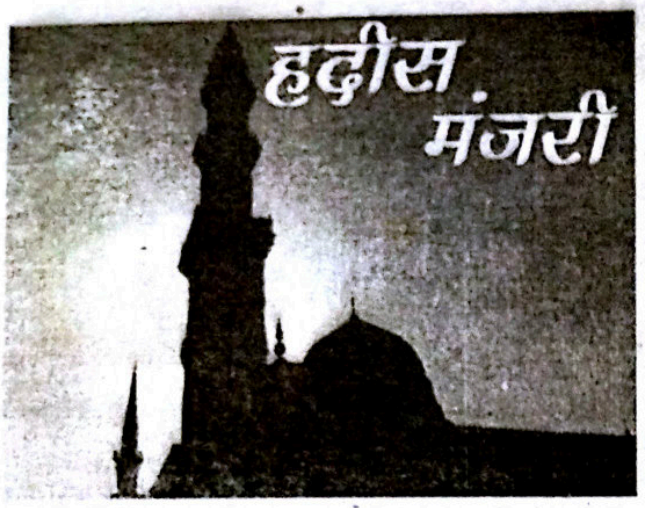

छिपी बातों की हिफ़ाज़त

● हज़रत आइशा (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहती हैं कि नबी (सल्ल॰) की पत्नियां आपके पास मौजूद थीं कि हज़रत फ़ातिमा (रज़ि॰) चलती हुई आयीं । उनकी चाल अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की चाल जैसी ही थी । जब आपने उन्हें देखा, तो कहा : ''स्वागत, मेरी बेटी !'' फिर आपने उन्हें अपनी दाहिनी ओर या अपनी बायीं ओर बैठाया, फिर आपने उनसे चुपके से कुछ कहा, तो वे ज़ोर से रोने लगीं । जब आपने उनकी विकलता देखी, तो दोबारा उनसे कुछ चुपके से कहा, तो वे हंसने लगीं । इस पर मैंने उनसे कहा : अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने अपनी पत्नियों के होते हुए रहस्य की बातें बताने के लिए तुम्हीं को चुना । इस पर भी तुम रोती हो ? फिर जब अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) उठकर चले गये, तो मैंने उनसे पूछा : अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने तुम से क्या कहा था ? उन्होंने कहा : मैं अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के रहस्य को नहीं खोलूंगी । फिर जब अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की मृत्यु हो गयी, तो मैंने उनसे कहा : मैं तुम्हें उस हक़ की क़सम देकर कहती हूं जो मेरा तुम्हारे ऊपर है कि तुम वह बात बताओ जो अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने तुम से कही थी । उन्होंने कहा : अच्छा अब बताये देती हूं । जब आपने पहली बार मुझसे चुपके से बात कही थी, तो आपने मुझे यह ख़बर दी : ''जिबरील (अलैहि॰) हर एक साल एक बार या (कहा कि) दो बार कुरआन सुनाते-सुनते थे और अब उन्होंने (अर्थात इस वर्ष) दो बार मेरे साथ क़ुरआन सुनाने-सुनने का कार्य सम्पन्न किया । इससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा समय निकट आ चुका है, तो तुम अल्लाह से डरती रहना और सब्र करना । क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा अग्रगामी हूं ।'' इस पर मैं रो पड़ी, जो तुमने देखा । फिर आपने जब मेरी विकलता को देखा, तो दोबारा चुपके से मुझसे बात की और कहा : ''ऐ फ़ातिमा, क्या तुम इस पर राज़ी नहीं हो कि सारे मोमिनों की स्त्रियों की तुम नायक होगी'' या कहा : ''इस मुस्लिम समुदाय की स्त्रियों की नायक होगी ।'' इस पर मैं हंस पड़ी, जो तुमने देखा ।

–बुख़ारी, मुस्लिम । ये शब्द मुस्लिम के हैं ।

● हज़रत साबित से रिवायत है और वे हज़रत अनस (रज़ि॰) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा : अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) मेरे पास आये । उस समय मैं लड़कों के साथ खेल रहा था । आपने हमें सलाम किया और मुझे किसी ज़रूरत से भेज दिया, जिसकी वजह से मैं अपनी मां के पास देर से पहुंचा । जब मैं आया तो उसने कहा : किस क़ारण तुम रुके रहे ? मैंने कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने एक ज़रूरत से भेज दिया था । मां ने कहा : आपका क्या काम था ? मैंने कहा : वह एक राज़ (रहस्य) है । मां ने कहा : अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के राज़ से किसी को अवगत न कराना । हज़रत अनस (रज़ि॰) कहते हैं कि अल्लाह की क़सम, अगर मैं किसी को उसके बारे में बताता, तो ऐ साबित, तुम्हें अवश्य बताता ।

–मुस्लिम ।

मुस्लिम, बुख़ारी ने इसके कुछ अंश को संक्षिप्त रूप से रिवायत किया है ।

(रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय
हिन्दी वेबसाइटें
www.quranhindi.com
www.islamdharma.org
www.islamicwebdunia.com
www.islamic-videos.com.

अभिव्यक्ति का नहीं, समदृष्टि का सवाल

इस्लाम की यह भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि जिस चीज़ को अपने लिए पसन्द करो, दूसरों के लिए भी उसे पसन्द करो । यदि हम इस शिक्षा पर विहंगम दृष्टि डालते हुए विचार करें, तो सुगमता के साथ इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस शिक्षा को व्यवहार में लाकर हम समाज में शांति और सद्भावना का वातावरण स्थापित कर सकते हैं, जो इस्लाम को अभीष्ट है । इसके साथ ही इस्लाम की अन्य शिक्षाएं यदि व्यवहृत हों, तो परिवार-समाज से लेकर प्रदेश, देश एवं पूरा विश्व एक ऐसे आदर्श, उत्तम और सुमधुर समाज में परिवर्तित हो जाए, जहां सर्वथा नैतिक और मानवीय मूल्यों की पराकाष्ठा होगी । कोई एक-दूसरे का हक़ नहीं मारेगा, कोई किसी पर जुल्म और अत्याचार नहीं करेगा, अनाचार और शोषण के साथ ही ऊंच-नीच, छूत-छात की निम्न भावना नहीं होगी, हर व्यक्ति प्रतिष्ठित होगा । इस प्रकार समग्र समाज शांति और सलामती का गहवारा बन जाएगा । इसके लिए सतत प्रयास करना चाहिए । इसी सन्दर्भ में यह भी एक स्पष्ट तथ्य है कि यदि कोई इस्लामी शिक्षाओं को विकृत करने का प्रयास करे, तो उसका समुचित विरोध करना और सही तस्वीर प्रस्तुत करना इन्सान का मानवोचित अधिकार है । हमारे देश का संविधान भी इसकी अनुमति देता है । सभी भारतीय नागरिकों को संवैधानिक दृष्टि से सशर्त मौलिक अधिकार प्राप्त हैं । भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष जस्टिस मार्केण्डेय काटजू ने ट्विटर पर लिखा है कि "स्वतंत्रता असीम नहीं हैं । जनहित में प्रत्येक स्वतंत्रता में तर्कसंगत बंदिशें होती हैं ।" मानवीय सिद्धांत तो यही है कि कोई धर्म या मत विशेष पर आक्षेप न करे । किसी के उपास्य का अवमान न करने की भी इस्लाम की शिक्षा है । इसके प्रति भी मुसलमान सदैव सतर्क और सावधान रहते हैं । फिर मानव-व्यवहार को यह भी अपेक्षित है कि भलाई और कल्याण के कार्यों में धर्म-सम्प्रदाय से ऊपर उठकर एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए और बुराई व अकल्याणकर कार्यों का मिल-जुलकर विरोध करना चाहिए । इसका भी जब उल्लंघन होगा तो समाज में अशांति का वातावरण पैदा होगा । इसी के साथ यह बात भी विचारणीय है कि यदि कोई व्यक्ति या समूह किसी धर्म विरोधी को किसी समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत करने एवं उन्हें बेचैन करने तथा उनमें उद्विग्नता का भाव कर उकसाने की चेष्टा करता है तो क्या वह क्षम्य है ? इस दुष्कर्म की न तो भारतीय संविधान व क़ानून ही अनुमति देता है और न ही यह मानवीय सिद्धांत एवं व्यवहार के अनुकूल है । इस स्थिति में जयपुर साहित्यिक महोत्सव में सलमान रुश्दी को आमंत्रित करना भी असंवैधानिक एवं ग़ैरक़ानूनी है, मगर इसके आयोजकों के ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है । अलबत्ता रुश्दी के भारत न आने से केन्द्र सरकार को थोड़ी-सी राहत ज़रूर मिल गयी है, लेकिन वह अपनी ज़िम्मेदारी से कदापि मुक्त नहीं हो सकती । उसे उन सभी उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध दमनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, जो साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने का क़दम उठा रहे हैं और रुश्दी को दोबारा आमंत्रित करने की उद्घोषणा करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं । इस 'विशेष प्रजाति' के हमारे यहां दो विशेष समूह हैं । पहला, वे तथाकथित जनवादी जो मार्क्स, लेनिन के साथ हज़रत ईसा (अलैहि॰) की तस्वीर टांगने के भी गुनहगार हैं और दूसरा, मीडिया का वह अभिजात्य वर्ग जो अपनी साम्प्रदायिकता, पक्षपात और संकीर्णता के प्रदर्शन के लिए प्रायः कोई न कोई अवसर तलाश ही लेता है । जहां तक तथाकथित जनवादियों की मानसिकता का प्रश्न है, तो वह भी साम्प्रदायिक मानसिकता

से 'ओत-प्रोत' है । अतीत की घटनाएं गवाह हैं कि जब 'पात्र' मुस्लिम हो, और लक्षित इस्लाम हो, तो इनकी साम्प्रदायिकता फूटती है, अन्यथा ख़ामोश रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं । इस वास्तविकता को हम कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं । जनवादी सलमान रुश्दी के 'बड़े समर्थक' के रूप में सामने हैं, क्योंकि रुश्दी को इस्लाम और मुसलमान लक्षित हैं । अतएव इस विकृत मानसिकता वाले लेखक की रचनाएं इस्लाम और मुसलमानों की छवि को बिगाड़ती हैं, इसलिए जनवादी बाछें फाड़-फ़ाड़कर समर्थन का ऐलान करते हैं । कोई तथाकथित जनवादी इस 'विद्रूप लेखक' को दिल्ली आमंत्रित कर रहा है, तो कोई क़सीदा पढ़ रहा है । प्रतिक्रिया में तस्लीमा नसरीन को कोलकाता में बुलाकर 'निर्वासन' के सातवें भाग का विमोचन कराने का दुस्साहस किया जाता है ? आख़िर यह सब क्यों ? जनवादियों के साथ ही कुछ अन्य लोग भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में अभिव्यक्ति हनन पर क्यों तुले हुए हैं ? कारण स्पष्ट है, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है–इस्लाम और मुसलमानों का वास्तविक रूप इन्हें नहीं सुहाता । इसके विपरीत जब मामला अन्यों का होता है, तो इनकी अंधता समाप्त हो जाती है । मक़बूल फ़िदा हुसैन के समर्थन में ये नहीं उठ सके, क्योंकि मामला 'इतर' था । इस चित्रकार ने महाभारत के पात्रों को अपनी पेंटिंग्स में उकेरा था । इसी क्रम में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुचित इस्तेमाल भी किया और आ गये साम्प्रदायिकों एवं फ़ासिस्टों के निशाने पर । मगर आश्चर्य ! जनवादी ख़ामोश तमाशाई बन गये और मक़बूल को अपना वतन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा । अब ए॰आर॰ रहमान द्वारा एक गाने में 'होसाना' शब्द के इस्तेमाल पर कुछ ईसाई संगठनों ने आपत्ति की है, लेकिन कोई जनवादी उनके समर्थन में नहीं आया है, क्योंकि यहां मामला इस्लाम या मुसलमानों के छवि-विकृतीकरण का नहीं है । मुंबई जनवादियों का एक केन्द्र है । यहां के क्रिश्चियन सेक्यूलर फ़ोरम (सी॰एस॰एफ़॰) का कहना है कि 'होसाना' एक पवित्र शब्द है, इसका अनुचित प्रयोग किया गया है । जनवादियों की ऐसी ही ख़ामोशी सिख धर्म के पवित्र स्थल–स्वर्ण मंदिर के बारे में एक ईसाई (अमेरिकी) उद्घोषक द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणी और एक अमेरिकी टेलीविज़न स्टेशन–एन॰बी॰सी॰ शिकागो वेबसाइट पर आइस हॉकी मैच की कमेंटरी के दौरान हिन्दू देवी-देवताओं को 'अजीब' कहे जाने के मामले में दिखायी पड़ी । ये सभी हाल के मामले हैं, लेकिन जनवादियों ने सिर्फ़ रुश्दी का साथ दिया ! है ना यह उनकी दोहरी, बेतुकी, विकृत और बीमार मानसिकता । इसी तरह रूस में गीता पर प्रतिबंध लगाने के लिए तोमस्क (साइबेरिया) की अदालत में दाख़िल की गयी याचिका के सिलसिले में रवैया अपनाया गया । भारतीय मीडिया के अभिजात्य वर्ग ने भी वही रवैया अपनाया जो जनवादियों ने अपनाया । यह पूरा वर्ग रुश्दी के 'प्रेम' में उन्मादी हो चुका था । इसके विपरीत जब गीता पर प्रतिबंध का मामला सामने आया था तो विरोध में आसमान को सर पर उठा लेने में नहीं हिचका गया । जनमत की तैयारी इस प्रकार हुई कि भारतीय संसद पूरी तरह चिंतित हो उठी और निन्दा की गयी । राजनयिक चैनल से रूस पर दबाव डाला गया । मुंबई हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार से पूछा कि गीता को प्रतिबंध मुक्त रखने के लिए वह कौन-कौन से क़दम उठा रही है । कुल मिलकार विरोध में एक ज़बरदस्त लहर पैदा कर दी गयी और अदालत में मामला ख़ारिज हो गया । ऐसा होना भी चाहिए । साथ ही यह भी होना चाहिए कि अन्य धर्मावलंबियों की धार्मिक आस्थाओं पर चोट पहुंचाने की घटनाओं के सिलसिले में भी ऐसी ही ज़बरदस्त लहर पैदा की जानी चाहिए और न्यायपालिका समेत सरकार को भी खुलकर समर्थन करना चाहिए । यदि ऐसा नहीं होता है तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के भी ख़िलाफ़ है और मानवीय मूल्यों के भी । दूसरी ओर यह दोहरा मानदंड और दोहरी मानसिकता आगे चलकर जो विकार पैदा कर सकती है, वह कल्पनातीत है । अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और की नीति हर हाल में आत्मघाती है । इसके त्याग और समदृष्टि को अपनाने में ही सबकी भलाई है ।

'जीवहत्या' से कोई बच नहीं सकता

मासिक 'कान्ति' का फ़रवरी 2012 अंक पढ़ा । अंक में डॉ॰ मुहम्मद अहमद का 'जीव हत्या की वास्तविकता' शीर्षक लेख तर्कपूर्ण, विचारोत्तेजक तथा मननीय है । लगभग पैंतीस-चालीस साल पूर्व इसी विषय पर मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी । लेखक का नाम भूल रहा हूं । लेखक संभवत: सुप्रसिद्ध लेखक, अनेक विषयों के उद्भट विद्वान तथा मौलिक चिंतक राहुल सांकृत्यायन थे । उन्होंने इसी प्रकार तर्कपूर्ण ढंग से पुस्तक में यह प्रतिपादित किया था कि मर्यादित सीमा तक मांसाहार उचित है । दैनिक और व्यावहारिक जीवन में हम जीव हत्या से कहां तक खुद को बचा सकते हैं ? मछली, मुर्ग़ा और बकरे के मांस के सेवन से परहेज़ करने तथा नाक-भौं सिकोड़ने वाले लोग क्या जाने-अनजाने प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रूप से जीव हत्या और हिंसा नहीं करते ?

क्या हम मच्छर, मक्खी, मकड़ी, दीमक, चूहा, जुआं, तिलचट्टा, छछूंदर और खटमल भगाने या मारने के लिए पेस्टीसाइड और विषैले पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करते ? रोगी के शरीर से हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए क्या हम एंटीबायटिक औषधियों का सेवन नहीं करते ? क्या किसान फ़सलों को नुक़सान पहुंचाने वाली टिड्डियों, कुटकी, माहो आदि कीटों को नष्ट करने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करता ? वस्तुत: कोई व्यक्ति जीवन में पूर्णत: अहिंसक हो ही नहीं सकता और यदि वह इस प्रकार का दावा करता है तो यह उसकी मनोभ्रांति है तथा पाखंड है ।

इसी अंक में डॉ॰ रज़ीउल इस्लाम नदवी का 'सामाजिक मर्यादाएं, व्यवहार एवं इस्लाम' तथा तालिब हाशमी का 'एक सेहरानशीं सहाबिया' लेख अच्छे लगे । लेखकद्वय ने साधारण बोलचाल की आमफ़हम भाषा में ऊंची तथा दिल को छू लेने वाली बात कही है । ऐसी उत्कृष्ट रचनाओं के प्रकाशनार्थ संपादकीय विभाग को बधाई ।

विद्या प्रकाश
सिपाह, जौनपुर (उ॰प्र॰)

एकेश्वरवाद का महत्व

इस्लाम की मूल शिक्षा एकेश्वरवाद (तौहीद) पर क़ायम है और इन्सान को ज्ञान आ जाने के बाद उसे अन्य दूसरों तक पहुंचाना नितांत आवश्यक है, जिसके लिए आदमी को मशक़्क़त भी उठानी पड़ती है । कभी-कभी जान जोखिम में डालकर जान की बाज़ी भी लगानी पड़ती है जैसा कि नबी (सल्ल॰) ने अपनी ज़िन्दगी में करके एक नमूना पेश कर दिया है । हर नबी का एक ही मिशन रहा है, जिसके लिए उसने अपनी क़ौम के लोगों को एक ईश्वर की उपासना का सन्देश दिया है जिससे संबंधित कुछ नबियों (अलैहि॰) का ज़िक्र किया जा रहा है ।

हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) एक ऐसे कुल में पैदा हुए थे जो क़ौम बुतपरस्ती में मुब्तिला थी । ख़ुद उनके बाप जिनका नाम आज़र था मूर्तियां तराशने का काम करते थे और अपनी क़ौम के पुरोहित भी थे । हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) अपने पिता को एकेश्वरवाद से संबंधित शिक्षाप्रद बातों से वार्तालाप करते हुए समझाते हैं–

"(इन्हें तनिक उस मौक़े की याद दिलाओ) जबकि उसने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान आप क्यों उन चीज़ों की इबादत करते हैं जो न सुनती हैं, न देखती हैं और न आपका कोई काम बना सकती हैं । अब्बा जान मेरे पास एक ऐसा ज्ञान आया है जो आपके पास नहीं आया । आप मेरे पीछे चलें मैं आपको सीधा रास्ता बताऊंगा । अब्बा जान आप शैतान की बन्दगी न करें । शैतान तो रहमान का नाफ़रमान (अवज्ञाकारी) है । अब्बा जान मुझे डर है कि कहीं आप रहमान के अज़ाब में न पड़ा जाएं और शैतान के साथी बनकर रहें । बाप ने कहा इबराहीम क्या तू मेरे उपास्यों से फिर गया है अगर तू बाज़ न आया तो मैं तुझे संगसार (पत्थर मार-मारकर हलाक) कर दूंगा । बस तू हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जा । इबराहीम ने कहा सलाम है आपको । मैं अपने रब से दुआ करूंगा कि आपको क्षमा कर दे । मेरा रब मुझ पर बड़ा ही मेहरबान है । और मैं आप लोगों को भी छोड़ता हूं और उन हस्तियों को भी जिन्हें आप लोग

अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते हैं, मैं तो अपने रब को ही पुकारूंगा । आशा है मैं अपने रब को पुकार कर नामुराद न रहूंगा ।'' (क़ुरआन, 19:42-48)

अंत में हज़रत इबराहीम (अलैहि०) उन मूर्तियों को तोड़ डालते हैं, जिनकी बन्दगी उनके बाप और उनकी क़ौम के लोग करते थे । ज़ालिम बादशाह और उनके बाप हज़रत इबराहीम (अलैहि०) को जलाने की कोशिश करते हैं ।

''उन्होंने कहा जला डालो इसको और समर्थन करो अपने ख़ुदाओं का अगर तुम्हें कुछ करना है । हमने कहा ऐ आग ठंडी हो जा और सलामती बन जा इबराहीम पर । वे चाहते थे कि इबराहीम के साथ बुराई करें मगर हमने उनको बुरी तरह विफल कर दिया ।'' (क़ुरआन, 21:68-70)

हज़रत मूसा (अलैहि०) अपने भाई हारून को साथ में लेकर फ़िरऔन के पास जाकर भरे दरबार में कहते हैं कि डरो उससे जिसने तुझे पैदा किया और वही मेरा रब है और तेरा रब भी । बनी इसराईल के ऊपर जुल्म न कर और उसे मेरे साथ जाने दे ।

''मूसा ने जवाब दिया आसमानों और ज़मीन का रब, और उन सब चीज़ों का रब जो आसमान व ज़मीन के बीच में हैं अगर तुम यक़ीन लाने वाले हो । फ़िरऔन ने अपने आसपास के लोगों से कहा सुनते हो ? मूसा ने कहा तुम्हारा रब भी और तुम्हारे उन पूर्वजों का रब भी जो गुज़र चुके हैं । (फ़िरऔन ने उपस्थित लोगों से) कहा तुम्हारे रसूल साहब जो तुम्हारी ओर भेजे गये हैं बिल्कुल ही पागल मालूम होते हैं । मूसा ने कहा पूरब और पश्चिम और जो कुछ उनके बीच में है सबका रब अगर आप लोग कुछ बुद्धि रखते हैं । फ़िरऔन ने कहा अगर तूने मेरे सिवा किसी और को उपास्य माना तो मुझे भी उन लोगों में शामिल कर दूंगा जो क़ैदख़ानों में पड़े सड़ रहे हैं ।'' (क़ुरआन, 26:24-29)

हज़रत मूसा (अलैहि०) अपनी क़ौम के लोगों को तौहीदपरस्ती का हुक्म देते हैं और शिर्क से मना फ़रमाते हैं । कुछ ही समय बीता था कि आपको अल्लाह ने सीना पर्वत पर बुला लिया जहां चालीस दिन उनको रुकना पड़ा । अपने बड़े भाई हज़रत हारून के निगरानी में अपनी क़ौम के लोगों को छोड़कर चले जाते हैं । उतने ही समय में लोग बछड़े की उपासना में लग जाते हैं ।

हज़रत मूसा (अलैहि०) जब इस वाक़िया से वाक़िफ़ होते हैं तो बड़े क्रोध के साथ अपने भाई हारून के सिर के बाल पकड़ते हैं और कहते हैं ।

''उधर से मूसा गुस्से और रंज में भरा हुआ अपनी क़ौम की ओर पलटा । आते ही उसने कहा बहुत बुरा उत्तराधिकार निभाया तुम लोगों ने मेरे बाद । क्या तुमसे इतना सब्र न हो सका कि अपने रब के आदेश का इन्तिज़ार कर लेते ? और तख़्तियां फेंक दी और अपने भाई हारून के सर के बाल पकड़ कर उसे खींचा । हारून ने कहा ऐ मेरी मां के बेटे इन लोगों ने मुझे दबा लिया और क़रीब था कि मुझे मार डालते, तो तू शत्रुओं को मुझ पर हंसने का मौक़ा न दे और इस अत्याचारी गिरोह के साथ मुझे शामिल न कर ।''

(क़ुरआन, 7:150)

हज़रत यूसुफ़ (अलैहि०) जेल में डाल दिये जाने के बावजूद भी जेल के साथियों को एकेश्वरवाद की शिक्षा देते और दीन की तबलीग़ करते हैं और अपने जेल के साथियों से कहते हैं ।

''ऐ जेल के साथियों तुम स्वयं ही सोचो कि बहुत से अलग-अलग रब बेहतर हैं या वह एक अल्लाह हो सब पर ग़ालिब है ? उसको छोड़कर तुम जिनकी बन्दगी कर रहे हो वे इसके सिवा कुछ नहीं हैं कि बस कुछ नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप-दादा ने रख दिये हैं । अल्लाह ने उनके लिए कोई प्रमाण नहीं उतारा । शासन-सत्ता अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं है । उसका आदेश है कि स्वयं उसके सिवा तुम किसी की बन्दगी न करो । यही जीवन का ठेठ सीधा तरीक़ा है, मगर अधिकतर लोग जानते नहीं हैं ।'' (क़ुरआन, 12:39,40)

श्याम नारायण चौहान
ग्राम-विशुनपुरा, पोस्ट-मथेला, ज़िला-चन्दौली

ईश्वर की सत्ता

सर्वव्यापी ईश्वर या ख़ुदा की सत्ता न मानने से मनुष्य में उच्छृंखलता बढ़ती है । उच्छृंखलता से झूठ, कपट, चोरी, हिंसा आदि पाप कामों एवं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि अवगुणों में वृद्धि होती है । इसकी सत्ता को न मानने से तत्वज्ञान की खोज नहीं हो सकती और तत्वज्ञान के बिना ईश्वर या ख़ुदा की सत्ता का ज्ञान नहीं हो सकता । ईश्वर या ख़ुदा को न मानने से कृतघ्नता का दोष भी आ जाता है और आध्यात्मिक ताक़त नष्ट हो जाती है ।

ईश्वर या ख़ुदा के बारे में प्रमाण पूछना भी बुद्धिमानी नहीं । विचार करने की बात यह है कि जो ईश्वर या ख़ुदा

स्वत: प्रमाण है और जिस प्रमाण से परमात्मा के प्रमाण को प्रमाणित किया जा सकता है उसके विषय में प्रमाण पूछने का क्या औचित्य है ? ईश्वर या खुदा के बारे में सवाल पूछना कुछ ऐसा ही है जैसे कोई अपने ही संबंध में शंका करे और पूछे कि "मैं हूं या नहीं ?" अत: इस प्रकार का चिंतन करना ही व्यर्थ है क्योंकि ईश्वर या खुदा की करामात हमें हमारे चारों ओर दीख रही है । ज़रूरत है उस तक पहुंचने की तो इन्सान बनना और इन्सानियत को बचाना ज़रूरी होगा । किसका अभाव आज चहूं ओर दिखायी पड़ रहा है ।

घेवरचन्द गोदीका

किशनपोल बाज़ार, जयपुर

आतंकवाद और धर्म

मासिक पत्रिका 'कान्ति' का जनवरी 2012 अंक का मैंने सरसरी दृष्टिकोण से अध्ययन किया । 'आतंकवाद और धर्म' लेखक डॉ॰ शेख़ सईद का आलेख मुझे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रभक्ति व नैतिक जाग्रति हेतु अच्छा लगा । आतंकवाद एक भयंकर रोग है, जिसके कारण अधिकांश जनता का जीना दूभर हो गया है ।

आतंकवाद किसी धर्म, जाति, सम्प्रदाय या संगठन से संपर्क नहीं रखता है । आतंकवाद का लक्ष्य ही बिना कारण खून-ख़राबा करना होता है । चरित्रहीन व्यक्ति ही ऐसा कुत्सित व घिनौना कार्य करता है । जो देश हित के विरुद्ध हो अखंड भारत के टुकड़े-टुकड़े करना चाहते हों, वो ही आतंकवादी आतंकवाद फैलाकर अपने कुत्सित विचारों से लूटपाट, दहशतगर्दी व नरसंहार का माहौल पैदा करता है । इसमें अपहरण, प्रतिशोध व भय की भावना भरी हुई है । 65 वर्ष से अधिक देश को स्वतंत्र होने पर भी आतंकवाद का रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । इसके लिए जनता में देश प्रेम की भावना जन जाग्रति, सच्ची संस्कृति व आदर्श चरित्र की भावना को उजागर करना होगा । वरना देश आतंकवाद की आग में जलकर भस्म हो जाएगा ।

मैं लेखक के उपरोक्त विचारों का समर्थक हूं ।

रामस्वरूप झंवर

उपाध्यक्ष साहित्यांचल

शास्त्री नगर विस्तार, भीलवाड़ा

क़ुरआन के संदेश को समझने का अवसर

स्थानीय मुस्लिम भाइयों के सौजन्य व सदाशयता से 'कान्ति' पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है । इसे पढ़कर विभिन्न धर्मों के बारे में जानने का अवसर मिला है । क़ुरआन की गहराई में पहुंचकर उसके मूल संदेश को आत्मसात करने का अवसर मुझे इसी पत्रिका ने दिया है । इसको पढ़कर मैं धर्म सद्भाव, सहिष्णुता व मातृत्व-मानवता का प्रखर समर्थक व पक्षपाती बन गया हूं । आपके प्रति धन्यवाद ।

डॉ॰ शरद नारायण खरे

विभागाध्यक्ष, शासकीय महिला महाविद्यालय,

मंडला (म॰प्र॰)

इस्लामी कैलेंडर

'कान्ति' का जनवरी 2012 अंक, वर्ष का नवीनतम प्रथम अंक प्राप्त हुआ । अंतिम पृष्ठ पर नये वर्ष का कैलेंडर देखकर प्रसन्नता हुई । रोमन कैलेंडर के साथ इस्लामी कैलेंडर की तारीख़ें भी देखने को मिलीं ।

मेरे विचार से रौमन कैलेंडर में इस्लामी तारीख़ें देने के अलावा ऐसा कैलेंडर भी तैयार किया जाना चाहिए जिसमें इस्लामी कैलेंडर के बीच में रोमन कैलेंडर की तारीख़ें हों ।

काफ़ी बड़ा जनसमूह पत्रिका से लाभांवित हो रहा है । हिन्दी में इस्लामी साहित्य प्रस्तुत करने वाली यह अनूठी पत्रिका है ।

महा अमरेन्द्र अमृतशीर्ष

माताजी मार्ग, श्री बाबू नगर, तेघड़ा,

बेगूसराय, बिहार

बुतपरस्ती यह भी

'कान्ति' का जनवरी 2012 अंक पढ़ा । इस पत्रिका द्वारा इस्लामी शिक्षाओं का प्रसार किया जा रहा है । हमें इस पर कोई एतिराज़ नहीं है । हम भी सत्य और सदाक़त के समर्थक हैं । झूठ, असत्य, असंभव, प्रकृति के विपरीत बातों को नहीं मानते हैं । जैसे ज़मीन गोल है, यह एक हक़ीक़त है । कोई कहे कि ज़मीन चिपटी है तो यह असत्य होगा ओर माना नहीं जाएगा ।

मुसलमान कहते हैं कि हिन्दू बुतपरस्त (मूर्तिपूजक) हैं । हम भी बुतपरस्ती को ज़िहालत (अज्ञानता) समझते हैं, परन्तु हर जुमेरात (गुरुवार) को क़ब्रों पर चादर चढ़ाना, दीपक जलाना और सजदा करना बुतपरस्ती नहीं तो और क्या है ? यह भी बुतपरस्ती है और इसे बन्द होना चाहिए ।

देवराज आर्य मित्र

नयी दिल्ली

'कान्ति' मासिक का शीघ्र प्रकाश्य विशेषांक

मानवता को इस्लाम की देन

इस विशेषांक के लिए निम्नलिखित विषय प्रस्तावित किये गये हैं–

1. पवित्र धारणाएं {तौहीद (एकेश्वरवाद), रिसालत (ईशदूतत्व) और आख़िरत (पारलौकिक जीवन) की रोशनी में}
2. उच्च नैतिकता (हर हाल में शिष्टाचार का प्रदर्शन, झूठ, धोखा और बुरे कामों से बचना, वचन निभाना, सच्चाई, ईमानदारी, सहानुभूति, लोगों के काम आना आदि ।)
3. शिक्षा के क्षेत्र में इस्लाम का योगदान ।
4. स्वच्छता-पवित्रता की इस्लामी अवधारणा ।
5. संतान की हत्या और इस्लामी शिक्षाएं ।
6. दहेज का चलन और इस्लामी शिक्षाएं ।
7. मदिरापान और इस्लाम ।
8. जुए के विभिन्न रूप और इस्लाम की शिक्षाएं ।
9. समस्याओं से मुक्त समाज के निर्माण के इस्लामी सिद्धांत ।
10. समाज सेवा और इस्लामी शिक्षाएं ।
11. आर्थिक समस्याओं का इस्लामी समाधान ।
12. ब्याजरहित व्यवस्था की अवधारणा एवं इस्लाम ।
13. मानव समानता की अवधारणा ।
14. न्याय का इस्लामी सिद्धांत ।
15. प्रेम और भाईचारे की परिकल्पना और इस्लाम ।
16. शांति-सुरक्षा और इस्लामी शिक्षाएं ।
17. राजनीति के उच्च सिद्धांत : इस्लामी शिक्षाओं की रोशनी में ।
18. महिलाओं के साथ सद्व्यवहार और इस्लामी शिक्षाएं ।
19. मज़दूरों एवं कमज़ोर वर्गों के अधिकार ।
20. बच्चों का पालन-पोषण और इस्लाम ।
21. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध और इस्लाम (देशों से संपर्क, आयात-निर्यात, युद्ध के नियम, क़ैदियों की रिहाई आदि)
22. पर्यावरण सुरक्षा और इस्लाम ।
23. मानवाधिकार और इस्लाम ।
24. ज्ञान-विज्ञान के विकास में मुसलमानों का योगदान ।
25. अन्य धर्मों के प्रति इस्लाम का रवैया ।

आपसे अनुरोध है कि ऊपर दिये गये शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर एक ऐसा लेख या प्रकाशित सामग्री भेजवाने का कष्ट करें, जो 1500 से 2000 शब्दों से अधिक न हो । कृपया दो महीने के भीतर लेख भेजने का प्रयास करें ।

डॉ॰ मुहम्मद अहमद, संपादक 'कान्ति' (सप्ताहिक/मासिक)
डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025
ई-मेल : editorkanti@yahoo.com

हमारा वास्तविक प्रेम-पात्र कौन?

❖ मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां

पवित्र कुरआन की सूरा-2 की आयत-165 में कहा गया है–"कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर से हटकर दूसरों को उसके समक्ष ठहराते हैं, उनसे ऐसा प्रेम करते हैं जैसा ईश्वर से प्रेम करना चाहिए और जो ईमान वाले (आस्थावान) हैं उन्हें सबसे बढ़कर ईश्वर से प्रेम होता है ।"

इस आयत में बताया गया है कि ईमान (आस्था) इसका नाम नहीं है कि केवल ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया जाए । बल्कि ईमान यह है कि ईश्वर को अपना प्रेम-पात्र बनाया जाए तथा सबसे बढ़कर हमारा प्रेम उसी से हो । प्रेम जिन कारणों से उत्पन्न होता है वे सब पूर्ण रूप से ईश्वर में पाये जाते हैं । प्रेम के मुख्य कारण ये हैं–

1. उपकार

जिस किसी का हम पर उपकार या एहसान होता है, स्वभावत: उसके प्रति हमारे मन में प्रेम जाग उठता है । ईश्वर से बढ़कर हम पर किसी और का उपकार नहीं । उसी ने हमको पैदा किया । उसी की अनुग्रह छाया में हम जीवन व्यतीत करते हैं । अत: इस पहलू से ईश्वर ही हमारा प्रेम-पात्र बनता है ।

2. गुण

प्रेम का एक विशेष कारण गुण भी है । जिस किसी में शक्ति, सामर्थ्य, कुशलता आदि गुण पाये जाते हैं स्वभावत: उससे हमें लगाव और प्रेम हो जाता है । ईश्वर सर्वशक्तिमान है । दूसरों को जो शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त है वह उसी का दिया हुआ है । इस दृष्टि से भी ईश्वर से हमें प्रेम होना चाहिए ।

3. सामीप्य एवं निकटता

किसी से निकटता का संबंध भी हमारे मन में उसके प्रति प्रेम-भाव पैदा करता है । इस पहलू से भी हम देखते हैं तो हमारा सबसे निकट का संबंध ईश्वर ही से है । दूसरे सारे ही संबंध गौण हैं । ईश्वर हमारा स्रष्टा ही नहीं वह हमारा पालनकर्ता भी है । माता-पिता से जो हमारा मधुर नाता होता है उससे अधिक प्रिय नाता रब का नाता है । निकटता के अन्य अर्थों की दृष्टि से भी ईश्वर हम से सबसे अधिक निकट है । कुरआन में एक स्थान पर ईश्वर ने कहा है–

"हम मनुष्य से उसकी गर्दन की रग से भी अधिक निकट हैं ।" (कुरआन, 50:16)

भाव की दृष्टि से उसके निकट होने के लिए कुरआन में आदेश हुआ है–

"उसे सजदे करते रहो और निकट होते रहो ।" (कुरआन, 96:19)

4. अनुकूलता

जब दो व्यक्तियों के मध्य भाव-विचार, अभिरुचि आदि की दृष्टि से एकात्मता और अनुकूलता पायी जाती है तो उन दोनों में स्वत: प्रेम का संबंध उत्पन्न हो जाता है । इस दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो सबसे अधिक अनुकूलता और एकात्मता हमारे और प्रभु के मध्य पायी जाती है । हमारी अभिरुचि, हमारी कामनाएं, पवित्रता की चाह, पूर्णता की ललक, ज्ञान से संपन्न होने की अभिलाषा, सत्यप्रियता, सच्चरित्रता, क्षमाशीलता आदि जितने भी सद्गुण हैं सब ईश्वर के गुणों की प्रतिच्छाया मात्र हैं । ईश्वर चाहता भी है कि मानव-जीवन के दर्पण में ईश-गुणों की छाया प्रतिबिंबित हो । सारांश यह कि इस दृष्टि से भी ईश्वर हमारा प्रेम-पात्र ठहरता है ।

5. सौंदर्य

सौंदर्य भी प्रेम का एक स्पष्ट कारण है । सुन्दरता से वास्तव में हमें आत्मा की सुन्दरता का परिचय प्राप्त होता है । इसीलिए हम सौंदर्य से आकर्षित होते हैं । सौंदर्य के माध्यम से ही हम अपनी आत्मा के सौंदर्य की कुछ झलक देख पाते हैं । इसीलिए हम सौंदर्य को महत्व देते हैं और सौंदर्य से हम प्रेम करने लगते हैं । सौंदर्य वास्तव में विस्तृत और अथाह समुद्र के सदृश है । इसके दर्शन का सामर्थ्य जुटाना कोई सहज कार्य नहीं । जगत की विभिन्न चीज़ों उदाहरणार्थ सूर्य, चन्द्र, तारे, गीत गाते पक्षी, नाचते हुए मोर, सुरभित हवाएं आदि के माध्यम से सौंदर्य अपने को प्रकट करना चाहता है । प्रकट करता भी है किंतु पूर्ण रूप से वह प्रकाश में नहीं आ पाता । परन्तु वह जितना भी प्रकट होत है वह शुभ है ।

सौंदर्य बोध अत्यंत सूक्ष्म एवं कोमल बोध है । सौंदर्य बोध के माध्यम से जब हम किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं वही हमारी वास्तविक उपलब्धि होती है । धन, धर्म, शील-स्वभाव, चरित्र आदि जब सौंदर्य बोध का रूप धारण कर लेते हैं तब ये पूर्ण काम हो जाते हैं और अपने परम का स्पर्श कर लेते हैं । सौंदर्य जहां कहीं और जिस रूप में भी पाया जाता है वह ईश्वरीय सौंदर्य की प्रतिच्छाया मात्र है । इस दृष्टि से भी ईश्वर से बढ़कर हमारा निकट का संबंध किसी और से नहीं हो सकता । यदि ईश्वर से किसी का संबंध प्रेम का संबंध नहीं है तो समझ लीजिए कि उसने ईश्वर को अभी पहचाना ही नहीं ।

हार्दिक प्रेम के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रेमी और प्रेम पात्र दोनों के मध्य अपने अस्तित्व और अपने व्यक्तित्व की दृष्टि से भी अनुकूलता और एकरूपता पायी जाए । इस पहलू से जब हम विचार करते हैं तो मानव आत्मा और ईश्वर के मध्य बड़ी हद तक अनुकूलता और साक्ष्य पाया जाता है । इसीलिए नर को नारायण का रूप (Image of God) कहा गया है । हदीस में भी आया है, "निश्चय ही ईश्वर ने आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया ।" मनुष्य में ईश्वर के गुणों का प्रतिबिंब मात्र है । मनुष्य में हम ईश्वरीय गुणों की छाया, भले ही वह अल्प मात्रा में हो देखते हैं । मनुष्य में भी चेतना, बुद्धि, संकल्प, सामर्थ्य आदि गुण पाये जाते हैं । यद्यपि ये गुण ईश्वरीय ज्ञान और सामर्थ्य आदि के मुक़ाबले में अत्यंत अल्प और सीमित हैं । मनुष्य वास्तव में शरीर नहीं बल्कि आत्मा है । जिसे उपकरण के रूप में शरीर मिला है । इस शरीर के माध्यम से वास्तव में मानव आत्मा ही के गुणों का प्रदर्शन होता है ।

मनुष्य आत्मा होने के कारण ईश्वर से ऐसा संपर्क स्थापित कर सकता है कि ईश्वर से उसे हार्दिक प्रेम हो । आत्मा और ईश्वर, जो परम आत्मा है, दोनों में बड़ी हद तक एकरूपता पायी जाती है । ईश्वर की तरह आत्मा भी चैतन्य है । ईश्वर यदि रहस्यमय और अज्ञेय है तो आत्मा भी रहस्यमय है । ईश्वर यदि सूक्ष्म और अलौकिक है तो आत्मा भी कोई भौतिक वस्तु नहीं, वह भी सूक्ष्म और अलौकिक है । ईश्वर यदि सत्य और आनन्द रूप है तो आत्मा भी ईश्वर के अनुग्रह से सत्य, विश्वसनीय और सर्वथा आनन्द है । आत्मा अत्यंत पवित्र और चेतन-स्वरूप है । ज्ञानियों ने उसे आनन्द और सुख की राशि कहा है । इस तरह हम देखते हैं कि आत्मा परमात्मा की छाया मात्र है । छाया को अपने मूल और स्रोत से प्रेम होना ही चाहिए ।

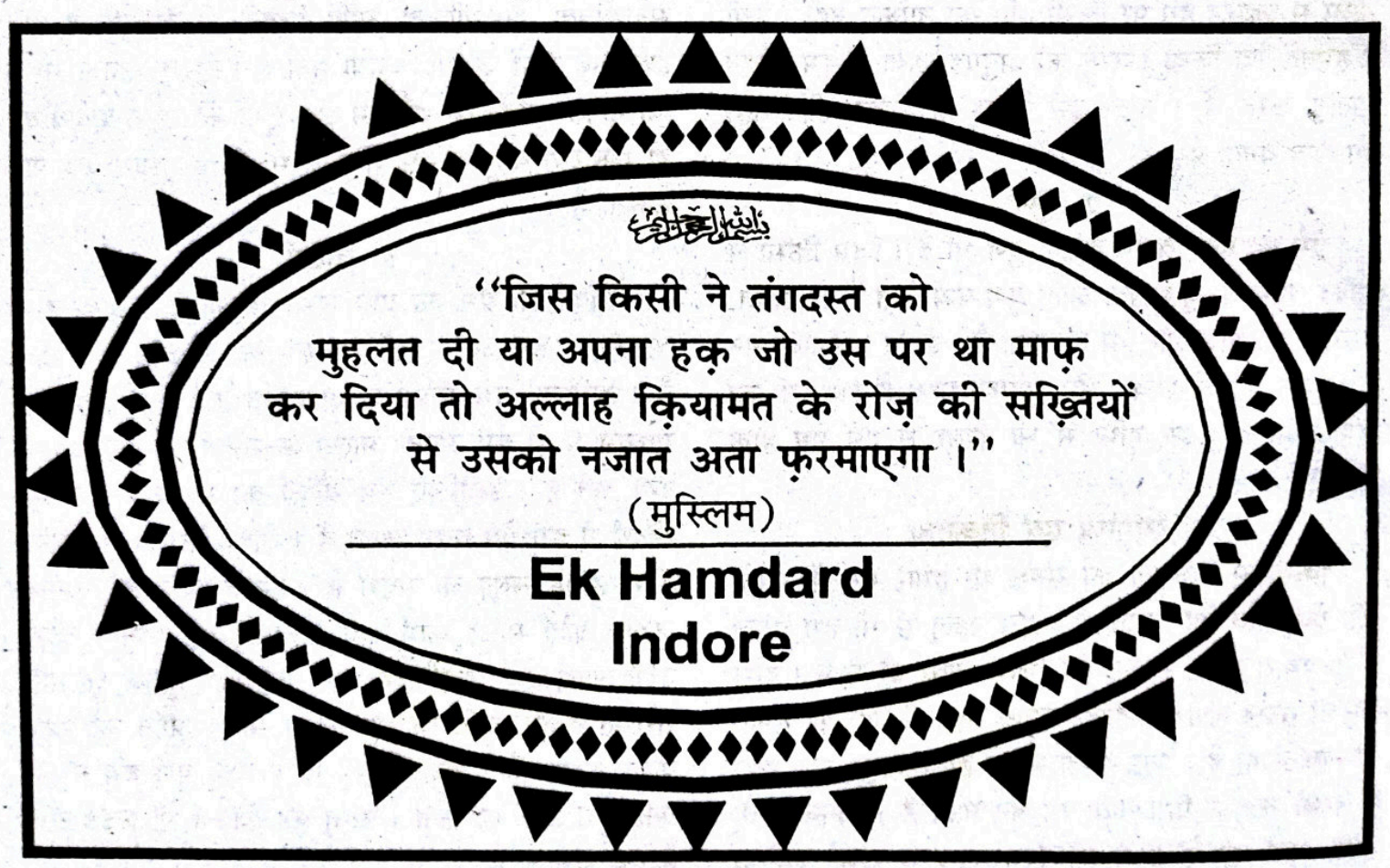

सद्‌भावना के प्रतीक मौलाना मुहम्मद अली जौहर

■ तालिब रामपुरी

महान स्वतंत्रता सेनानी मुहम्मद अली जौहर का जन्म 10 दिसम्बर 1878 ई॰ को रामपुर (उ॰प्र॰) में हुआ । स्वतंत्रता की तड़प उनके व्यक्तित्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव थी । साथ ही सद्‌भावना के विकास के लिए उनके प्रयासों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता । कुछ संकीर्ण बुद्धि राजनीतिक टीकाकार मौलाना को एक कट्टर मुसलमान कहकर उनकी देश प्रेम की भावना को कम आंकने का प्रयास करते हैं, जबकि वास्तविकता इसके ठीक विपरती है । पं॰ जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में मौलाना के विषय में लिखा है–

''उन पर धर्म का रंग बहुत गहरा था, मैं इस विषय में उनके ठीक विपरीत था । उनमें और मुझ में ईश्वर के अस्तित्व को लेकर अक्सर वाद-विवाद होता था । मुहम्मद अली की यह आदत थी कि कांग्रेस के प्रस्ताव में भी किसी न किसी तरह से ईश्वर की चर्चा अवश्य कर दिया करते थे । मैं इसके विरुद्ध असंतोष प्रकट करता ।''

मौलाना अपनी इस आदत और दूसरों की आपत्ति से अनजान न थे । संभवत: इसीलिए उन्हें अपने शब्दों में सफ़ाई देनी पड़ी थी–''मैं मूल रूप से एक मुसलमान हूं, द्वितीयत: मुसलमान हूं और अंतत: भी एक मुसलमान हूं लेकिन जहां तक देश प्रेम की भावना और देश की स्वतंत्रता का प्रश्न है, मैं मूल रूप से भारतीय हूं, द्वितीयत: भारतीय हूं और अंतत: भी एक भारतीय हूं और भारतीय के अतिरिक्त कुछ नहीं हूं । स्वराज्य मेरा धर्म है ।''

धर्म और राजनीति के विषय में मौलाना का विचार था–''धर्म को यदि राजनीति से पृथक रखेंगे तो धर्म के विषय में आपकी धारणा ग़लत होगी । धर्म जीवन के एक विवरण का नाम है ।''

मौलाना ने बड़ी तर्कसंगत और सशक्त शैली में कहा था कि यह मेरा धार्मिक कर्तव्य है कि मैं हिन्दू-मुसलमान में सद्‌भावना स्थापित करूं, मगर मैं चाहता हूं कि हिन्दू हिन्दू रहें और मुसलमान मुसलमान । यदि उन्होंने अपने धर्म को छोड़ दिया तो फिर एकता का कोई अर्थ नहीं है । मैं हिन्दुओं से मुहब्बत करूंगा चाहे वे मुझे कितना ही सताएं ।

देश की स्वतंत्रता की तड़प, देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता की अभिलाषा का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि इसकी प्राप्ति के लिए मौलाना किसी भी हद तक जाने और किसी भी प्रकार का बलिदान देने को तैयार रहते थे । स्वतंत्रता के पश्चात लोकतंत्र की स्थापना उनका स्वप्न था और यह स्वप्न राष्ट्रीय एकता के बिना साकार नहीं हो सकता था । मौलाना की राजनीतिक चेतना इस तथ्य से भली-भांति अवगत थी कि यह देश विभिन्न धर्मों, विभिन्न विश्वासों और मतों के फूलों का गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते का मूल्य इनके इकट्ठा रहने में ही निहित है । भारत जैसे विशाल देश में जहां साधारणतया राष्ट्रीय हित से जुड़ी समस्याएं अक्सर भाषा और क्षेत्रीयता के आधार पर आकर ठहर जाती है, वहां राष्ट्रीय एकता की कल्पना और उस पर पूरी तरह कार्यरत होना हमारे विकास, खुशहाली और अस्तित्व का आधार है । विचारणीय तथ्य यह है कि इस आधारभूत समस्या को किसी भी संगठन या सम्प्रदाय ने गंभीरता से नहीं लिया । इस दिशा में किये गये सभी प्रयास कुछ वाद-विवाद और सेमीनारों तक ही सीमित रह जाते हैं । इसके अतिरिक्त लोकतंत्र का लाभ उठाकर कुछ तत्व अपने लाभ के लिए भाषा या क्षेत्र के आधार पर आवेश भड़काते हैं ।

इनका यह कार्य कुछ लोगों के हित में तो होता है किंतु यह राष्ट्रीय एकता की राह में सबसे बड़ी बाधा है ।

लोकतंत्र में देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए राष्ट्रीय एकता के महत्व और शक्ति से इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन राष्ट्रीय एकता का यह अर्थ कदापि नहीं है कि देशवासियों की धार्मिक मान्यताओं और धारणाओं के साथ किसी प्रकार का समझौता हो, बल्कि यह सद्‌भावना है जो समाज और देश के हित में एक-दूसरे को जोड़े रखती है । बधाई हो उन लोगों को जिन्होंने निश्छल मन से यह कार्य किया और इसके लिए आज भी प्रयासरत हैं । इस संदर्भ में मौलाना मुहम्मद अली जौहर अकेडमी दिल्ली की प्रशंसा की जानी चाहिए जो 1974 से ही मौलाना के तौर-तरीक़ों पर चल रही है और 1989 से हर वर्ष मौलाना मुहम्मद अली जौहर राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दे रही है ।

بسم الله الرحمن الرحيم

अल्लाह के

रसूल (सल्ल०) ने बताया :

अल्लाह तआला क़ियामत के दिन

एक आदमी से कहेगा, ऐ आदम के बेटे,

मैं बीमार पड़ा था, तू मेरी इयादत को नहीं आया ।

वह कहेगा, ऐ मेरे रब, कैसे तेरी इयादत को आता

और तू तो रब्बुल आलमीन है । अल्लाह कहेगा

क्या तुझे मालूम नहीं, मेरा फ़लां बन्दा बीमार

पड़ा था पर तू उसकी इयादत को नहीं गया ।

क्या तुझे मालूम न था अगर तू उसकी इयादत

को जाता तो मुझे उसके पास पाता ।

(हदीस)

EK KHAIRKHAH

MUMBAI

'एक ईश्वर, एक विश्व परिवार' संगोष्ठी

पूर्वाग्रह छोड़कर सत्य तक पहुंचने की राह सुगम बनाएं

प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जयपुर के 75 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रमों की शृंखला में विगत 8 जनवरी 2012 को 'एक ईश्वर, एक विश्व परिवार' शीर्षक से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें प्रमुख धर्मों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस संगोष्ठी में इस्लाम धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए जनाब मुहम्मद सलीम इंजीनियर ने जो महत्वपूर्ण उद्‌गार प्रकट किये, उसका सार-संक्षेप यहां प्रस्तुत किया जा रहा है : **–संपादक**

इस अद्‌भुत सृष्टि, अनन्त ब्रह्मांड, आश्चर्यजनक मानव संरचना और सभी स्रष्ट चीज़ों में मौजूद व्यवस्था पर विचार करने से यह सत्य स्पष्ट हो जाता है कि सारी सृष्टि का एक ही स्रष्टा है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, अत्यंत दयावान और कृपाशील है। सर्वशवितमान ईश्वर हमेशा से है और जब सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी सिर्फ़ वही होगा।

वह ईश्वर हमारा जीवनदाता है। मृत्यु भी उसी के अधिकार में है। वह हम से इतना परिचित और निकट है, जितने हम भी अपने आपके निकट नहीं और हम भी अपने आप से परिचित नहीं। वह दयावान ईश्वर हमारी हर चीज़ से अच्छी तरह परिचित है। यहां तक कि वह हमारे मन व मस्तिष्क में उठने वाले विचारों तक से परिचित है। वह हमारे इरादों और नीयतों को भी अच्छी तरह जानता है। उसी ईश्वर के समक्ष हम सब को मृत्यु के बाद एक दिन अवश्य हाज़िर होना है और उसके द्वारा दिये गये इस अमूल्य जीवन के एक-एक पल का एक-एक कर्म का हिसाब देना है। उस दिन वह किसी पर भी ज़रा भी अन्याय नहीं करेगा, हरेक को उसके कर्मों के अनुसार बदला देगा। जो लोग उस पर विश्वास रखते हुए उसके द्वारा दिखाये गये सन्मार्ग और मार्गदर्शन के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, उन्हें वह स्वर्ग (जन्नत) में जगह देगा और जो इस जीवन में उसके मार्गदर्शन को छोड़कर अपने मन की इच्छाओं के गुलाम बनकर रहे होंगे वे नरक (जहन्नम) के पात्र होंगे।

विभिन्न धर्मों में बिगड़ी हुई शक्लों में इस आधारभूत पारलौकिक धारणा का पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर ने सारी मानवता के मार्गदर्शन के लिए अपने ईशदूतों एवं सेदेष्टाओं के माध्यम से सारी मानवता के मार्गदर्शन के लिए अपने ईशदूतों एवं संदेष्टाओं के माध्यम से जो संदेश दिया उसका मूल एक ही है। यह सारी मानवजाति उस दयावान ईश्वर का परिवार है। जब ईश्वर एक है, सारी मानवजाति एक है, तो उसका संदेश अलग-अलग कैसे हो सकता है ? उसकी दी हुई जीवन- व्यवस्था एक ही हो सकती है। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि पूरी मानवजाति के लिए धर्म शुरू से एक ही था और एक ही है। हज़रत आदम (अलैहि०) से लेकर अंतिम ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) तक इस धरती पर एक लाख से अधिक ईशदूत आये और सभी ने ईश्वरीय आदेशों के आगे संपूर्ण समर्पण का रास्ता बताया, समर्पण के इसी रास्ते को अरबी भाषा में इस्लाम कहा जाता है। बहुत सारे ईशदूत जिनके नाम पर लोगों ने अलग-अलग धर्म बना लिए, वे सभी ईश्वर के आगे समर्पण (यानी इस्लाम) ही का संदेश लेकर आये, यानी हज़रत इबराहीम (अलैहि०), हज़रत मूसा (अलैहि०) और हज़रत ईसा (अलैहि०) ये सभी इस्लाम के पैग़म्बर थे और हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) इस्लाम के सबसे अंतिम पैग़म्बर थे। कोई भी व्यक्ति उस वक़्त तक मुसलमान नहीं कहला सकता जब तक कि वह ईश्वर के तमाम पैग़म्बरों पर और उनके लाए हुए संदेश व तरीक़े पर विश्वास न करे।

धर्म का नाम लेकर स्वार्थी लोगों ने इतना अधर्म और अन्याय किया है कि लोग अब धर्म के नाम ही से डरने लगे हैं, बल्कि धर्म ही को समाज में बहुत-सी ख़राबियों और आपसी नफ़रत हिंसा का कारण मानने लगे हैं। यह भी सत्य

है कि स्वार्थी लोगों ने धर्म की आड़ में अपना या एक वर्ग का वर्चस्व क़ायम करने और रखने के षड्यंत्रकारी प्रयास किये और समाज को ऊंचे-नीचे कई तबक़ों में बांटने और उनमें आपस में नफ़रत फैलाकर समाज को तोड़ने और अपने आप को मज़बूत करने का प्रयास आज तक जारी है । यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि इन्सानों को बांटने वाला, समाज को तोड़ने वाला, इन्सानों के बीच ऊंचे और नीचे का भेद करने वाला धर्म हो ही नहीं सकता । सच्चा धर्म (जो हमेशा से एक ही रहा है) इन्सानों को तोड़ता नहीं, बल्कि जोड़ता है । आज बुरे लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, बुराइयों को फैलाने के लिए, अन्याय और अत्याचार करने वाले, नफ़रत फैलाने और समाज को बांटने वाले संगठित हैं । अत: समाज को बचाने एवं इसे सही दिशा में ले जाने के लिए अच्छे लोग, सच्चे धार्मिक लोग एवं धर्माचार्यों को संगठित होकर कम से कम उन मुद्दों पर समाज में जाग्रति का काम करना चाहिए, जिन पर सबकी सहमति है ।

चरित्र और नैतिकता का दीवालियापन ऐसा विषय है, जिसे दूर किये बिना हमारी शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था, विज्ञान एवं तकनीक की प्रगति, राजनीतिक एवं न्याय व्यवस्था ठीक हो ही नहीं सकती । चरित्र एवं नैतिकता के आधार के बिना हमारी विज्ञान एवं तकनीकी प्रगति फ़ायदे से ज़्यादा नुक़सान पहुंचाएगी । देश को मज़बूत एवं सुदृढ़ बनाने का सपना मज़बूत नैतिक आधार के बिना पूरा होना संभव नहीं है । अगर हम भौतिक समृद्धि के महल को मज़बूत नैतिक आधार पर बनाने का प्रयास करें तो मेरा विश्वास है कि हम पूरी दुनिया के नायक एवं मार्गदर्शक बन जाएंगे । मगर मेरा भी विश्वास है कि यह मज़बूत नैतिक आधार एक ईश्वर पर विश्वास, उसके द्वारा भेजे गये मार्गदर्शन, ईश्वर के सामने जवाबदेही का पूरा भरोसा, इस जीवन के बाद अनंत पारलौकिक जीवन पर यक़ीन और उस दयावान ईश्वर की ओर से पूरी मानवजाति के लिए दी गयी जीवन व्यवस्था को अपनाये बिना संभव नहीं है ।

हम सबको मिलकर ऐसे प्रयास करने और वातावरण तैयार करने की ज़रूरत है कि हर प्रकार के पूर्वाग्रहों और पक्षपात से रहित होकर खुले दिल और दिमाग़ से यह जानने का प्रयास किया जाए कि हम सबके स्रष्टा, दयावान ईश्वर का मार्गदर्शन क्या है और उस तक सबकी पहुंच आसान हो जाए । सत्य तक पहुंचने की राह में जितने परदे, रुकावटें और दूरियां हैं उनको हटाने की कोशिश करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है । हम सब में बहुत सारी समानताएं और बहुत सारे मूल विषयों पर सहमति होते हुए भी अजनबियत और दूरियां पायी जाती हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण हमारे बीच संवाद का अभाव है और इसका लाभ उठाकर स्वार्थी और धर्मविरोधी लोगों ने धर्म का नाम लेकर हमारी दूरियों को बढ़ाने का प्रयास किया । इसलिए भी यह आवश्यक है कि हम सब आपस में मिलने-जुलने, एक-दूसरे की आस्थाओं और विचारों को जानने-समझने, साहित्य के आदान-प्रदान और समाज की बुराइयों और मूलभूत समस्याओं के हल के लिए मिल-जुलकर प्रयास करने का वातावरण तैयार करें ताकि सत्य तक पहुंचना सबके लिए आसान हो जाए ।

सच्चे धार्मिक लोगों एवं धर्माचार्यों के बीच निष्ठापूर्ण संवाद से भ्रम और अविश्वास दूर होगा, आपसी विश्वास बढ़ेगा, निराशा की जगह आशा का वातावरण पैदा होगा, हमारी दूरियां कम होगी निकटता बढ़ेगी, हम असत्य और अधर्म के अंधेरों से निकलकर सत्य की रोशनी की तरफ़ जाएंगे । ईश्वर हम सबकी सहायता करे, और हमें अपना आज्ञाकारी बना लें, ताकि हम सब इस जीवन में भी सफल हों और वास्तविक और अनन्त पारलौकिक जीवन में भी हमें सफलता मिले, हमें अपने स्रष्टा की निकटता मिल सके और वह हमसे राज़ी एवं प्रसन्न हो ।

संघ और हिन्दुत्व

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ऐब यह नहीं है कि वह 'हिन्दू' हैं, ऐब यह है कि वह हिन्दुत्व को संकीर्ण और द्वेषमूलक रूप देकर उसका अहित करना है, उसके हज़ारों वर्ष के अर्जन को स्खलित करता है, सार्वभौम सत्यों को तोड़-मरोड़ कर देशज या प्रदेशज रूप देना चाहता है यानी झूठा कर देना चाहता है ।

वास्तव में 'हिन्दू' नाम उसके लिए छोटा पड़ता है, वह नाम न उतना पुराना है, न उतना व्यापक अर्थ रखने वाला, न उसके द्वारा स्वयं चुना हुआ है । यह उत्तर मध्यकाल की और इस्लाम से साक्षात्कार की देन है । इसके बोध से ही आर्य समाज में यह भावना प्रकट हुई थी कि अपने को 'हिन्दू' न कहकर 'आर्य' कहें । 'हिन्दू' धर्म 'आर्य धर्म' की एक परवर्ती शाखा भर थी । जो हो नाम एक बिल्ला-भर है और जिस वस्तु को चाहे जिसने, चाहे जब नाम दिया, महत्व वस्तु का है और उसके बारे में इस आधार पर भेद करना कि कौन 'इसी मिट्टी में' उपजी, कौन बाहर से आयी, ग़लत है ।

● सच्चिदानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय'

यूसुफ़ इस्लाम की ज़ुबानी इस्लाम के सुखद अनुभव

वास्तविक सुख-शांति सिर्फ़ इस्लाम में

ब्रिटेन के विश्व विख्यात पॉप सिंगर कैट स्टीवेन के इस्लाम क़ुबूल करने की कहानी और उनके विचारों को बशीर अख़्तर द्वारा संपादित और सिद्दीक़ी ट्रस्ट, कराची द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका, नयी दिल्ली से प्रकाशित अंग्रेज़ी साप्ताहिक 'रेडिएंस' में उनके विभिन्न इंटरव्यू, ''तामीरे हयात'' में और अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों से संपादित किया गया है । यहां कुछ मुद्दों पर उनके विचारों का केवल सार दिया गया है, पूर्ण अनुवाद नहीं । इस आलेख का सार-संक्षप किया है जनाब मलिक अहमद सुरूर ने । पूरा आलेख जनाब यूसुफ़ इस्लाम (कैट स्टीवेन) के आत्मकथ्य पर आधारित है ।

–संपादक

युसुफ़ इस्लाम का जन्म 21 जुलाई 1948 ई॰ को ब्रिटेन में हुआ । उनके पिता एक यूनानी थे और मां का संबंध स्वीडन से था । उनका नाम स्टीफ़न डिमिट्री जार्जियो Stephen Demitri Georgion) रखा गया । उनका पालन-पोषण यूनानी आर्थोडॉक्स परंपरा के अनुसार हुआ, मगर वे कैथोलिक स्कूलों में ही जाते रहे । जब उन्होंने संगीत की दुनिया में क़दम रखा तो अपना नाम बदल कर कैट स्टीवेन रख लिया । नाम के परिवर्तन के बारे में यूसुफ़ इस्लाम का कहना है ''मैं सोच भी नहीं सकता था कि काई व्यक्ति म्यूज़िक स्टोर पर जाएगा और स्टीफ़न डिमिट्र जार्जियो के नाम से मेरा म्यूजिक अल्बम मांगेगा । इंग्लैंड हो या अमेरिका पश्चिम के लोग केवल जानवरों से प्रेम करते हैं, इसलिए मैंने अपना नाम कैट स्टीवेन रख लिया ।''

इस्लाम स्वीकार करने के बारे में बताते हुए यूसुफ़ इस्लाम बताते हैं : जब मैं किशोरावस्था में पहुंचा तो मैंने अपने चारों ओर संसार की आधुनिक टेक्नॉलोजी वाले देशों में जीवन की अत्याधुनिक सुविधाओं को पाया । मैं जिस वातावरण में जवान हुआ उसमें हर ओर व्यापार और भौतिक सुख-सुविधाओं का वर्चस्व था । शिक्षा के बाद मैं भी उसमें व्यस्त हो गया । हमारे घर में ईसाइयत का हस्तक्षेप केवल मौखिक हस्तक्षेप तक था ।

मेरी आवाज़ बहुत अच्छी थी, अत: मैंने एक धनी आदमी बनने के लिए संगीत को चुना और पूरी शक्ति और एकाग्रता के साथ उसमें लग गया । थोड़े समय बाद मेरा सपना पूरा हो गया और मैं संसार का विख्यात पाप सिंगर बन गया । मेरे गाने और फ़ोटो के अल्बम अन्तर्राष्ट्रीय दौड़ के सभी गायकों से कहीं आगे निकल गये । मेरे गीतों के वे कैसेट्स जिन्होंने विश्व स्तर पर लोकप्रियता की धाक बिठा दी, उनमें ''चांद की छांव'', ''वहशी दुनिया'' और ''मुझे अपने कुत्ते से प्यार है'' उल्लेखनीय हैं ।

मेरे अल्बम और गानों के कैसेट्स ने बाज़ार में बिकने के रिकार्ड तोड़ दिये । इस प्रकार मैं संगीत की दुनिया में सबसे अधिक विख्यात 'विश्व स्टार' बन गया और मेरे पास धन का अंबार लगने लगा । मुझे संसार की प्रत्येक सुविधा प्राप्त थी । हर वह चीज़ मेरे पास थी, जिसकी मैं इच्छा करता था, लेकिन कभी-कभी मैं सोचता कि क्या धन ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है ? क्या यही सफलता है ? सब कुछ होते हुए भी मेरे हृदय में असंतोष क चुभन हुआ करती थी । मैंने दुनिया के सब मज़े लूटे, लेकिन वास्तविक सुख और शांति से वंचित ही रहा ।

अनाथ लड़कों की पुकार

VOICE OF ORPHAN BOYS

यतीमख़ाना इस्लामिया (गया)



एक परिचय

● दीनी और असरी शिक्षा की अपनी तरह की जानी-मानी रिहाइशी पाठशाला ● 94 वर्षों की सेवाएं ● बहुत से विभाग ● शिक्षा के पड़ाव : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● हिफ़्ज़ का विभाग : हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक ● हर वर्ष बिहार स्कूल बोर्ड परीक्षा का 100 प्रतिशत रिज़ल्ट ● पत्राचार शिक्षा 2010-2011 के सत्र के लिए 11वीं, 12वीं और बी०ए० में प्रवेश जारी ● कंप्यूटर की भी शिक्षा ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक अनाथ छात्र पर वार्षिक ख़र्च 12000/- रुपये प्रति वर्ष ● कुल वार्षिक ख़र्च 15 लाख से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● 125 अनाथ बच्चे जिनका पूरा ख़र्च इदारा ही उठाता है ।

● जिस रूप में संभव हो मदद करके अल्लाह से बड़ा इनाम प्राप्त करें–उदाहरण के लिए ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● क़ुरबानी की खाल ● एक अनाथ बच्चे का वार्षिक ख़र्च ● अपने या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर कमरा या हॉल बनवाना आदि ।

● याद रखें यहां हर वर्ष ऑडिट (Audit) भी कराया जाता है । आप खुद यतीमख़ाना इस्लामिया पहुंच कर बराबरी का व्यावहारिक नमूना अपनी आंखों से देखें कि किस प्रकार अनाथ और मां-बाप वाले बच्चे मिल-जुलकर रहा करते हैं ।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

नोट : यह इदारा विदेशी मुद्रा के क़ानून FCRA के तहत भी रजिस्टर्ड है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

अब आप विदेश से BANK A/c No. 300402010000187

BANK CODE NO. UBININBBJAM,
UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)
में अपनी रक़म भेज सकते हैं

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

चेक, ड्राफ़्ट, मनीऑर्डर या ख़त भेजने का पता

Hon. SECRETARY, THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE
At+P.o : CHERKI-824237, Distt : GAYA (BIHAR) INDIA

LOCAL DONARS मक़ामी चन्दा देने वाले

BANK A/C NO. : 10581, UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)
CORE BANKIN G A/C NO.: 300402010010581, ☎ 0631-2734428 ● Mobile : 9955655960
E-mail : gmocde@yahoo.co.in, Website : www.gmogaya.com

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके ।

अध्यक्ष
डॉ० फ़रासत हुसैन

एज़ाज़ी नाज़िम
डॉ० मुहम्मद एहतिशाम रसूल

मैं एक ईसाई था और कभी-कभार सोचता था कि जीवन के आकर्षण में डूबे रहने और सप्ताह के 6 दिन संसार के धंधों में इस प्रकार खोये रहने की क्षतिपूर्ति क्या केवल रविवार में गिरजाघर में उपस्थिति से हो जाती है ? इस प्रकार की भौतिकवादी दुनियादारी और हमारे धर्म की अपेक्षाओं का परस्पर तालमेल क्या है ? ऐसी बातों पर विचार करके मैं बड़ा परेशान हो जाता और मुझे कहीं से अपने मस्तिष्क में उभरने वाले इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता । मैंने अपने मन की शांति के लिए कई मार्ग अपनाये मगर थोड़ी दूर चलकर यह अनुभव हो जाता कि यह मार्ग गंतव्य तक नहीं पहुंचा सकता ।

मैं बचपन से ही एक कलाकार बनने का सपना देखा करता था और इसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की । गायक बनने के बाद मुझे एक डांसर बनने की सूझी । इन व्यस्तताओं के साथ-साथ मेरे आध्यात्मिक प्रयासों की यात्रा भी आरंभ हो चुकी थी और मैं समझता हूं कि अपनी आयु के उन्नीसवें वर्ष में जबकि मैं अपनी ख्याति की चरम सीमा पर था, मुझे एक तीव्र मानसिक झटके का अनुभव हुआ । मैं सांसारिक चीज़ों में खो चुका था, लेकिन कभी-कभी वह सब कुछ मुझे निरर्थक लगने लगता । संपत्ति और ख्याति दोनों मेरी दासियां थीं । ऐसे में मुझे अचानक विचार आया कि यह धन-संपत्ति जो मेरी आवश्यकताओं से कहीं अधिक है । इससे ग़रीबों और अभावग्रस्तों को लाभ न पहुंचे, तो यह किस काम की है ? मैं इतने सारे धन का क्या करूंगा ?

इसके बाद मैंने अपना धन अभावग्रस्त लोगों पर ख़र्च करना शुरू किया तो मुझे किसी हद तक संतुष्टि होने लगी और संगीत की दुनिया के हंगामे से मुझे नफ़रत होने लगी । ग़रीबों को धन बांटकर संतोष तो हुआ मगर यह गहरा संतोष नहीं था, जबकि मेरा हृदय एक पूर्ण संतोष की तलाश में था । पूर्ण संतोष की प्राप्ति में जब मुझे विफलता हुई, तो मैंने मादक पदार्थों का सेवन आरंभ कर दिया । यह सेवन इतना बढ़ गया कि मेरी शारीरिक और मानसिक शक्तियां क्षीण होने लगीं, यहां तक कि मैं अस्पताल पहुंच गया ।

इस स्थिति से मुझे जीवन के महत्व का अनुभव हुआ और मुझे लगा कि मैंने अपना अब तक का जीवन निरुद्देश्य ही बिता दिया । मैं कौन हूं ? कहां से आया हूं । क्यों आया हूं ? कहां जाऊंगा जैसे प्रश्न मेरे मन-मस्तिष्क में बैठ गये, जिनके उत्तर खोजने के लिए मैं गिरजाघर जाने लगा और पूर्वी धर्मों का अध्ययन करने लगा । इसी दौरान मेरे हाथ एक किताब लगी जिसका नाम था दि 'सीक्रेट पाथ' (गुप्त मार्ग)। यही किताब आध्यात्मिक जीवन से मेरा परिचय कराने वाली सिद्ध हुई । एक बार तो शांति की खोज में मैंने बौद्ध धर्म अपना लेने की ठान ली, लेकिन इसके अध्ययन से पता चला कि एक भिक्षु का जीवन सामान्य मनुष्य के जीवन से पूर्णत: भिन्न होता है—फिर वह जीवन भी क्या कि सबसे संबंध तोड़कर और सब कुछ छोड़कर जंगल और निर्जन स्थानों में रहने लगें और जीवन की कोई गतिविधि बाक़ी न रहे ।

कुछ समय के लिए मुझे योग ने भी बहुत प्रभावित किया । इसके विभिन्न अभ्यास मुझे पसन्द आये और कभी-कभी मुझे थोड़ी शांति भी मिली लेकिन जल्दी ही मुझे लगने लगा कि योग और इस प्रकार के अभ्यास जीवन की वास्तविकता नहीं है । इसके नियम बाहर से कितने ही भले क्यों न लगते हों जीवन की सभी आवश्यकताओं व्यावहारिक कार्यों को अपने भीतर नहीं ले सकते । आप अपने सारे प्रश्नों का उत्तर इससे नहीं मांग सकते । विभिन्न तरीक़ों और धर्मों में कोई-कोई बातें बहुत ही अच्छी और आकर्षक दिखायी देती हैं, लेकिन जीवन का पूर्ण मार्गदर्शन नहीं करती हैं । यह सोच-सोचकर मेरे ऊपर निराशा और आच्छादित होने लगा ।

मेरी आयु अब 25 वर्ष के लगभग हो चुकी थी और काम चल रहा था । उसी दौरान मेरे बड़े भाई डेविड को यरुशलम जाने का संयोग हुआ । वह वहां पवित्र स्थानों के दर्शन के लिए गया था । वहां वह देखना चाहता था कि हज़रत ईसा का जन्म कहां हुआ । उन्होंने अपने जीवन के दिन कहां-कहां गुज़ारे और किन-किन स्थानों पर दीन के प्रचार का काम किया । संभवत: वह आत्मा की संतुष्टि के लिए वहां गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे वहां कुछ भी नहीं मिला । इसे आप एक चमत्कार ही समझें कि वह मस्जिदे अक़सा भी देखने चला गया । वह उसकी भव्यता से बहुत प्रभावित हुआ और उसे वहां एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक शांति का अनुभव हुआ । ईसाई और यहूदी इबादतगाहों के विपरीत यहां एक अलग अनुभव हुआ।

वह इससे पहले किसी मस्जिद में नहीं गया था । उसने देखा कि यहां कोई राज़ नहीं है, हर चीज़ खुली है । यहां से मेरे भाई ने अंग्रेज़ी अनुवाद वाला क़ुरआन लिया और

लाकर मुझे भेंट कर दिया । उसने मुझे मस्जिद अक़्सा और मुसलमानों के बारे में कुछ बातें भी बतायीं ।

मैंने जब कुरआन पढ़ना शुरू किया तो मुझे उन सभी सवालों के जवाब मिल गये जिन्होंने मुझे बेचैन कर रखा था । मुझे ऐसा लगा कि मुझे शांति मिल गयी है । अब मुझे जगत की सच्चाई का भी पता चल गया था, मानव इतिहास का भी, अल्लाह के अस्तित्व का भी, यह भी कि मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है । मैंने इस सच्चाई को भी पा लिया कि मुक्ति का एकमात्र रास्ता यह है कि मैं मुसलमान हो जाऊं, लेकिन यह भी सोचता था कि यह काम बड़ा कठिन है, क्योंकि इस्लाम दूसरों के साथ नरमी से बात करने को कहता है । लोगों के बीच पवित्र संबंध और आपसी भाईचारे को बिना किसी प्रकार के भेदभाव के स्थापित करता है ।

मुझे कुरआन मजीद में ईसा (अलैहि०) भी नज़र आये जिनका अपना एक व्यक्तित्व था और अपना एक संदेश था । वे न खुदा थे न खुदा के बेटे । मुझे इसमें हज़रत इबराहीम (अलैहि०) भी नज़र आये, जिन्होंने अल्लाह की खुशी के लिए हर तरह की कुरबानी के लिए खुद को पेश कर दिया । सब पैग़म्बर अल्लाह के भेजे हुए हैं, सब सम्मानीय हैं । सबके बाद हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) दुनिया में अल्लाह का पैग़ाम लेकर आये, जिनका पैग़ाम रहती दुनिया तक के लिए है । अब यह हमारा काम है कि उनके बताये हुए मार्ग पर चलें और लोक-परलोक की सफलता प्राप्त करें ।

कुरआन के अध्ययन से मुझे वह पूर्ण जीवन व्यवस्था मिल गयी, जिसके लिए मैं भटकता फिर रहा था । अब संदेह के सभी कांटे निकल चुके थे और ईमान के ताज़ा फूल खिलने लगे थे । मैं कोई डेढ़ वर्ष तक कुरआन को बार-बार पढ़ता रहा और सोचता रहा कि शायद मैं इसी के लिए पैदा किया गया हूं और यह मेरे लिए भी अवतरित हुआ है । फिर मैं एक दिन मस्जिद अक़्सा पहुंच गया । अब तक मैं किसी मुसलमान से नहीं मिला था । यहां मेरे भीतर यह भावना तीव्र हो गयी कि मैं जल्दी से कोई फ़ैसला कर लूं अर्थात यह कि मैं मुसलमान हो जाऊं और संगीत के धंधे को छोड़ दूं । मस्जिद में मैंने मुसलमानों से मुसलमान होने की इच्छा जता दी, मगर इस्लाम स्वीकार नहीं किया । मैं वापस लंदन आ गया ।

"व्यापार, जिसमें रब की नाफ़रमानी के तरीक़े न अपनाये जाएं और अपने हाथ से काम करना-ये दोनों जीविका अर्जित करने के सर्वोत्तम तरीक़े हैं ।"

(हदीस)

M/S NEEL KAMAL FABRICS

BURHANPUR

यहां मैंने एक मुसलमान बहन से, जिसका नाम नफ़ीसा था अपनी भावनाएं व्यक्त कीं, उसने मुझे जामा मस्जिद जाकर इस्लाम स्वीकार करने का सुझाव दिया । इस प्रकार क़ुरआन का उपहार मिलने के ठीक डेढ़ वर्ष बाद दिसम्बर 1977 ई॰ में मैंने इस्लाम क़बूल करने की घोषणा कर दी । वह जुमा का दिन था ।

''अचानक आपने सारी बुरी आदतें कैसे छोड़ दी ?'' यह पूछे जाने पर यूसुफ़ इस्लाम ने बताया कि मैं जानता था कि इन बुराइयों को छोड़ देना ही बेहतर है । ये बुराइयां वास्तव में मुझे बर्बाद कर रही थीं जैसे सिगरेट-शराब और ब्याज आदि । लेकिन अपने पुराने मित्रों से संबंध तोड़ना मेरे लिए सबसे कठिन साबित हुआ । मैं यह बात नहीं समझ सका कि वे लोग इस्लाम के संदेश को क्यों नहीं समझ सके । जहां तक मुझसे हो सका मैं मित्रता निभाता चला गया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब अपने दीन के लिए मैंने यह फ़ैसला कर लिया कि अपने अतीत और इस्लाम के बीच मुझे एक रेखा खींचना होगा । इसके लिए मुझे कई परीक्षाओं से गुज़रना पड़ा ।

पहले जब नमाज़ का समय होता तो मैं अपने मित्रों से माफ़ी मांग कर उठ जाता और चुपके से नमाज़ पढ़ आता । लेकिन बाद में मैंने सबको बता दिया । अब सबने मेरा दृष्टिकोण समझ लिया और इसके लिए वे सब मेरा सम्मान करने लगे । जब आप अपनी बात पर डट जाएं और अपना फ़र्ज़ अदा करते चले जाएं तो अल्लाह तआला उसमें आसानी पैदा कर देता है । इसके बाद मुझे कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई ।

इस्लाम क़बूल करने के दो वर्ष बाद मैंने संगीत को पूर्णत: छोड़ दिया और अल्लाह से वादा किया कि मैं पूरी शक्ति से तेरी बन्दगी करूंगा, तेरी तौहीद (एकेश्वरवाद) के लिए अपना जीवन लगा दूंगा । मैंने अपना नाम बदलकर यूसुफ़ इस्लाम रख लिया । फिर मैंने क़ुरआन की व्याख्या और हदीस की शिक्षा लेनी प्रारंभ कर दी ताकि मैं ब्रिटेन के लोगों को इस्लाम की ओर बुला सकूं । मेरे आह्वान पर मेरा भाई डेविड भी मुसलमान हो गया । मेरे पिता जो नास्तिक थे, मेरे लगातार आह्वान पर अपनी मृत्यु से एक दिन पूर्व वे भी मुसलमान हो गये । मैंने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली । अल्लाह ने मुझे पांच बच्चे दिये हैं चार लड़कियां और एक लड़का ।

इस समय यूसुफ़ इस्लाम यूरोप में एक बड़े मुबल्लिग़ (इस्लाम धर्म के आवाहक) के रूप में जाने जाते हैं । उन्होंने अरबी भाषा भी सीख ली और क़ुरआन व सुन्नत का भी ज्ञान प्राप्त किया । इस्लाम का पैग़ाम केवल ज़ुबान से ही नहीं फैलता, बल्कि हमें अपने कर्म ठीक करने पर पूरा ज़ोर देना चाहिए । हज़रत आइशा फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) का जीवन क़ुरआन की व्याख्या था । क़ुरआन को केवल पढ़ लेना काफ़ी नहीं । अल्लाह तआला ने क़ुरआन में आदेशपालन करने के लिए दिये हैं । उन्हें अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है ।

यह पूछे जाने पर कि क्या आप अपने पुराने संगीत को अब भी सुनते हैं ? उन्होंने कहा कि अज्ञानकाल के गाने को मैं अब नहीं सुनता, बल्कि मैंने कुछ इस्लामी तराने शुरू कर दिये हैं । मैंने कुछ नअत पढ़ी है । बोस्निया के मुसलमानों पर होने वाले अत्याचार पर भी मैंने एक कैसेट रिलीज़ की है । बच्चों के लिए कई इस्लामी तरानों की कैसेट भी रिलीज़ की है । इसी तरह मलेशिया के रैहान के साथ मिलकर दो तराने ''अल्लाहु अलफ़ौज़'' और ''ख़ातिमुर रुस्ल'' पढ़े । यह सब अल्लाह के लिए है, क्योंकि इस्लाम संगीत के कारोबार से मना करता है ।

जब मेरे घर पहली बच्ची पैदा हुई तो मेरे मन में यह विचार आया कि लंदन में ऐसे स्कूल और शिक्षा संस्थाएं होनी चाहिए, जहां मेरे बच्चे आधुनिक शिक्षा के साथ दीनी शिक्षा भी प्राप्त कर सकें । अत: 1983 ई॰ में मैंने यह काम आरंभ कर दिया । अल्लाह का शुक्र है कि इस समय हमारा स्कूल ब्रिटेन में सबसे ऊपर है ।

विश्व शांति के लिए उनके प्रयासों पर यूसुफ़ इस्लाम को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है । इनमें 2003 ई॰ का वर्ल्ड अवार्ड, 2004 ई॰ में पीस अवार्ड और 2007 ई॰ में रोमन अवार्ड फॉर पीस आदि प्रमुख है ।

उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए 'कान्ति' को सम्मान

हिमालय और हिन्दुस्तान फ़ाउंडेशन की ओर से उत्कृष्ट एवं सराहनीय पत्रकारिता सेवाओं के लिए 'कान्ति' मासिक को सम्मानित किया गया है । 'हिमालय और हिन्दुस्तान' की 19वीं वर्षगांठ पर विगत दिनों ऋषिकेश में आयोजित समारोह में प्रशस्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया ।

कुल हिन्द मुक़ाबला

"रूदाद जमाअत इस्लामी हिन्द का अध्ययन कीजिए और इनाम पाइए

● प्रथम : 5,000 ● रुपये द्वितीय : 3,000 ● रुपये तृतीय : 2,000 रुपये

रूदाद जमाअत इस्लामी हिन्द प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग का अध्ययन कीजिए और 20-20 पृष्ठों (फुलस्केप) में अध्ययन सार लिखिए और हमें भेज दीजिए। आपका लेख प्राप्त होने के बाद आपको एक प्रश्न पत्र भेजा जाएगा, जिनके उत्तर हमें 31 जुलाई 2012 तक मिल जाने चाहिए। रिजल्ट की घोषणा 30 सितम्बर 2012 को की जाएगी।

- इस मुक़ाबले में सभी महिला-पुरुष और छात्र-छात्राएं भाग ले सकते हैं, जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक न हो।
- अपना लेख उर्दू, हिन्दी या अंग्रेज़ी किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। ये किताबें उर्दू और हिन्दी में उपलब्ध हैं।
- **किताबें मिलने का पता :** मर्कज़ी मक्तबा इस्लामी पब्लिशर्स, डी-307, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-25

नोट : संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :

दावतुल क़ुरआन लखनऊ

मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रिसर्च सेन्टर
कल्लन की लाट, अमीनाबाद, लखनऊ-226018
ई मेल : dawatulquran@yahoo.com

आयोडीनयुक्त नमक : स्वास्थ्य के लिए घातक

■ डॉ॰ सुशील गुप्ता
(सहारनपुर, उ॰प्र॰)

आयोडीन नमक के कई दुष्परिणाम विगत काफ़ी समय से देखने को मिलने लगे हैं । इसके कारण स्त्री-पुरुष में वृद्धिमान प्रजनन विकारों के साथ ही–(1) चर्म, श्वास व पाचन संस्थान की एलर्जी (2) स्त्रियों में बढ़ते श्वेत प्रदर (ल्यूकोरिया), गर्भाशय में फाइब्रोमा (गाठें) (3) हार्मोन्स असंतुलन के कारण यौवनपीड़िकाएं (4) गंजापन आदि हो रहे हैं । इन सभी बीमारियों का संबंध आयोडाइज़्ड साल्ट से है, क्योंकि आयोडीन नमक में मिलाये जाने वाले पोटेशियम आयोडेट और जमने से रोकने वाला पदार्थ ई-536 दोनों ही अधिक मात्रा में शरीर के लिए नुक़सानदेह रसायन हैं । इनसे एलर्जी भी काफ़ी मात्रा में देखने को मिलती है ।

एलोपैथी (आधुनिक चिकित्सा) के अनुसार आयोडीन की अधिक मात्रा एवं साइडइफैक्ट से–होठों, लपकों, गले में सूजन, बुख़ार, जोड़ों में दर्द, गाठों का फूलना, सिरदर्द, खुजली, शरीर में विभिन्न झिल्लियों की सूजन, ज़ुकाम (नज़ला) तथा थोम्बोसाइटोपीनिया (ख़ून में प्लेटलेट्स कम हो जाना) आदि लक्षण मिल सकते हैं । विगत कुछ समय से उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र तथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेंगू, मलेरिया, वायरल बुख़ार के अत्यधिक प्रकोप के कारण प्लेटलेट्स कम हो जाने से कई रोगी मृत्यु के समीप भी पहुंच चुके हैं । इससे समझ सकते हैं कि यह कृत्रिम आयोडाइज़्ड नमक कितना ख़तरनाक सिद्ध हो सकता है ।

हृदय की मांसपेशियां पोटेशियम से अधिक पोषण प्राप्त करती हैं तथा इसी के कारण अच्छा कार्य कर सकती हैं । यह पोटेशियम तैंधव नमक में ही भरपूर पाया जाता है, ज़बकि साधारण आयोडाइज़्ड नमक में बिल्कुल नहीं होता । इसमें केवल सोडियम क्लोराइड होता है, जो स्वयं हृदयरोगियों व ब्लडप्रेशर रोगियों के लिए ख़तरनाक माना जाता है । इसीलिए हृदयरोगियों को साधारण आयोडाइज़्ड नमक की जगह कृत्रिम लोना नमक (कम सोडियम वाला) प्रयोग करने की सलाह दी जाती है । जबकि साधारण सस्ता सैंधव नमक इसका सर्वश्रेष्ठ विकल्प है । बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विगत कई वर्षों से किया जा रहा आयोडीन युक्त नमक का भ्रामक प्रचार-प्रसार कुछ लोगों की समझ में आने लगा था, परंतु विदेशी मानसिकता की गुलाम सरकारें इसे समझने को तैयार नहीं हैं । इसी अपनी मानसिकता के कारण सैकड़ों औषधियों और पदार्थों को विदेशी कंपनियां निरंतर पेटेंट करा रही हैं । पांच रुपये किलो के आलू के चिप्स एक हज़ार रुपये किलो में कंपनियां बेच रही हैं ।

Prop : Abid Hussain
09413037652
09252235194

Shop : Mujahid Hussain
09214747172

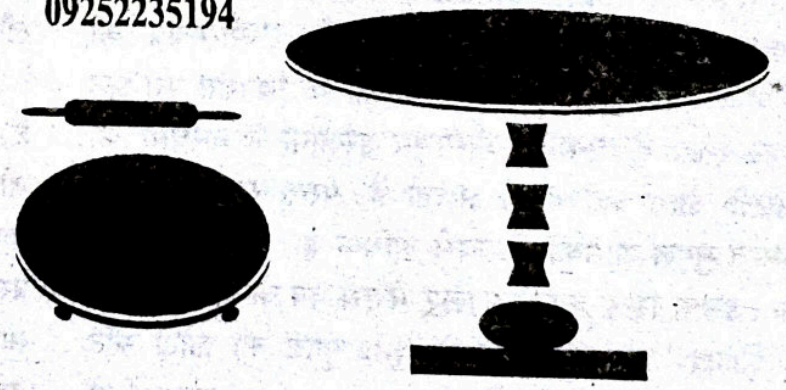

कान्ति मार्बल हैंडीक्राफ्ट

सभी प्रकार के वन पीस और ज्वाइंट पीस चकलों के निर्माता व थोक विक्रेता, मार्बल के फव्वारे तथा टेबल, टेलीफ़ोन स्टेंड, नोजल लैंप, गमले, घड़ी व फैंसी आइटम

Shop : Hotel Moti Mahal, Manglana Road, Makrana-341505
Fact : Bypass Mor, Opp : Sai Kirpa Petrol Pump, Makrana Road, Borawad (Raj.)

■ डॉ॰ मुहम्मद अहमद

परलोक की वास्तविकता

संपादक के नाम पत्र

आशा है कि आप सकुशल होंगे । मासिक पत्रिका 'कान्ति' का दिसम्बर 2011 माह का अंक पहली बार पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ । इस्लाम के प्रचार-प्रसार में लगी इस पत्रिका में कई हिन्दू पाठकों व लेखकों का जुड़ाव देखकर अच्छा लगा । शायद आप इस्लाम को सिक्के के दोनों पहलू से देखने का सेक्यूलर प्रयास अवश्य करते हैं । ऐसा ही प्रयास काफ़ी समय से निरंतर मैं भी कर रहा हूं, इसी लिए मैंने इसी वर्ष पैग़म्बर मुहम्मद साहब की पूरी जीवनी पढ़ी, इसके बाद पवित्र कुरआन का हिन्दी अनुवाद पढ़ा । परन्तु उसमें कई जगह जन्नत में शराब, कमसिन और हम उम्र, कभी न बूढ़ी होने वाली हूरें, मोती जैसी बिखरे हुए लड़के मिलने की बातें होना मुझे आश्चर्यचकित करते हैं तथा इस्लाम के प्रति मेरे मन में श्रद्धा को कम करते हैं ।

दिसम्बर 2011 के 'कान्ति' के इस अंक में ज़फ़र अहमद (लखनऊ) द्वारा लिखित लेख "औरंगज़ेब की धार्मिक सहृदयता" वास्तव में सत्यता के विपरीत पूरा झूठ नज़र आता है, क्योंकि औरंगज़ेब इस्लामी विचारधारा का अस्ली चेहरा अवश्य हो सकता है, परन्तु सत्यता में वह समस्त मुग़ल शासकों में सबसे अधिक क्रूर और अत्याचारी था । इसके सिद्ध करने के लिए मैं इस पत्र के साथ "भारत में जिहाद" नामक पुस्तक के कुछ पृष्ठों की फोटो स्टेट प्रतियां भेज रहा हूं, जिन्हें मुस्लिम लेखकों की पुस्तकों से लिया गया है ।

भारतीय उपमहाद्वीप के देशों (भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश आदि) का इतिहास गवाह है कि यहां के 98 प्रतिशत मुसलमानों के पूर्वज कभी न कभी हिन्दू ही थे, जो मुग़ल शासकों के समय छल, बल, अत्याचार अथवा युद्धों में हराकर इस्लाम में मतांतरित किये जाते रहे, इसीलिए मुसलमानों में भी हिन्दुओं के समान राजपूत, तेली, जुलाहे, काम्बोज, त्यागी आदि अनेकों उपजातियां मिलती हैं जो इस्लाम के मूल स्थान अरब में हरगिज़ नहीं होती । अर्थात अधिकांश भारतीय मुसलमानों को उनके हिन्दू पूर्वजों और उनकी हिन्दू संस्कृति के बारे में याद दिलाकर हिन्दू-मुस्लिम भाईचारा स्थापित करना हमारी और आपकी सबकी ज़िम्मेदारी है । क्योंकि धर्म बदल लेने से मां-बाप और पूर्वज नहीं बदल जाते ।

डॉ॰ सुशील गुप्ता
शालीमार गार्डन कॉलोनी
निकट : बेहट बस स्टैंड, सहारनपुर-247001 (उ॰प्र॰)

जवाब : आपका विस्तृत स्नेह-पत्र मिला, धन्यवाद । आपने 'कान्ति' के प्रति जो रुचि दिखायी और अपने मंतव्य प्रस्तुत किये उसके लिए तद्अधिक धन्यवाद । आपने जन्नत (स्वर्ग) में मिलने वाली 'उपलब्धियों' पर आश्चर्य प्रकट करने के साथ इस्लाम के प्रति जिस न्यून श्रद्धा की बात लिखी है, वह वास्तव में आश्चर्यजनक है । जन्नत शाश्वत है और उसकी उपलब्धियां इतनी ही नहीं अनगिनत हैं, जो अपनी प्रकृति के एतिबार से क्षणभंगुरता नहीं रखतीं जैसा कि लौकिक जीवन में है ।

दूसरे धर्म ग्रंथों में भी उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है, यहां तक कि हिन्दू धर्मग्रंथ भी इनसे रिक्त नहीं हैं । वेद जो हिन्दू धर्म के आधार ग्रंथ हैं, उनमें भी उपलब्धियों का वर्णन है । इस सिलसिले में कतिपय उदाहरणों को यहां प्रस्तुत करना समीचीन होगा, ताकि वास्तविकता आपके सामने आ सके और आपके हृदय में इस्लाम के प्रति श्रद्धा बढ़े । बहुत-से उदाहरणों में से कुछेक उदाहरण निम्नलिखित हैं–

ऋग्वेद का मंत्र है–

भोजा जिग्युः सुरभिं योनिमग्ने भोजा
जिग्युर्वध्वं या सुवासाः।
भोजा जिग्युरन्तः पेयं सुराया भोजां
जिग्युर्ये अहूताः प्रयन्ति। (10-107-9)

पद्मभूषण डॉ॰ श्रीपाद दामोदर सातवलेकर इस मंत्र का अनुवाद निम्नलिखित शब्दों में करते हैं–

(स्वर्ग में) उदारदाता प्रथम घी, दूध देने वाली उत्तम

इस्लाम : क्रूरता, नृशंसता के विरुद्ध

गाय को पाते हैं । उदारदाता वे उदारदाता जो उत्तम सुंन्दर वस्त्र खारण (धारण) करती है ऐसी वधू-स्त्री को प्राप्त करते हैं । वे उदारदाता लोग सुरा-मदिरा पाते हैं । जो बिना बुलाये दूसरों पर आक्रमण करते हैं, उनको भी उत्तमदाता विजय प्राप्त कर लेते हैं ।

('ऋग्वेद का सुबोध भाष्य', पृ॰ 237)

अथर्ववेद के चौथे कांड का पूरा 34 सूक्त ही इस विषय पर है । देखिये इसका छठा मंत्र–

धृतहृदा मधुकूला सुरोंदका क्षीरेणं पूर्णा उदकेन दध्ना ।
एतास्त्वा धारा उपयुक्त सर्वा: स्वर्गे लोके मधुमत् पिन्वमाना उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणां समन्ता: ।

(4-34-6)

इसका अनुवाद पं॰ देवीचंद ने इन शब्दों में किया है–

''परिष्कृत मक्खन का सरोवर, मधु के कुंड, शराब से बहती हुई, दूध-दही और पानी से सींचने वाली सब से परिपूर्ण झीलें तुझे प्राप्त होंगी ।''

इसी कांड में है–

अनस्था: पूता: पवनेन शुद्धा: शुचय: शुचिमपि पन्ति लोकम् ।
नैषां शिश्नं प्र दहति जातर्वेदा: स्वर्गे लोक बहु स्त्रैणमेषाम् ।

(अथर्ववेद, 4:34:2)

इस मंत्र का पं॰ देवी चंद द्वारा किया गया अनुवाद निम्नलिखित है–

भौतिक शरीरों को दुरुस्त, परिशुद्ध, पवन के साथ स्वच्छ और ओजवान बनाओ । वे देदीप्यमान लोक (स्वर्ग) में जाएंगे । वहां की 'आग' पुरुष इन्द्रिय को नहीं जला सकेगी । सुखकर और प्रसन्नता देने वाले लोक में उन्हें बहुतायत स्त्रियां प्राप्त होंगी ।

परलोक में स्त्रियों की प्राप्ति की प्रार्थना भी अथर्ववेद में मिलती है–

शुद्धा: पूत: योषितो यज्ञिया इमा ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक सादयामि ।
यत्काम इदमभिषिञ्चामि योऽहमिन्दों मरुत्वान्त्स ददातु तत्मे ।

(अथर्ववेद, 6:122:5)

अर्थात, शुद्ध स्वभाव वाली, पवित्र आचरण वाली, पूजा करने वाली, सेवा करने वाली, स्त्रियों को ब्रह्मज्ञानी पुरुषों के हाथों के कामना वाला मैं इस समय तुम्हारा अभिषेक करता हूं, वह दोषनाशक गुणों वाला संपूर्ण ऐश्वर्य वाला जगदीश्वर वह वस्तु मुझे देवे ।

(पं॰ क्षेमकरण दास के अनुवाद पर आधारित)

ऐसी ही प्रार्थना इस वेद में अन्यत्र (मंत्र 2-2-2) भी मिलती है, जिसका अनुवाद है–''मैं उन अप्सराओं के लिए प्रार्थना करता हूं, जो अत्यंत आनन्द देने वाली हैं ।''

स्वर्गवासी को सेवा कैसे होती है ? कौशीतकि ब्राह्मण (1-4) में एक उदाहरण यह भी है–

'उसके पास पांच सौ अप्सराएं आती हैं, जिनमें से सौ फूलों का हार लिए हुए, सौ कपूर, केसर व कुंकम का चूर्ण, सौ अप्सराएं सुगंधित मंजन, सौ बहुमूल्य एवं चित्ताकर्षक वस्त्र और सौ अपने हाथों में फूलों के बड़े-बड़े गुच्छे लेकर आती हैं और उस स्वर्गवासी को सुसज्जित करती हैं ।'

महाभारत (आदिपर्व 89 : 16-19) के अनुसार अच्छे कर्मों के बदले मनुष्य स्वर्गवासी बनता है, जहां इन्द्रपुरी सबसे उत्तम स्थान हैं । वहां पर नन्दनवन है, जहां इच्छानुसार रूप धारण करके लोग अप्सराओं के साथ विहार करते हुए रहते हैं ।

महाभारत में ही है–

जराशोकक्लमापेता निरातंका शिवा शुभा ।

(सभापर्व, 7-3)

तथैवाप्सरसो राजन् गन्धर्वाश्च मनोरमा: ।
नृत्यवादित्रगीतैश्च हास्यैश्च विविधैरपि ।।

(सभापर्व, 7-24)

अर्थात, वहां बुढ़ापा, शोक और थकावट नहीं, न वहां कोई भय है, वहां गंधर्व (युवक) और मनोहर अप्सराएं नृत्य, वाद्य, गीतों, विभिन्न प्रकार के हास्यों द्वारा मनोरंजन करती हैं ।

महाभारत के शान्ति पर्व (98-47) में है–

वराप्सरा: सहस्राणि शूरमायोधने हतम् ।

مولانا سیّد ابوالاعلیٰ مودودیؒ کی شہرہ آفاق تفسیر

تفہیم القرآن حصہ اوّل کا ہندی اڈیشن

तफ़हीमुल-क़ुरआन [1]

अल-फ़ातिहा – अल-अनआम

ہندی ترجمہ: مولانا نسیم احمد غازی فلاحی

بندگانِ خدا کو خدا اور اس کی کتاب قرآن حکیم سے وابستہ کرنے والی عصری اسلوب میں ہر عام وخاص طبقے کے درمیان یکساں مقبول و پسندیدہ اُردو تفسیر تفہیم القرآن حصہ اوّل کا ہندی زبان میں عام فہم اور دل نشیں ترجمہ۔ ہندی اڈیشن میں 'ترجمہ قرآن مجید مع مختصر حواشی' سے لیے گئے کچھ حاشیے کا اضافہ بھی۔

● سائز: $\frac{۲۰ \times ۳۰}{۸}$ ● صفحات: ۴۴۷ ● ہدیہ: ۳۰۰ روپے

ایس.آئی.او. کے وابستگان ہمارے یہاں کی مطبوعات سے متعلق معلومات یا خریداری کے لیے White Dot Publishers سے براہ راست اس پتے پر رجوع کریں:

D-300 ابوالفضل انکلیو، جامعہ نگر، نئی دہلی-25

مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی ۲۵

D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone: 26971652, 26954341, 26946447(D) Fax: 26947858
E-mail: mmipublishers@gmail.com • **Website:** www.mmipublishers.net

त्वरमाणाभि धावन्ति मम भर्ता भवेदिति ।।

अर्थात, लड़ाई के मैदान में मारे गये शूरवीर की ओर हज़ारों सुन्दरी अप्सराएं यह आशा लेकर बड़े उतावलेपन के साथ दौड़ती हैं कि यह मेरा पति हो जाए ।

औरंगज़ेब विषयक तथ्य

रही आलमगीर औरंगज़ेब विषयक लेख की बात, तो हम विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहते हैं कि इस सम्राट से संबंधित वे तथ्य भी हैं, जो हमने 'कान्ति' के दिसम्बर अंक में प्रकाशित किये हैं । आश्चर्य है कि आपको सारे तथ्य असत्य दिखे और अपनी विशेष मनोवृत्ति का परिचय देते हुए आपने यहां तक लिख दिया कि औरंगज़ेब इस्लामी विचारधारा का अस्ली चेहरा अवश्य हो सकता है । फिर आपने उसे सर्वाधिक क्रूर और अत्याचारी ठहराने की कोशिश की । आपके इन शब्दों का सीधा अर्थ यह हुआ कि इस्लाम क्रूरता और नृशंसता का समर्थक है ।

आपसे निवेदन है कि आप पूर्वाग्रह व पक्षपात से ऊपर उठकर इस्लाम के मौलिक स्रोतों का प्रमाणिक साहित्य के द्वारा अध्ययन करें । वास्तव में इस्लाम शांति और सद्भाव का धर्म है । 'इस्लाम' के धातुगत अर्थ में शांति और सलामती समाहित है । इस्लाम का प्रचार-प्रसार उसकी मौलिकता और ईश्वरीय शिक्षाओं के कारण हुआ और हो रहा है । हमारे देश में भी एक हज़ार वर्ष से अधिक समय तक मुसलमानों ने शासन किया है । ज़ोर-ज़बरदस्ती का शासन अधिक समय तक नहीं चलता । वही शासन दीर्घकालिक होता है, जो शांति, सद्भाव के साथ ही मानवीय मूल्यों व नैतिकता का पैरोकार हो । राजनीतिक बाध्यता और सत्ताकाल की विवशता अलग होती है, लेकिन इन परिस्थितियों में भी धार्मिकता, नैतिकता और मानवीय मूल्यों का त्याग नहीं किया जा सकता ।

यह सच है कि औरंगज़ेब समेत अन्य भारतीय मुस्लिम शासकों की हर बात और कर्म का कोई समर्थन नहीं कर सकता है, परन्तु जो तथ्य तोड़-मरोड़ कर पेश किये गये हैं, उनका भ्रम-निवारण अवश्य किया जाना चाहिए । विशेषकर अंग्रेज़ इतिहासकारों ने भारत के मुस्लिम इतिहास को बहुत अधिक विकृत कर डाला है । अपनी 'फूट डालो, राज करो' की कुनीति के अंतर्गत तथ्य भ्रष्ट किये । इन्हीं की देखादेखी कुछ अन्य ने ऐसी ही भ्रष्टता अपनायी है । आपने जिस पुस्तक के कुछ पृष्ठों की छायाप्रति भेजी है, उसमें भी सर यदुनाथ सरकार के भी हवाले हैं, जो अंग्रेज़ इतिहासकारों की पैरवी करते हैं । अन्य हवाले भी अंग्रेज़ों की पुस्तकों से उद्धृत हैं । मुस्लिम लेखकों व इतिहासकारों का मौलिक लेखन इसमें सम्मिलित नहीं है । सभी उद्धरण के उद्धरण हैं । अधिकांश उद्धरणों के प्रमाणिक हवाले नहीं दिये गये हैं ।

पृष्ठ 49 और 50 पर अबुल हसन के हवाले से जो विवरण दिया गया है, उसमें कहा गया है कि ''उड़ीसा प्रांत के एक समाचार-पत्र से समाचार पाकर'...। इस कृति की पूर्णता का समय 1670 लिखा गया है । यहां सवाल यह पैदा होता है कि क्या उस समय उड़ीसा से कोई समाचार-पत्र प्रकाशित होता था ? हमारे देश में समाचार पत्रों का इतिहास तो 'हिकीज़ गज़ट' से शुरू होता है, जिसका प्रकाशन 29 जनवरी 1780 से कोलकाता में हुआ था ।

आलमगीर औरंगज़ेब के बारे में सही तथ्यों और घटनाओं की जानकारी हमें उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल एवं वरिष्ठ इतिहासकार प्रो॰ विश्वंभरनाथ पाण्डेय की कृतियों में मिलती है । डॉ॰ ओम प्रकाश प्रसाद ने तो औरंगज़ेब पर एक पुस्तक ही लिखी है, जिसमें वास्तविकता का प्रकटन किया गया है । इस पुस्तक का नाम 'औरंगज़ेब : एक नयी दृष्टि'

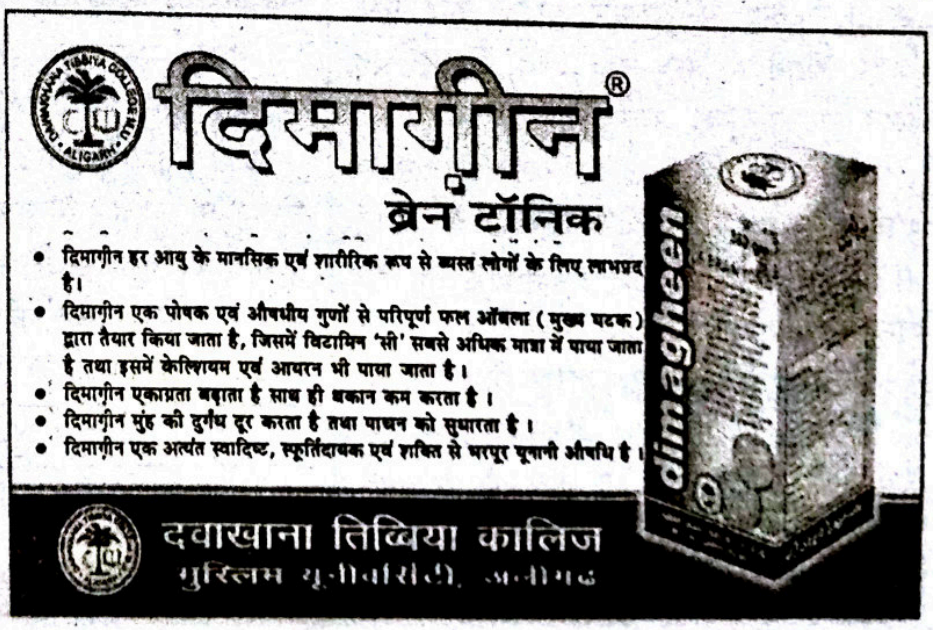

है, जो खुदाबख़्श 'ओरिएंटल लाइब्रेरी द्वारा 1994 में प्रकाशित की गयी थी ।

डॉ॰ ओम प्रकाश प्रसाद लिखते हैं–

''आशीर्वाद लाल, ईश्वरी प्रसाद, श्रीराम शर्मा, आर॰सी॰ मजूमदार और वी॰एस॰ स्मिथ आदि इतिहासकारों ने भी मध्यकाल पर कुछ किताबें लिखी हैं । औरंगज़ेब पर लिखते समय इन इतिहासकारों ने भी न्याय से काम नहीं लिया है और जाने-अनजाने उन्होंने घटनाओं को इस अंदाज़ में पेश किया है कि पढ़ने वाला उनको कट्टर मुसलमान और ज़ालिम बादशाह समझे, लेकिन 1960 ई॰ के आसपास कुछ साफ़ ज़ेहन वाले इतिहासकारों की किताबें मिलती हैं, जिनमें मुस्लिम शासकों विशेषकर औरंगज़ेब की छवि को सही तौर पर पेश करने की कोशिश की गयी है । इनमें इरफ़ान हबीब, एस॰ नूरुल हसन, हरबंस मुखिया, अतहर अली और सतीश चन्द्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । इरफ़ान हबीब ने कुछ ऐसे बिन्दु उठाये, जिनसे साफ़ ज़ेहन के लोगों की न केवल औरंगज़ेब के प्रति सहानुभूति हुई, बल्कि यदुनाथ सरकार और दूसरे इतिहासकारों की कमज़ोरियां भी उभर कर सामने आयीं ।''

आपने जो छाया प्रतियां भेजी हैं, उनमें यदुनाथ सरकार का भी हवाला है । इस इतिहासकार के बारे में डॉ॰ ओम प्रकाश प्रसाद लिखते हैं–यदुनाथ सरकार की किताबों में कुछ दिलचस्प बातें पढ़ने को मिलती हैं । अपनी किताब में सरकार साहब कोई ऐसा क़दम उठाने से बाज़ नहीं आते, जिससे यह सिद्ध हो सके कि औरंगज़ेब अपने समय का बदतरीन शासक था, लेकिन उसी किताब में ऐसी बातें भी मिलती हैं जिन पर विचार करने से हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि वह वैसा नहीं था, जैसा बताया गया है ।

प्रख्यात इतिहासकार हरबंस मुखिया लिखते हैं कि आर॰सी॰ मजूमदार औरंगज़ेब द्वारा तोड़े गये मंदिरों का उल्लेख तो ज़ोर-शोर से करते हैं, लेकिन उन सच्चाइयों पर चुप्पी साध लेते हैं हांलाकि इसी सम्राट ने ब्राह्मणों एवं मंदिरों को जागीरें और रक़में दान कीं ।

कुछ अन्य इतिहासकारों ने भी अपनी कृतियों और वक्तव्यों के द्वारा यथातथ्य का उद्घाटन किया है । 'कान्ति' के पूर्वांकों में इनमें से कई आलेखों, पुस्तकांशों और वक्तव्यों का प्रकाशन किया जा चुका है ।

बलात् धर्मान्तरण नहीं

आपने बलात् धर्मान्तरण का जो आरोप मुग़ल शासकों पर लगाया है, वह भी सही नहीं है । इस सिलसिले में अनगिनत प्रमाण मौजूद हैं । गांधी जी 'यंग इंडिया' (1924) में लिखते हैं–'मुझे पहले से अधिक विश्वास हो गया है कि वह तलवार नहीं थी, जिसने इस्लाम के लिए जगह बनायी । यह पैग़म्बर की सरलता, सादगी और उनकी पूर्ण तन्मयता, अपने प्रण व वचनों के प्रति उनका सच्चा होना, मित्रों और अनुयायियों के प्रति उनका गहरा लगाव, उनकी बहादुरी, उनकी निर्भयता, ईश्वर के प्रति उनका पूर्ण विश्वास और उनका अपना मिशन था । वह तलवार नहीं हो सकती जो हर चीज़ उनके सामने ला देती और न हर परेशानी और अशांति पर तलवार से क़ाबू पाया जा सकता था ।'

स्वामी विवेकानंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा है–''भारत

क़ुरआन की पहली सूरः अल-फ़ातिहा और अंतिम 30 सूरः

(क़ुरआन फ़ाउंडेशन, इंडिया की पेशकश)

दावती महत्व की यह किताब सैयद मंसूर आग़ा ने प्रो॰ डॉ॰ इरफ़ान अहमद ख़ान (यू॰एस॰ए॰) की बहुचर्चित पुस्तकों 'इनसाइट इनटू क़ुरआन' और 'लास्ट थर्टी सूरः ऑफ़ क़ुरआन' से संकलित व अनुवादित की है । क़ुरआन की प्रमुख धारणाओं, पारिभाषिक शब्दों और क़समों पर चर्चा ख़ास महत्व की है ।'सूरः फ़ातिहा' के अध्ययन से क़ुरआन को समझने की राह खुलती है । सुबोध एवं रोचक शैली, दिलकश गेटअप, उम्दा छपाई व काग़ज़ ।

पेज 208, मूल्य केवल 100 रुपये

MMI Publishers, A.F. Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-25
Islamic Book Foundation, 1781, Hauz Suiwalan, N.Delhi-02

(syyedmansooragha@gmail.com)

में इस्लाम की ओर धर्म परिवर्तन तलवार (बल-प्रयोग) या धोखाधड़ी या नैतिक साधन देकर नहीं हुआ था ।''

('विवेकानंद साहित्य', जिल्द 8, पृ॰ 330)

प्रो॰ के॰एस॰ रामकृष्ण राव लिखते हैं–'इस पंक्ति को लिखने की मेरी समस्या आसान हो गयी, क्योंकि हम भ्रामक ऐतिहासिक तथ्यों का सहारा लेने के लिए मजबूर नहीं हैं और इस्लाम के संबंध में भ्रामक निरूपणों को स्पष्ट करने में हमारा समय बर्बाद नहीं होता । मिसाल के तौर पर इस्लामी सिद्धांत और तलवार की बात किसी उल्लेखनीय क्षेत्र में ज़ोरदार अंदाज़ में सुनने को नहीं मिलती । इस्लाम का यह सिद्धांत कि 'धर्म' के मामले में कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं' आज सबको भली-भांति विदित है ।'

वास्तव में बल-प्रयोग के द्वारा कोई किसी की आस्था नहीं परिवर्तित करा सकता । इस्लाम तो इसे करने की अनुमति ही नहीं देता । हमारे देश में जिन लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया, वह स्वेच्छा से अपनी भलाई, कल्याण और सुखद-सानंद जीवन के लिए अपनाया । उन्हें इस धर्म (जो कि पूरी जीवन-व्यवस्था है) में अपना उज्ज्वल भविष्य मिला और इस प्रक्रिया की आज भी यही स्थिति है । रही बिरादरियां तो ये इस्लाम में पहचान मात्र है, लेकिन इस सिलसिले में विसंगतियां यहां पायी जाती हैं, मुसलमानों को उन्हें दूर करना चाहिए और वर्ण-व्यवस्था की छाप से उन्हें अंततः उबर आना चाहिए । जिस विसंगति को उन्होंने छोड़ा, उसे कदापि नहीं अपनाना चाहिए और अपने सारे मामलों का इस्लामी हल निकालना चाहिए । इसी तरह की बात संस्कृति वाली है ।

आपकी बात सही है कि धर्म बदल लेने से मां-बाप और पूर्वज नहीं बदल जाते । इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन उन चीज़ों का अवश्य त्याग होना चाहिए, जिनके चलते उन्हें धर्म बदलना पड़ा । इसके द्वारा उन्होंने अपने मां-बाप का नहीं उनके सिर्फ़ विकृत विचारों का त्याग किया । ऐसे में पुनः उन्हीं त्याज्य विचारों को अपनाना सरासर मूर्खता, अतार्किकता और बुद्धि-भ्रष्टता ही कहलाएगी । यह सद्भावना का आधार भी कदापि नहीं बन सकता । सद्भावना का व्यापक आधार तो इस्लाम ही प्रदान करता है । इस्लामी शिक्षाओं में मानव एकत्व और समानता है । ऊंच, नीच, छूतछात का लेशमात्र नहीं है । इस्लाम सारी मानवजाति को अल्लाह का परिवार मानता है ।

इस्लामी शिक्षाओं में विशुद्ध एकेश्वरवाद, भाईचारा और सद्भाव का आधार है, जो किसी भी धर्म में नहीं पाया जाता । वास्तव में इस्लामी शिक्षाएं, व्यवस्थाएं और प्रावधान मानवता के लिए रहमत हैं । आवश्यकता है, इन्हें जीवन में अपनाने की । लोक-परलोक बनाने, संवारने और इनमें सफलता पाने का यही मूलमंत्र और उपाय है ।

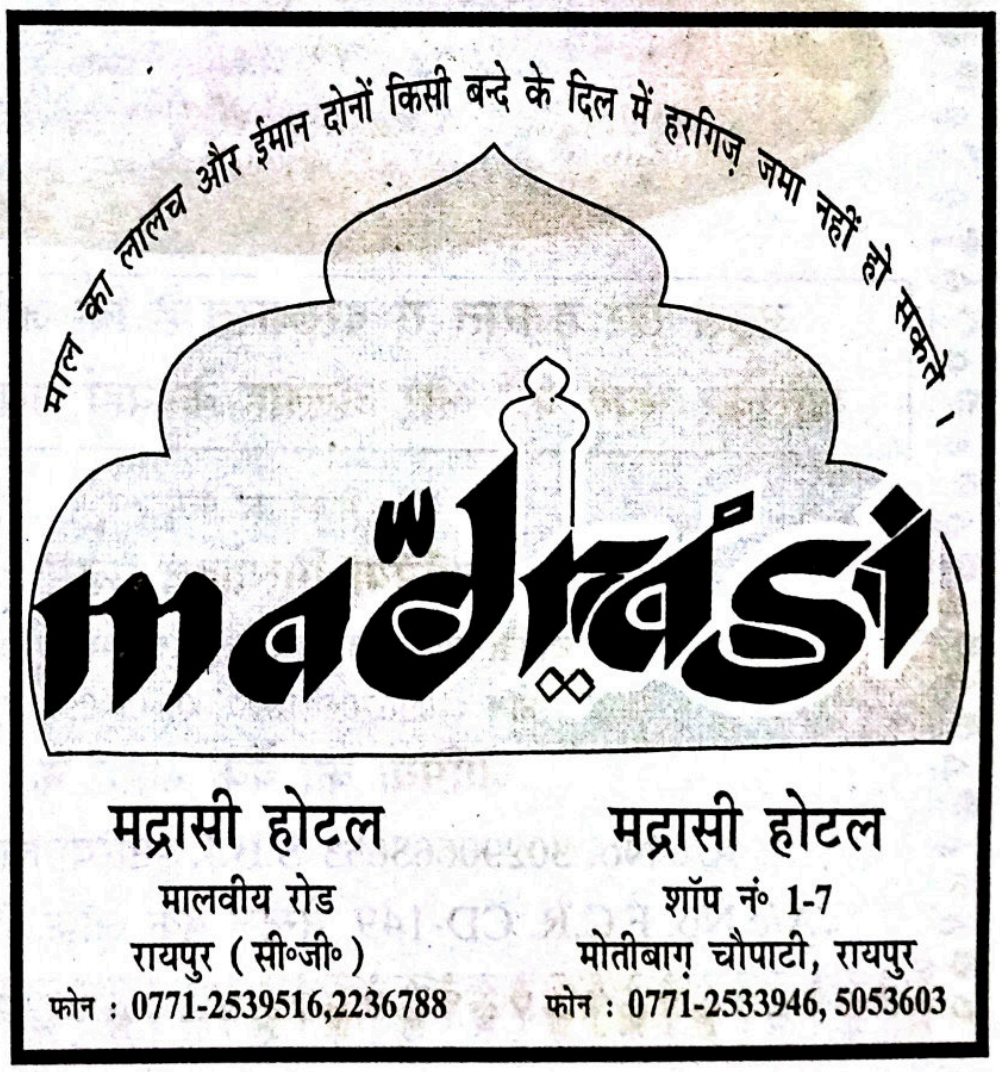

मदद के लिए अपील

जामिया मिस्बाहुल उलूम चौकोनियां, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जाना-माना तालीमी इदारा है। यह इदारा सिद्धार्थ नगर ज़िला के ग्रामीण क्षेत्र में है। यहां लगभग सभी राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल के छात्र तालीम हासिल कर रहे हैं। यह इदारा आधी सदी से तालीम व तर्बियत के मोर्चे पर मुस्लिम समाज की सेवा कर रहा है। यहां प्राइमरी से लेकर आलिमीयत तक की तालीम का पूरा इन्तिज़ाम है। यहां दीनी और अस्री उलूम को एक ख़ास इम्तिज़ाज के साथ समोया गया है, जिसके कारण जामिया को तालीमी मैदान में एक अलग और प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। यहां क़याम और तआम की सारी सहूलतें उपलब्ध हैं। जामिया मिस्बाहुल उलूम की विशेषता तालीम के साथ इस्लामी बुनियादों पर छात्रों की मिसाली तर्बियत करना है।

जामिया के मंसूबे

● मर्कज़ी लाइब्रेरी की तामीर ● जामिया की मस्जिद के अधूरे कामों को पूरा करना ● लड़कियों के लिए अलग दर्सगाह की तामीर ● टेक्निकल सेन्टर का क़याम ● होस्टल की तामीर ● अनाथालय की तामीर ● फैमिली क्वार्टर्स की तामीर

अह्ले ख़ैर हज़रात से दरख़्वास्त है कि जामिया की दिल खोलकर मदद करें और अल्लाह के यहां उसका बदला पाएं।

—: भेजने का पता :—

जामिया मिस्बाहुल उलूम

चौकोनियां भारत भारी, सिद्धार्थनगर-272191

फ़ोन : 09670641947, 09451097177

जामिया का बैंक खाता नं.

A/c No. 30290663653 S.B.I. डुमरियागंज, कोड-1250

A/c No. F.C.R. CD-149 सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बेवॉ चौराहा

हज़रत अफ़रा बिन्त उबैद (रज़ि०)

❖ तालिब हाशमी

हज़रत अफ़रा अंसारिया (रज़ि०) ख़ज़रत के एक प्रतिष्ठित ख़ानदान बनू नज्जार से थीं। उनके पिता का नाम उबैद बिन सालबा था। हज़रत अफ़रा (रज़ि०) की शादी हारिस बिन रफ़ाआ से हुई जिनसे उन्हें तीन बेटे हुए जिनका नाम मआज़ (रज़ि०), मअव्वुज़ (रज़ि०) और औफ़ (रज़ि०) था। उनके तीनों बेटे अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के अत्यधिक मुख़लिस और जाननिसार सहाबी थे।

बद्र की लड़ाई में उत्बा, शीबा और वलीद बिन उत्बा ने जब मलयुद्ध के लिए मुसलमानों को ललकारा था तो यही तीनों भाई उनके मुक़ाबले के लिए आगे बढ़ें थे। लेकिन आप (सल्ल०) ने इन तीनों भाइयों को वापस बुला लिया और तीन अन्य यौद्धाओं को उनके मुक़ाबले के लिए भेजा।

युद्ध जब शुरू हो गया और घमासान का युद्ध होने लगा तो हज़रत मुआज़ (रज़ि०) और हज़रत मुअव्वुज़ (रज़ि०) ने अबू जेहल पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। ये तीनों बहादुर यौद्धा अपनी मां की निसबत से ही इबना-ए-अफ़रा (अफ़रा के बेटे) कहलाये।

अल्लामा ज़रक़ानी (रह०) ने हाफ़िज़ इब्न हिज्र (रह०) के हवाले से लिखा है कि उनके पति हारिस बिन रफ़ाआ की मृत्यु हिजरते नबवी (सल्ल०) से बहुत पहले हो चुकी थी। उनकी मृत्यु के बाद हज़रत अफ़रा (रज़ि०) ने अबी बुकैर या बुकैर बिन अब्द से निकाह कर लिया। अबू बुकैर से भी उन्हें चार बेटे हुए–अयास (रज़ि०), आमिर (रज़ि०), ख़ालिद (रज़ि०) और आक़िल (रज़ि०)। इन चारों बेटों को साबिक़ूनल अव्वलून (पहले ईमान क़बूल करने वालों) में शामिल होने का सम्मान चारों भाई भी शामिल थे।

इस तरह हम देखते हैं कि हज़रत अफ़रा (रज़ि०) के सात बेटे जंगे बद्र में शरीक थे। और इस तरह दुनिया की कोई और औरत हज़रत अफ़रा (रज़ि०) का मुक़ाबला नहीं कर सकती!

2. हज़रत उम्मे सनान (रज़ि०)

मशहूर सहाबी हज़रत अबू सनान बिन मुहसिन (रज़ि०) की पत्नी थीं। उनके बेटे हज़रत सनान (रज़ि०) भी आप (सल्ल०) के बहुत ही मुख़लिस में से थे।

सही बुख़ारी में है कि आप (सल्ल०) जब हज्जतुल विदा के बाद मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और वहां हज़रत उम्मे सनान (रज़ि०) से मुलाक़ात हुई तो आप (सल्ल०) ने उनसे पूछा : "आप हमारे साथ हज पर क्यों नहीं गयीं।"

हज़रत उम्मे सनान (रज़ि०) ने जवाब दिया।

"ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! मेरे पास सवारी नहीं थी।" आप (सल्ल०) ने फ़रमाया : "रमज़ान में उमरा कर लेना क्योंकि रमज़ान का उमरा हज के बराबर है।"

एक दूसरी रिवायत में आया है कि रमज़ान में उमरा करना मेरे साथ हज करने के बराबर है।

हाफ़िज़ बिन अब्दुल बर्र (रह०) ने "इक़दुल फ़रीद" में लिखा है कि उम्मे सनान बिन्त हशमा (रज़ि०) ने जंगे सिफ़्फ़ीन में हज़रत अली (रज़ि०) का साथ दिया था।

3. हज़रत मुआज़ा बिन्त अब्दुल्लाह (रज़ि०)

हज़रत मुआज़ा (रज़ि०) मदीना मुनव्वरा की रहने वाली थीं और मुनाफ़िक़ों के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल की लौंडी थी। अल्लाह तआला ने उन्हें बहुत ही नेक और शरीफ़ स्वभाव का बनाया था।

अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) जब हिजरत करके मदीना पहुंचे तो हज़रत मुआज़ा (रज़ि०) ने भी इस्लाम क़बूल कर लिया और आप (सल्ल०) के हाथ पर बैअ़त भी कर ली।

अब्दुल्लाह बिन उबई उन पर तरह-तरह के ज़ुल्म करता था और उनको बदकारी पर मजबूर किया करता था। लेकिन वह पाकदामनी की ज़िन्दगी गुज़ारना चाहती थी। अंत में अल्लाह तआला ने सूरह नूर की यह आयत नाज़िल फ़रमायी : "...और अपनी लौंडियों को सांसारिक जीवन-सामग्री की चाह में व्यभिचार के लिए बाध्य न करो,

जबकि वे पाकदामन रहना भी चाहती हों ।'' (24:33)

इस तरह हज़रत मआज़ा (रज़ि॰) को अब्दुल्लाह बिन उबई के ज़ुल्मो-ज़्यादती ,से निजात मिली ।

हज़रत मुआज़ा (रज़ि॰) का विवाह सहल बिन क़रज़ा (रज़ि॰) से हुआ जिनसे उन्हें एक लड़का अब्दुल्लाह और दूसरी लड़की उम्मे सईद पैदा हुई । सह्ल की मृत्यु के बाद वे हमीर बिन अद्दी के निकाह में आयीं जिससे उन्हें हारिस और अदी दो लड़के और उम्मे साअ्द एक लड़की पैदा हुई । लेकिन फिर मियां-बीवी में तलाक़ हो गया तो उनकी तीसरी शादी आमिर बिन अदी से हुई जिससे एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम उम्मे हबीब रखा गया । हज़रत मुआज़ा (रज़ि॰) की सभी संतानों के नाम अलग-अलग कारनामों की वजह से इस्लामी इतिहास में दर्ज हैं ।

हाफ़िज़ इब्न अब्दुल बर्र के अनुसार हज़रत मुआज़ा एक शिक्षित और बुद्धिमान सहाबिया थीं ।

4. हज़रत सलमा अंसारिया (रज़ि॰)

हज़रत सलमा अंसारिया दूर के रिश्ते से आप (सल्ल॰) की ख़ाला (मौसी) लगती थीं । उन्होंने आप (सल्ल॰) के साथ दोनों क़िब्लों (बैतुल मक़्दिस और बैतुल्लाह) की ओर रुख़ करके नमाज़ पढ़ी हैं । वे कहती हैं कि मैं अंसार की कुछ माहेलाओं के साथ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की सेवा में हाज़िर हुई और निम्नलिखित शर्तों पर आप (सल्ल॰) से बैअ्त ली ।

1. हम खुदा के साथ किसी को शरीक न करें । 2. चोरी न करें । 3. बदकारी न करें । 4. अपने संतान की हत्या न करें । 5. कोई ऐसा बोहतान न बांधें जिसको अपने हाथों और पैरों के बीच गढ़ें । (यानी दूसरों की संतान को अपनी संतान कहें ।) 6. किसी भले काम में आप (सल्ल॰) क अवज्ञा न करें । 7. अपने पति से खोट-कपट न करें ।

बैअ्त के बाद हम वापस हो गये । फिर मैंने एक महिला से कहा कि आप (सल्ल॰) की सेवा में वापस जा और पूछा कि पति के साथ खोट-कपट करने का क्या मतलब है ? अतएव उसने वापस जाकर आप (सल्ल॰) से यह बात पूछी तो आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया : ''इससे अभिप्रेत यह है कि पति का माल लेकर किसी ग़ैर को देना ।''

بسم اللہ الرحمن الرحیم

''جس نے اللہ تعالیٰ کے لئے اس کی خوش نودی چاہنے کی غرض سے
مسجد بنائی اللہ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔''
(صحیح مسلم)

اپیل

اطلاعاً عرض ہے کہ شہر گیا کے چرکی بازار علاقے میں ایک جامع مسجد زیر تعمیر ہے۔ تعمیری کام تیزی سے چل رہا ہے۔ ملت کے تمام بہی خواہ اور محسنین کرام سے اپیل ہے کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ رقم کی فراہمی میں اپنا قیمتی تعاون فرمائیں۔ مسجد کے تعمیری کاموں کے نگراں کا نام مع بینک اکاؤنٹ نمبر ذیل میں درج ہے:

Mr. Amanullah Khan
A/C No. 2447, Bank of India
usewa Barnch, Cherki Bazar, Gaya (Bihar)

خط و کتابت کے لیے:

Amanullah Khan
Cherki Bazar, Gaya (Bihar)

والسلام

جاوید اقبال خاں
(سماجی کارکن)
09810593530
Email:-swajob@yahoo.com

भास्कर बहादुर

□ आशा शैली 'हिमाचली'
नैनीताल (उत्तराखंड)

दोपहर के भोजन के बाद मैंने टेबल पर पड़ी डाक उठायी, जो डाकिया सुबह ही दे गया था । घर के दूसरे ज़रूरी काम निबटाते-निबटाते दोपहर को ही डाक देखने का समय मिल पाता था । हमेशा की तरह बहुत सारी चिट्ठियां थीं । कुछ जाने-पहचाने नाम और कुछ एकदम अनजान । कोई मेरी कविता-कहानी के बारे में बात कर रहा था तो कोई किसी पत्रिका का संपादक रचना के लिए तक़ाज़ा कर रहा था । कोई किसी रचना की आलोचना कर रहा था तो कोई पत्र किसी रिश्तेदार अथवा मित्र का भी था । इसी ढेर सारी डाक में हल्के गुलाबी रंग का एक लिफ़ाफ़ा, नेपाल से आया हुआ भी था ।

किसका होगा, नेपाल की किसी पत्रिका से तो मेरा परिचय ही नहीं था, न कोई रिश्तेदार ही था नेपाल में । सोचा शायद प्रेम बहादुर (गोरखा नौकर) का पत्र न हो । नौकर को बुलाकर उसे चिट्ठी दे दी और ख़ुद बाक़ी डाक देखने लगी । तभी प्रेम बहादुर वापस आकर कहने लगा, "मम्मी जी, यह तो आपका चिटी है ।"

"मेरी, मेरा कौन है नेपाल में ?" मैंने दुविधा में ही लिफ़ाफ़ा प्रेम बहादुर के हाथ से लेकर उलट-पलट कर देखा । उस पर प्रेषक के स्थान पर एक नम्बर के साथ नेपाल आर्मी लिखा था । अब तो मैं और भी चकरा गयी । ख़ैर, लिफ़ाफ़ा खोलकर देखा । सरसरी नज़र से भेजने वाले का नाम देखकर मैं चौंक गयी । अरे, यह तो भास्कर का पत्र है । वाह, उसे अभी भी मेरी याद है क्या ? कमाल हो गया यह तो । नाम देखकर ही मैं इतनी भावुक हो गयी कि पत्र पढ़ना भूल गयी और आठ साल पीछे चली गयी जब भास्कर मेरे घर में घरेलू नौकर बनकर आया था ।

उसकी उमर बारह साल से ज़्यादा नहीं थी । गोरा-चिट्टा, न बहुत मोटा, न बहुत पतला । तीखे नाक-नक़्श । लगभग चार फुट क़द होगा उसका । उसने अपना नाम भास्कर बताया था ।

"अरे पूरा नाम बताओ न ।" मेरे कहने पर उसने कहा, "मां, मेरा नाम भास्कर बहादुर खत्री है ।"

"ठीक है, तुम्हें 100 रुपये महीना और रोटी-कपड़ा और जूते मिलेंगे । कब तक काम करोगे ?" मैंने पूछा तो वह बोला–

"दिल लग गया तो आप ही के पास रहूंगा ।"

"ठीक है, बीड़ी घर के अन्दर नहीं पी सकोगे ।" मैंने उस नेपाली लड़के को सीधे देखते हुए कहा तो वह बोला, "मैं बीड़ी नहीं पीता ।"

"चलो, यह तो और भी अच्छा है । वरना बीड़ी के लिए मैं पैसे नहीं देती किसी को । तुम्हारे पैसे बच जाएंगे । अब जाओ काम देखो ।" फिर मैंने पहले से अपने पास काम कर रहे गोरखे लड़के को बुलाया जो दो साल से मेरे पास था । उसका नाम माघी था । मैंने भास्कर को उसके साथ भेज दिया ताकि वह उसे काम बता दे । दरअस्ल भास्कर को वही लेकर आया था । बड़ा-सा घर, दुकान और सेब का बाग़ । उस पर तीन-तीन गाय । आख़िर नौकरों के बिना कैसे चलता ?

मोहनजी का स्वभाव भी ऐसा कि राह चलते को खाने या चाय की दावत दे डालते । ऐसे में ये दोनों छोटे लड़के मेरे लिए बहुत मददगार सिद्ध होते । 'जा रे, जा चाय बना ला, जा पानी ले आ ।' मेरे मुंह से निकलते ही वे दौड़ पड़ते । कभी-कभी आपस में होड़ भी करते । मेरे पास वे दोनों बहुत ख़ुश थे । ख़ाली समय वे दोनों मेरे पास बैठकर देखते रहते कि मैं क्या कर रही हूं और कैसे कर रही हूं । उन दिनों शिमला की इन दुर्गम पहाड़ियों में टी०वी० की रेंज नहीं थी । मनोरंजन के लिए बस ट्रांजिस्टर का ही सहारा था ।

उस दिन भी दोपहर के भोजन के बाद मैं और मोहनजी दुकान के बाहर पड़े तख़्त पर बैठे कुनकुनी धूप का आनन्द ले रहे थे कि मोहनजी ने मुझे अन्दर से लेजर उठा लाने को कहा, मैं उठती उससे पहले ही भास्कर भागा-भागा गया और लेजर उठा लाया । मोहनजी को मस्खरी सूझी तो वे उसे

देखकर कहने लगे, "चलो, आज भास्कर ही खाते में रक़म नोट करेगा । सरनू राम का खाता निकालो, भास्कर जी ।" और दो ही मिनट में भास्कर ने सरनूराम का खाता निकालकर हमारे सामने कर दिया ।

"तू पढ़ना जानता है रे ?" मैंने उससे सहज ही प्रश्न पूछा । अस्ल में इससे पहले कभी उसके साक्षर होने की बात ही सामने नहीं आयी थी ।

"जी, मां जी । मैंने आठवीं तक पढ़ रखा है ।" वह कुछ सकुचाता हुआ बोला ।

"फिर आगे क्या हुआ ?" मोहनजी ने भी उत्सुकता दिखायी ।

"भास्कर, एक बात तो बता बेटा", मैंने उसमें दिलचस्पी लेते हुए पूछा तो वह कुछ सशंकित होकर बोला, "जी पूछिये ।"

"देखो बेटा, तुम किसी अच्छे घर के लगते हो । यह तो तुम्हारे बात करने के अंदाज़ से ही पता चल रहा है, सच बताओ इस घरेलू नौकरी के चक्कर में क्यों पड़ गये हो ?" भास्कर ने सिर झुका लिया पर कुछ बोला नहीं, मेरा प्रश्न फिर उछला, "बोलो बेटा । हम तुम्हारी मदद करेंगे ।"

"मैं...आठवीं में फेल हो गया था", उसने कुछ झिझकते हुए कहा, "इसलिए घर से भाग आया ।" भास्कर ने सिर झुकाये हुए ही उत्तर दिया ।

"तुम्हारे पिता क्या करते हैं ?"

"हमारी नेपालगंज के बड़े बाज़ार में दुकान है ।"

"बेटा, क्या कभी तुमने यह भी सोचा है कि तुम्हारे माता-पिता तुम्हारे लिए कितने परेशान होंगे ?" मोहनजी अचानक भावुक हो गये, उनके माता-पिता बचपन में ही नहीं रहे थे ।

"....."

"मुझे अपने घर का पता दो ।" वे फिर बोल उठे ।

"मैं...", भास्कर हकलाने लगा । अब तक उसे हमारे पास काम करते हुए तीन महीने हो चुके थे परंतु उसने कभी पैसे नहीं मांगे थे । खाने-पहनने के अलावा उसे कोई शौक़ नहीं था ।

"देखो भास्कर, तुम कुछ मत करो, बस अपने पिता को पत्र लिखो कि तुम ठीक हो और यहां हो, हिमाचल के एक छोटे से गांव में ।" मैंने उसे पुचकारते हुए कहा, "और यदि तुम नहीं लिख सकते, तुम्हें डर लगता है तो मैं उन्हें पत्र लिख दूंगी । पर एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें घर लौटना है ।" भास्कर अब भी चुप था । बस धरती पर बैठा पैर के नाख़ून से मिट्टी खुरच रहा था ।

"तुम्हारी मां है न ? वह भी तो तुम्हारी याद में रोती होंगी ।" मैंने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा, उसकी आंखें भर आयी थीं, "लाओ, वह काग़ज़ उठाओ और उस पर अपना पता लिखो ।"

अब भास्कर चुपचाप उठा और उसने मेरा इंगित किया हुआ काग़ज़ उठाकर उस पर अपने घर का पूरा पता और अपने पिता का नाम लिख दिया । उसे अपराध बोध से निकालने के लिए मैंने कहा, "देखो भास्कर, ग़लती तो सभी से हो सकती है । तुम से भी हो गयी । अच्छे ख़ासे घर के बच्चे होकर तुम यहां बर्तन मांज रहे हो क्या घर में कभी मांजे थे ?" उसने इन्कार में सर हिलाया ।

"तुम फेल हुए इसलिए घर से भाग आये, यह कोई बात हुई ? माता-पिता थोड़ा-सा गुस्सा ही तो करते न ? और क्या दूसरे साल तुम अच्छे नम्बरों से पास नहीं हो सकते थे ?"

उसने इस बार फिर हां में सिर हिलाया परन्तु बोला कुछ नहीं । मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, "जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो । फिर चाय का समय हो जाएगा ।"

भास्कर उठकर चला गया लेकिन मैंने उस समय उसके चेहरे पर जो चमक देखी थी उसे क्या कभी मैं भुला सकूंगी ? लगता था कि उसे जैसे दुनिया की कोई बहुत बड़ी नेमत मिल गयी हो ।

मैंने उसके पिता को पत्र में भास्कर के अपने पास होने की सूचना देने के साथ ही कहा था कि 'बच्चे से ग़लती हो गयी है । परन्तु आपका बच्चा सुरक्षित हाथों में है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है । हम उसका वेतन बैंक में डाल रहे हैं और घर लौटने तक की व्यवस्था कर देंगे । यहां से और भी गोरखा लोग हर साल नेपाल जाते हैं जब तक हमें कोई विश्वसनीय व्यक्ति नहीं मिलता हम बच्चे को नहीं भेजेंगे ।'

एक सप्ताह के भीतर ही भास्कर के पिता का पत्र आ गया । उनकी अटपटी नेपाली भाषा से लग रहा था कि उन्हें आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे । उन्होंने भास्कर को भी लिखा था कि 'बेटा, हम तुम्हें कुछ नहीं

कहेंगे । तुम घर लौट आओ ।'

अब भास्कर के काम करने का ढंग ही बदल गया था पहले वह हमारे कहने पर ही कोई काम करता था लेकिन अब वह हमारी ज़रूरतों को पहचान कर काम करने लगा । उसे पता था कि चार लोग आकर बैठे हैं तो पहले उन्हें पानी और फिर चाय लाकर देनी है । कौन-सी चीज़ कहां पर रखनी है । किस समय किस चीज़ की ज़रूरत होगी, वगैरह-वगैरह ।

इस तरह दो महीने और गुज़र गये । इस बीच भास्कर के घर से पत्र आते रहे और वह उनके जवाब भी देता रहा । एक दिन हमारे पड़ोस में रहने वाले एक गोरखा परिवार का कार्यक्रम नेपाल जाने का बन गया । इस परिवार का मुखिया वीर बहादुर, क्योंकि भारत सरकार की सेवा में था अत: विश्वसनीय था । अत: हमने भास्कर को उस परिवार के साथ नेपाल भेज दिया । भास्कर के पिता को लिखे अपने पत्र में मैंने उस परिवार का नेपाल का पता भी लिख दिया ताकि वे वहां से जाकर वीर बहादुर के घर से अपने बच्चे को ले आएं फिर भी बहुत दिनों तक तो हम यह सोचकर परेशान रहे कि नेपाली लोग मार्ग में लुट भी जाते हैं । पता नहीं लड़का घर पहुंचा भी है कि नहीं । मोहनजी भी कई बार कह चुके थे, "पता नहीं हमने ग़लत तो नहीं किया ?"

एक महीने बाद वीर बहादुर ने वापस लौटकर मुझे बताया कि भास्कर के पिता और चाचा उसे लेने आये थे और उन्होंने आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कहा है । भास्कर के पिता ने मेरे लिए नेपाली ढंग की कुछ मोतियों की सुन्दर मालाएं भी उपहार में भेजी थीं । इसके बाद हम लोगों को भास्कर की कोई सूचना भी नहीं मिली, फिर गुज़रते समय के साथ विस्मृतियों के गर्त में यह प्रसंग भी चला गया और आज आठ-नौ साल बाद अचानक यह पत्र ?

"किसका ख़त सीने से लगाकर इतना मगन हो रही हो ?" अचानक मोहनजी की आवाज़ सुनायी दी तो मैंने चौंक कर आंखें खोलीं, वे पत्र को मेरे सीने पर से उठा रहे थे। "भई किस रचना की ख़ुशख़बरी में इतनी मगन हो रही हो ज़रा हम भी तो देखें ।"

"कुछ नहीं, भास्कर का पत्र है ।"

"भास्कर का ? अरे, उसे इतने सालों के बाद हमारी याद कैसे आ गयी ? क्या लिखा है उसने ?"

"मैंने अभी पढ़ा कहां है, आप ही पढ़ लो न !"

"हां, हां ! ठीक है । मैं ही पढ़ता हूं ।" कहकर उन्होंने पत्र पढ़ना शुरू किया । लिखा था, 'प्यारी मांजी, प्यारे बाबूजी,

सादर चरन वन्दना ।

मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में आप दोनों का धन्यवाद करूं कि आपने मुझ घर से भागे हुए नालायक़ लड़के को मुण्डू नहीं बनने दिया । वरना मेरा जीवन बस घरेलू बर्तन मांजने वाले तक सीमित हो जाता । घर लौटने पर मेरी मां और पिता जी ने मुझे बहुत समझाया । एक बार असफल होने के बाद भी जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाता है यह मैंने आप दोनों से सीखा और घर आकर मैंने फिर से पढ़ाई चालू कर दी । बड़ी मेहनत से पढ़कर हर परीक्षा में अच्छे नम्बर लेता रहा । आज मैं नेपाल आर्मी में लांसनायक लग गया हूं । मांजी, यदि आप मुझे वापस न भेजते और मेरा वेतन मेरे हाथ में दे देते तो हो सकता है मैं किसी दुर्व्यसन में ही फंस जाता । आज मैं अपने जीवन में सफलता का श्रेय आप दोनों को देना अपना फ़र्ज़ समझता हूं । कभी आप लोग नेपाल आएं तो मुझ से ज़रूर मिलें । मेरे दिल में आप दोनों की याद हमेशा बनी रहेगी ।

आपका बेटा
भास्कर बहादुर खत्री

"अल्लाह उस आदमी के साथ दयालुता का मामला करेगा जो क्रय-विक्रय और क़र्ज़ का तक़ाज़ा करने में नरमी और शालीनता बरते ।" (हदीस)

M/s Hajra Nursing Home
Sneh Lata Ganj
Indore (M.P.)

अनाथ लड़कियों की पुकार

VOICE OF ORPHAN GIRLS

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया)

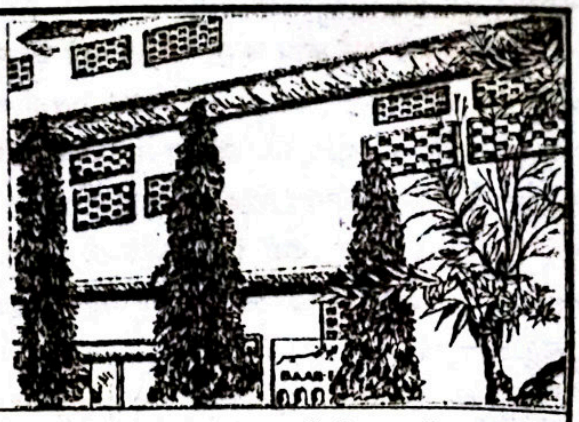

संक्षिप्त परिचय

लड़कियों के लिए आधुनिक और इस्लामी तालीम से लैस राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श रिहाइशी इदारा

● 25 वर्षीय सेवाएं ● 19 विभाग ● शिक्षा : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● पत्राचार शिक्षा ● 6 छात्राओं ने हिफ़्ज़ के साथ मैट्रिक पास किया ● प्रौढ़ शिक्षा ● वोकेशनल सेन्टर ● कटिंग और सिलाई : 6 बैच 70 छात्राएं ● ज़री वर्क्स : 3 बैच 40 छात्राएं ● 1993 ई० से 2011 ई० तक 66 अनाथ बच्चियों और 41 मां-बाप वाली बच्चियों ने मैट्रिक पास किया ● वार्षिक ख़र्च : 20 लाख रुपये से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● इदारा 120 अनाथ बच्चियों का सारा ख़र्च पूरा करता है ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक यतीम बच्ची का वार्षिक ख़र्च 12,000/- रुपये है–आप भी एक अनाथ बच्ची का ख़र्च उठा कर सवाब में शरीक हों ।

सहायता के विभिन्न रूप : ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● दीनी किताबें ● ज़मीन की ख़रीदारी और क़र्ज़ की अदायगी ● स्टाफ़ की मासिक आय के लिए 90,000/- रुपये ● मां-बाप या रिश्तेदारों के नाम कमरा या हॉल बनवाना और निर्माण कार्यों के लिए ईंटें, सीमेंट, सरिया और अन्य सामग्री या उसका मूल्य देना ● यहां प्रतिवर्ष हिसाब चेक किये जाते हैं और ऑडिट होता है । ● इदारा में खुद आकर बराबरी का नमूना देखें कि अनाथ बच्चियां और वे बच्चियां जिनके मां-बाप हैं किस तरह मिलकर रहा करती हैं ।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

विदेशी चन्दा देने वाले : भारत सरकार से "मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया) को विदेशों से चन्दा लेने का इजाज़तनामा प्राप्त हो गया है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

विदेशों में रहने वाले अब BANK A/c No. 300402010009042

BANK CODE NO. UBININBBJAM में अपनी रक़म भेज सकते हैं ।

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–"THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE"

Address for correspondence : रक़म भेजने और संपर्क करने का पता

GENERAL SECRETARY, THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGE

At : KOLOWNA, P.O.: CHERKI-824237, Distt.: GAYA (BIHAR) INDIA, ☎ 0631-2734437 ● Mobile : 9934480190

E-mail : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, Website : www.gmgo.org

LOCAL DONARS मक़ामी चन्दा देने वाले

BANK CODE-UBI No. 530042 UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

CORE BANKING A/C NO.: 300402010007752

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके ।

संस्थापक महासचिव : इक़बाल अहमद ख़ां

इस्लाम में पवित्र कमाई का महत्व

■ लाला काशीराम चावला

इस्लाम में पवित्र कमाई पर बड़ा ज़ोर दिया गया है और एक संपूर्ण जीवन-व्यवस्था में ऐसा होना अनिवार्य भी है । इसके बारे में पवित्र कुरआन में है–

"ऐ लोगो ! जो चीज़ें धरती पर पायी जाती हैं, उनमें से वैध (हलाल) और पवित्र चीज़ों को खाओ और शैतान का अनुसरण न करो । वास्तव में वह तुम्हारा खुला शत्रु है ।" (2:168)

"ऐ ईमान वालो ! जो पवित्र चीज़ें हमने तुमको प्रदान की है, उनमें से खाओ और अल्लाह की प्रशंसा व शुक्र अदा करो, यदि वास्तव में तुम उसी की उपासना करने वाले हो ।" (2:172)

देखिये, ये कितने खुले और स्पष्ट ईश्वरीय आदेश हैं । किंतु हम इन्हें कितनी बुरी तरह ठुकरा रहे हैं ? आज हम दूसरों के माल पर हाथ साफ़ करना, लूट-खसोट द्वारा धन प्राप्त करना उचित समझ रहे हैं । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने तो इस बारे में इतना ज़ोर दिया है कि मनुष्य पढ़कर चकित रह जाता है । आप पवित्र कमाई को अत्यंत महत्व देते थे । इस विषय में आपके आदेश अनगिनत हैं । इन आदेशों का एक-एक शब्द पढ़ने के योग्य है । आप (सल्ल०) फ़रमाते हैं–

जो व्यक्ति अपवित्र माल खाएगा यदि दान देगा तो वह स्वीकार न होगा और यदि रख छोड़ेगा तो नरक के द्वार तक वह उसका पाथेय (सफ़र का ख़र्च) होगा ।

● अपने हाथ से प्राप्त की हुई जीविका से अच्छी कोई जीविका नहीं है ।

● जो व्यक्ति पवित्र जीविका खाये, मेरे मार्ग पर चले और जनसाधारण को अपनी बुराइयों से सुरक्षित रखे वह स्वर्ग में जाएगा ।

● अल्लाह पवित्र धन के अतिरिक्त किसी धन को स्वीकार नहीं करता ।

● पवित्र कमाई का दान चाहे एक खजूर ही हो, तो अल्लाह उसको दाएं हाथ से ग्रहण करता है और दान देने वाले को इस प्रकार बढ़ाता है, जैसे कोई आदमी अपने बछड़े को बढ़ाता है । यहां तक कि वह पहाड़ के बराबर हो जाता है ।

● जो व्यक्ति अपने खाने के लिए, भीख मांगने से बचने के लिए और अपने बाल-बच्चों के पालन-पोषण के लिए और अपने पड़ोसी के साथ उपकार करने के लिए पवित्र कमाई उचित रूप से प्राप्त करे, तो वह प्रलय के दिन अल्लाह से इस अवस्था में भेंट करेगा कि उस व्यक्ति का चेहरा चौदहवीं की रात के चांद के समान चमकता होगा ।

● आपके साथी अबू हुरैरा (रज़ि०) का बयान है कि एक बार रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे इन पांच बातों का उपदेश दिया–

1. अपवित्र माल खाने से बचो । इससे तुम सबसे बड़े अल्लाह के उपासक बन जाओगे ।

2. जो अल्लाह से प्राप्त हो, उस पर संतुष्ट रहो । इससे तुम सबसे ज़्यादा मालदार हो जाओगे ।

3. अपने पड़ोसी के साथ सद्व्यवहार करो, तुम मोमिन हो जाओगे ।

4. दूसरे लोगों के लिए वही पसन्द करो, जो तुम अपने लिए पसन्द करते हो तो तुम मुस्लिम हो जाओगे ।

5. अधिक हंसा न करो, अधिक हंसना दिल को बुझा देता है ।

● हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) से पूछा गया कि संन्यास क्या है ? तो आपने फ़रमाया कि पवित्र जीविका प्राप्त करना और इच्छाओं को कम करना ।

● रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ़रमाया कि मुसलमान केवल इसी प्रकार सदाचारी, संयमी और धार्मिक हो सकता है, जब वह उन वस्तुओं को हाथ न लगाए जिनके बारे में उसे अपवित्र होने की आशंका हो ।

● रसूले करीम (सल्ल०) ने फ़रमाया–"मकानों के निर्माण में वर्जित ढंग से प्राप्त धन न लगाओ, क्योंकि वह बुराई एवं विनाश का आधार है ।"

● जो व्यक्ति अपवित्र धन अपने घर लाएगा, वह उसके

बाल-बच्चों की हानि का कारण होगा और कोई पुरुष उस हानि की पूर्ति नहीं कर सकता । यदि एक मनुष्य के अच्छे कर्म पहाड़ के बराबर होंगे तो भी उसे क़ियामत (कर्म फल) के दिन तराज़ू के पास ठहरा कर पूछेंगे कि तूने अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण कहां से किया ? उसकी इस बात पर पकड़ की जाएगी और उसके समस्त पुण्य कर्म अकारथ चले जाएंगे । उस समय फ़रिश्ता आवाज़ देगा कि देखो यह वह व्यक्ति है कि उसके परिवार वाले उसके समस्त पुण्य कर्म खा गये और यह स्वयं पकड़ लिया गया ।

● क़ियामत (प्रलय) के दिन किसी मनुष्य से सर्वप्रथम उसके परिवार वाले झगड़ेंगे और कहेंगे कि हे अल्लाह ! इसका और हमारा न्याय कर । इसने हमको वर्जित (हराम) भोजन खिलाया । हम इस बात को नहीं जानते थे, जो बातें हमको सिखाने की थीं, वह हमको नहीं सिखायी, हम मूर्ख रह गये । इसलिए जो व्यक्ति पवित्र विरासत न पाए या पवित्र जीविका न कमाये, उसे विवाह नहीं करना चाहिए, यदि वह अपने आपको व्यभिचार से सुरक्षित रख सके ।

● प्रतिदिन प्रात: समय उठकर अपने दिल में संकल्प कर लिया करो कि आज घर से इस विश्वास के साथ जाऊंगा कि पवित्र जीविका कमाकर लाऊंगा, ताकि लोगों की मोहताजी और उनकी आवश्यकता न रहे और इतना ईश्वर भय और अवसर प्राप्त हो कि अल्लाह की उपासना में लीन हो सकूं । और यह संकल्प करके बाहर जाओ कि आज लोगों के साथ दया, सज्जनता, क्षमा और सत्यता से काम लूंगा और लोगों को अच्छे काम करने का आदेश और बुरे कामों से बचने की ताकीद करूंगा ।

● जो व्यक्ति चालीस दिन तक निरंतर पवित्र जीविका खाये, जिसमें अपवित्र कमायी तनिक भी सम्मिलित न हो, अल्लाह उसके हृदय को अपने नूर से परिपूर्ण कर देता है और ज्ञान के स्रोत उसकी अंतरात्मा में जारी कर देता है और लौकिक लोभ उसके मन से निकाल देता है ।

● रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ़रमाया–"बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनका खाना-कपड़ा अपवित्र धन का होता है । फिर भी वह हाथ उठा-उठाकर प्रार्थना करते हैं । किंतु इसीलिए उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती ।" आपने यह भी फ़रमाया कि अल्लाह का एक फ़रिश्ता बैतुल मक़्दिस में है, जो हर रात पुकारता है कि जो व्यक्ति अपवित्र माल खाएगा, अल्लाह उसकी न फ़र्ज़ उपासना स्वीकार करेगा न सुन्नत ।

● हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया–"जो व्यक्ति इसका विचार नहीं रखता कि माल कहां से कमाता है तो अल्लाह भी इसकी परवाह नहीं करेगा कि उसे किधर से जहन्नम (नरक) में डाल दे । जो मांस शरीर में अपवित्र माल खाने से बढ़ेगा वह नरक में जलाया जाएगा ।

● नबी करीम (सल्ल०) ने फ़रमाया–"जो व्यक्ति अपवित्र माल खाएगा यदि दान देगा तो वह स्वीकार न होगा और यदि रख छोड़ेगा तो नरक के द्वार तक वह उसका पाथेय (सफ़र का ख़र्च) होगा ।"

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के ख़लीफ़ा हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि०) ने अपने एक ग़ुलाम के हाथ से दूध का शरबत पिया । जब पी चुके तो मालूम हुआ कि शरबत अपवित्र धन से बनाया गया था । आपने मुंह में इतनी गहरी उंगली डालकर कै (उल्टी) की कि उसके कष्ट के कारण आपके प्राण जाने की आशंका हो गयी । इतना करने के बाद भी आपने प्रार्थना की कि ऐ ख़ुदा, मैं तेरी पनाह मांगता हूं इस शरबत के उस भाग से जो चेष्टा करने के बाद भी क़ै के द्वारा नहीं निकला और मेरे पेट में बाक़ी रह गया । इसी प्रकार इस्लाम के दूसरे ख़लीफ़ा हज़रत उमर (रज़ि०) ने भी एक बार ऐसा ही किया था, क्योंकि लोगों ने उन्हें दान में मिला हुआ अपवित्र दूध पिला दिया था । उन्होंने भी उसे क़ै करके निकाल दिया । हज़रत उमर (रज़ि०) के पुत्र अब्दुल्लाह कहते हैं कि यदि तू इतनी नमाज़ पढ़े कि मेरी पीठ टेढ़ी हो जाए, इतने रोज़े रखे कि बाल की तरह बारीक और दुबला हो जाए, लेकिन यदि तू अपवित्र जीविका से नहीं बचेगा, तो ऐसे रोज़ों और नमाज़ से तुझे कोई लाभ नहीं होगा ।

जब मैं इस विषय पर लिख रहा था और रसूले करीम (सल्ल०) के एक-एक कथन को नक़ल कर रहा था तो विश्वास करो मेरा दिल भय से कांप रहा था, क्योंकि मैं समझता था कि इस्लाम में पवित्र जीविका की जितनी कड़ाई से ताकीद की गयी है, उसके संबंध में मुझमें या मेरे भीतर बहुत-सी त्रुटियां हैं तो क़ियामत के दिन मेरा क्या हाल होगा ? मैंने यह अध्याय लिखकर अल्लाह से यह प्रार्थना की कि ऐ मेरे पालनकर्ता ! तू मुझ पर इतनी दया कर कि मैं वास्तव में अपवित्र जीविका से उतना ही बचूं जितनी इस्लाम में ताकीद है ।

भुखमरी तो मिटानी ही होगी मगर इस तरह नहीं

❖ प्रोफ़ेसर ज्यां द्रेज

हाल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल को कैबिनेट की मंज़ूरी मिली तो मुख्यधारा की मीडिया में इसके वित्तीय प्रभावों को केन्द्र में रखकर आलोचनाओं का एक सिलसिला चल निकला । ज़ाहिरी तौर पर बिल से लागत ख़र्च के बारे में जो बातें निकलती हैं उनकी जांच परख और सार्वजनिक बहस होनी चाहिए लेकिन यह बात बड़ी उदास करने वाली हैं कि इन आलोचनाओं में लागत के बारे में तो बड़ी चिंता जतायी जा रही है लेकिन लोगों की ज़िन्दगी को संवारने के लिहाज़ से यह बिल जो कर सकता है उसको लेकर दिलचस्पी न के बराबर है ।

कैबिनेट के नोट में बिल के लिहाज़ से 27,000 करोड़ रुपये के ख़र्चे का अनुमान किया गया है और इस अनुमान में ऐसी हवा भरी गयी कि कई भ्रमपूर्ण टिप्पणियों में यह कई लाख करोड़ रुपयों में तब्दील हो गया । कुछ रिपोर्टों में बिल के अंतिम रूपांकन को स्टॉक मार्केट के तथाकथित क्रैश से जोड़कर देखा गया । इन रिपोर्टों में से एक ने अफ़सोस के स्वर में समाचार का शीर्षक लगाया "हू विल फीड द सेंसेक्स ?" और एक समाचार के शीर्षक "क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैपस्" में तो यह तक कहा गया कि न सिर्फ़ भारत बल्कि चीन, ब्राजील और रूस तक में भुगतान-असंतुलन पैदा हो सकता है । इससे बचने के लिए सरकारों को अपनी उधारी बढ़ानी पड़ेगी । ऐसे अन्य दिलचस्प समाचार सुर्ख़ियों में शामिल हैं "रेकलेस फूड सिक्यूरिटी लार्ज्स कुड बस्ट द बैंक" यानी खाद्य सुरक्षा के नाम रुपयों की बेतहाशा बरसात से बैंकों का भट्ठा बैठ जाएगा और "विल द फूड बिल बी द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रेक द इंडियन इकोनॉमी" यानी क्या खाद्य सुरक्षा बिल भारतीय अर्थव्यवस्था के ताबूत में आख़िरी कील साबित होगा ?

ख़तरे की घंटी बजाते इन समाचारों से हर आदमी को हैरत होगी जिसने खाद्य सुरक्षा बिल को पढ़ा है । मिसाल के लिए यह जताने की कोशिश की जा रही है कि 27,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सीडी का बोझ बस तुरंत अगले ही वित्तीय वर्ष में पड़ने वाला है । यह बात ग़लत है । बड़े आशावाद के साथ यह मान लें कि बिल संसद के बजट सत्र में पास हो जाता है और साल 2012 की मध्यावधि तक अमल में आता है तो भी साल 2012-13 में अतिरिक्त सब्सीडी की रक़म 27,000 करोड़ रुपये से नीचे ही रहेगी । बिल के लागू होने की वास्तविक समयावधि के कारण भी ऐसा होगा और इसलिए भी कि बिल एक झटके में सारे देश में लागू हो जाए, इसकी संभावना कम है । दरअस्ल, बिल की अधिसूचना जारी करना कालबद्ध मामला नहीं है । इसे कई चरणों में जारी किया जा सकता है । अधिनियम लागू हो जाता है तब भी सामान्य श्रेणी (प्राथमिक श्रेणी के परिवारों के विपरीत) के परिवारों के भोजन के अधिकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुधारों से जोड़ा जाना है और इसे उसी तारीख़ से लागू माना जाएगा जो तारीख़ केन्द्र सरकार तय करेगी । इसके अतिरिक्त मौजूदा खाद्य भंडार इतना विपुल है कि बिल से पैदा होने वाली अनाज की अतिरिक्त ज़रूरत को थोड़ी-सी रक़म ख़र्च करके कुछ समय तक पूरा किया जा सकता है ।

इन रुझानों में शामिल है तेज़ आर्थिक वृद्धि, सरकारी राजस्व में तीव्रतर बढ़ोतरी, खाद्यान्न के उपार्जन में टिकाऊ बढ़ोतरी और हाल फ़िलहाल में कई राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़े सुधार । रुझान कहते हैं कि खाद्य सुरक्षा की पहलक़दमी के लिए माहौल अनुकूल है । संयोग से अगर अधिनियम अलग वित्त वर्ष की शुरुआत में पूर्णव्यापी तौर पर अमल में आ जाता है और इसमें अतिरिक्त खाद्य भंडार का इस्तेमाल नहीं किया जाता यानी अतिरिक्त सब्सीडी की रक़म साल 2012-13 में सचमुच 27,000 करोड़ रुपये रहती है तब भी इस लागत की भरपाई के लिए रास्ते निकाले जा सकते हैं, वित्त मंत्रालय के राजस्व संबंधी एक ब्यौरे (रेवेन्यू फॉरगॉन स्टेटमेंट) के अनुसार हीरा और सोना के कस्टम शुल्क पर दी जाने वाली छूट को ही ख़त्म कर दिया जाए तो अकेले इससे लगभग 50,000 करोड़ रुपये की आमदनी होगी और याद रहे शुल्कों में दी जाने वाली छूट के कारण साल 2010-11 में सरकार को जिस 511,000 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई, हीरा और सोना के कस्टम शुल्क में दी जाने वाली छूट उसका एक हिस्सा मात्र है । व्यापक धरातल पर सोचें तो देश का टैक्स

जी०डी०पी० अनुपात बढ़ाने की भारी गुंज़ाइश रखा है । यह बात विशेषज्ञों की कई रिपोर्टों में कही गयी हैं । फिर धनिकों को दी जाने वाली सब्सीडी में कमी करने का रास्ता अलग से है । इस बात का ज़िक्र करना लाज़िमी है कि 27,000 करोड़ की अनमानित राशि का संबंध सार्वजनिक वितरण प्रणाली से है ।

बिल में बाल पोषण और मातृत्व से जुड़े खाद्य सुरक्षा के अधिकारों के भी प्रावधान हैं । बहरहाल इनमें से अधिकतर प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों (मातृत्व से जुड़े भोजन अधिकार मुख्य अपवाद हैं) के मद्देनज़र अपरिहार्य हैं । समय बीतने के साथ जैसे-जैसे नयी पहलक़दमियां ठोस रूप लेंगी, लागत बढ़ सकती है लेकिन धन का इस्तेमाल अगर अच्छाई के लिए हुआ है तो यह कोई बुरी बात नहीं ।

यही तर्क बिल में वर्णित खाद्यान्न उपार्जन के बारे में भी लागू होते हैं । जिसने भी कहा है (या तथाकथित रूप से कहा गया है) कि बिल की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए "खाद्यान्न की उपज और खाद्यान्न के सरकारी उपार्जन को बढ़ाने के लिए 350,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ज़रूरत पड़ेगी । वह इस तथ्य को लगभग भूल जाता है कि खाद्यान्न उपार्जन पहले ही लगभग 6 करोड़ टन का है । इतनी मात्रा बिल को एकबारगी पूरे देश में लागू करने के लिए काफ़ी है ! संयोग से खाद्यान्न उपार्जन गुज़रे बीस सालों से लगातार लगभग 5 फ़ीसदी की दर से बढ़ रहा है और ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि यह बढ़ोत्तरी अचानक रुक जाएगी और जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, देश के पास मौजूदा विशाल खाद्य भंडार खुद में एक बड़ी राहत की बात है ।

आख़िर में एक महत्वपूर्ण बात और कि बिल में बहुत-सी कमियां और ज़िम्मेदारी से बच निकलने के रास्ते हैं । समयावधि तय करने की ही नहीं अधिकतर अधिकारों में संशोधन करने और राज्यों के साथ लागत ख़र्च में हिस्सेदारी की बात तय करने की ताक़त भी केन्द्र सरकार ने अपने पास रखी है । कई प्रावधान ऐसे हैं जिनमें केन्द्र सरकार अपनी मर्ज़ी से भोजन से जुड़े अधिकारों को नक़दी के हस्तांतरण (कैश ट्रंसफर) के रूप में बदल सकती है । बच निकलने के इतने सारे रास्तों के रहते ख़तरे की घंटी बजाती मौजूदा ख़बरदारियां समझ से परे हैं। ख़तरे की घंटी बजाती इन ख़बरदारियों की जगह बिल में कही गयी बातों पर जानकारी भरी बहस होनी चाहिए ।

दरअस्ल बिल की गंभीर कमियां हैं, केन्द्र सरकार ने अपने हाथ में ज़्यादा ताक़त रखी है । बच्चों के लिए बड़े सीमित प्रावधान किये गये हैं और फिर बड़े समस्यापूर्ण ढंग से आबादी को तीन हिस्सों प्राथमिक, सामान्य और अपवर्जी में बांटा गया है । ज़रूरत बिल को लचीला और सरल बनाने की है । भुखमरी तो मिटानी ही होगी । (विविधा फीचर्स)

Jamaat-e-Islami Social Service Society (Regd). Gaya

The Society is in service in the field of education, health and Islamic understanding for the last 34 years. Our resources are limited, our task is tremendous. We seek your co-operation in the following activities:-

1. **IQRA PUBLIC SCHOOL :** Besides 800 paying students, about 150 poor or orphan girls & boys are provided free education upto Matriculation with Islamic Carriculam.
2. **MILLAT HOSPITAL :** Every year about 15000 poor & needy patients are provided with free medical treatment & medicine besides other services.
3. **INTEREST-FREE SOCIETY :** Provides short-term loan without interest to needy people.
4. **ISLAMIC INFORMATION CENTRE :** Established at Bodh-Gaya, where lakhs of foreigners visit every year during Nov - March. The Centre provides reading materials on Islam, distributes Islamic literature and invites interested visitors for discussion besides inter-faith dialogue on regular basis.

Kindly send your cheque/draft in favour of the society

(Q. Hoda) Chairman

(Prof. M. B. Zaman) Secretary

JISSS, Millat Campus, Leitch Road, Gaya-823001

व्यथा ही इनका जीवन !

■ विद्या प्रकाश

देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुए छह दशक से अधिक की अवधि व्यतीत होने तथा शिक्षा-दीक्षा की तमाम कोशिशों के बावजूद समाज में विधवाओं की दशा कितनी दयनीय है तथा वे कितनी उपेक्षित हैं, इसका अनुमान इसी बात से किया जा सकता है कि उनके संबंध में आंकड़े तक उपलब्ध नहीं हैं ।

वे शोधकर्ताओं तथा अध्ययनकर्ताओं के अध्ययन की सीमा में नहीं आतीं तथा समाज, स्वयं सेवी संगठन तथा सरकारें भी उनके हितों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता तथा औचित्य नहीं महसूस करती । प्रति वर्ष 23 जून को विश्व विधवा दिवस पर गोष्ठी जैसे कार्यक्रमों में विधवाओं की दयनीय दशा में सुधार तथा कल्याण पर भीषण भाषण किये जाते हैं तथा उनकी करुण अवस्था पर अश्रुपात किया जाता है, मगर व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं दृष्टिगत होता जो विधवाओं के लिए हितकारी, कल्याणकारी और विकासानुकूल हो ।

संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन के अनुसार भारत सहित संपूर्ण विश्व में विधवाओं की दशा कमोबेश एक जैसी है तथा शिक्षा और जागरूकता के अभाव के चलते वे समाज की मुख्यधारा से कटकर रह जाने को विवश और अभिशप्त हैं ।

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े कै अनुसार विश्व में विधवाओं की संख्या 24.5 करोड़ है जिनमें से 11.5 करोड़ विधवाएं अत्यधिक निर्धन देशों में निवास करती हैं ।

भारत में भी पहले विधवाओं को सामाजिक पारिवारिक रूप से अलग-थलग कर देने तथा उन्हें अग्नि ज्वाला में सती कर देने जैसी अमानवीय प्रथा प्रचलित थी । विशेषकर ग्रामीणांचलों में आज भी विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा नहीं है । कुछ मुस्लिम सम्राटों के साथ ही राजा राममोहन राय तथा ईश्वर चन्द विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने इस तरफ़ पहलक़दमी की तथा विधवाओं की दशा में कुछ सुधार आया ।

सती प्रथा जैसी अमानवीय यंत्रणाक्रारी भयावह प्रथा पर क़ानूनन रोक लगी । लेकिन स्वातंत्र्योपरांत विधवाओं के हित में समाज सुधार की दिशा में बड़े पैमाने पर उल्लेखनीय प्रयास नहीं किये गये । स्वदेश में विधवाओं के साथ क़ानूनी, सामाजिक, आर्थिक तथा निजी समस्याएं जुड़ी हुई हैं । उनकी सामाजिक उपेक्षा तथा दयनीय दशा के लिए जितनी ज़िम्मेदार सरकार है, उससे कम ज़िम्मेदार समाज तथा सामाजिक संगठन नहीं है । विधवाओं की दशा में अपेक्षित सुधार के लिए उचित पैमाने पर प्रयास नहीं किये जाते, हालांकि उन्हें क़ानूनी रूप से जागरूक करने की दिशा में प्रयास कर उनकी समस्याओं को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है ।

भारतीय समाज में निम्न तथा मध्यम वर्ग के साथ उच्च वर्ग के परिवारों की विधवाओं को भी वैधव्य काल में अनेकानेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है । हालांकि सरकारी स्तर पर जीवन निर्वाह के लिए विधवाओं को विधवा पेंशन का प्राविधान है मगर विधवा पेंशन मंजूर करवाने में विधवाओं को कम पापड़ नहीं बेलने पड़ते । समाज कल्याण बिभाग में क्लर्कों को बिना अग्रिम सुविधा शुल्क दिये विधवाओं का मासिक पेंशन स्वीकृत नहीं किया जाता तथा एक न एक कमी दिखाकर विधवा पेंशन संबंधी आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है । यदि येन केन प्रकारेण पेंशन मंजूर हो भी गया तो महीना, दो महीना के बाद फंड के अभाव जैसे कारणों तथा बहानों से पेंशन रुक जाया करता है तथा बुढ़ापे में विधवा दर-ब-दर की ठोकर खाने को मजबूर हो जाती हैं । विधवाओं के उत्थान में ग़ैर-सरकारी संगठनों की रुचि कम प्रतीत होती है । यहां तक कि धार्मिक संगठन भी इस दिशा में मानवीय कारगर पहल नहीं करते ।

For Information On
City Shops, Roads–Products,
Restaurants, Landmarks
And much more.
Visit us:
www.shoppinglanes.com

ऐसे भी अनेक मामले प्रकाश में आये हैं जब महिलाओं के विधवा होने पर ससुराल पक्ष के लोग उसे घर से बाहर कर देते हैं, विधवाश्रम में एकाकी छोड़ आते हैं तथा उसे काशी या मथुरा में छोड़ आते हैं, जहां वह भिक्षाटन कर या मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद तथा भंडारे से किसी प्रकार ज़िन्दगी के शेष दिन मजबूरन गुज़ारती हैं। मरने पर उसे कफ़न तक परिजन नहीं देते।

इस प्रकार के उत्पीड़न के ज़्यादातर मामले दिवंगत पति की चलाचल संपत्ति पर पत्नी के अधिकार छीन लेने के लिए होते हैं। विधवाओं के लिए देश में कम से कम यह एक अच्छा क़ानून है कि पति के मरणोपरांत पत्नी को उसकी संपत्ति पर स्वत: अधिकार हासिल हो जाता है। मगर जागरूकता की कमी की वजह से विधवा हो चुकी अनेक महिलाएं इस अधिकार से वंचित रह जाती हैं तथा वे उसका लाभ नहीं ले पातीं।

ऐसा भी देखा गया है कि सरकारी नौकरी करने वाले अथवा नौकरी कर रिटायर्ड हो चुके पति के मरणोपरांत उसकी विधवा फेमिली पेंशन को आवश्यकतानुसार तथा इच्छानुसार नहीं व्यय कर पाती। महीने की पहली तारीख़ के बाद बैंक अथवा ज़िला कोषागार कार्यालय जाकर फेमिली पेंशन लाने के बाद परिवार के देवर और जेठ उसके फेमिली पेंशन को ले लेते हैं तथा बदले में उसे खाने को दोनों वक़्त रुखी-सूखी रोटी तथा पहनने को फटी-पुरानी साड़ी मिलती है। अधिकतर विधवाएं कुपोषण की शिकार हैं तथा पारिवारिक उपेक्षा के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

फ़ार्म–4
नियम–8

प्रकाशन : 'कान्ति', D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–25

प्रकाशन अवधि : मासिक

प्रकाशक, मुद्रक : **ख़लील अहमद**

राष्ट्रीयता : भारतीय

पता : D-105, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

सम्पादक : **डॉ॰ मुहम्मद अहमद**

राष्ट्रीयता : भारतीय

पता : एफ 101, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव-II, शाहीन बाग़, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025

स्वामित्व : **दावत ट्रस्ट (रजि॰)** D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–25

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज

चेयरमैन : **मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी** दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

सेक्रेट्री : **जनाब मुहम्मद अहमद** दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

सदस्य : 1. **जनाब टी॰के॰ अब्दुल्लाह मौलवी,** इलाथन कण्डी हाउस, पोस्ट-पालीरी, वाया-कुटियाड़ी, ज़िला कालीकट, केरल, 2. **जनाब मुहम्मद जाफ़र,** अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–25, 3. **प्रो॰ के॰ए॰ सिद्दीक़ हसन,** अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025, 4. **जनाब नुसरत अली,** अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025, 5. **जनाब सैयद ग़ुलाम अकबर,** दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025, 6. **जनाब एजाज़ अहमद असलम,** दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025, 7. **जनाब मुज्तबा फ़ारूक़,** दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025, 8. **जनाब रफ़ीक़ अहमद,** दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025, 9. **डॉ॰ वक़ार अनवर,** अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

मैं ख़लील अहमद, एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

हस्ताक्षर

ख़लील अहमद

सूचना का अधिकार : कितनी हक़ीक़त कितना अफ़साना

■ रूपा मंगलानी

नब्बे के दशक में ब्यावर के चांग गेट पर धरना देने वाले और तमाम संघर्षों के बाद जानकारी की हक़दारी लेने वाले उस गांव के मेहनतकश मज़दूरों को यदि सरकारी व्यवस्था की तंग गलियों में उसकी जानकारी की हक़दारी का हाल पता चले तो शायद वो अपना सिर पकड़ ले या एक बार फिर खड़ा हो जाए गोपनीयता की हठधर्मिता से जूझने के लिए । सरकारी महकमे के विविध विभागों में सूचना के अधिकार की स्थिति का जायज़ा लिया जाए तो अनेक चौंकाने वाली स्थितियां सामने आती हैं । केवल सूचना के अधिकार की उपेक्षा की मंशा हो तो बात समझ में आती है लेकिन क़ानून को विधिवत नष्ट करने के प्रयास, सूचना आयोगों के निर्णयों के अनुपालन के प्रति बंद आंखों और धारा 4(1) के प्रति अज्ञानता और उसे लागू करने की कोई मंशा न रखना, धौंस जमाते तंत्र और लोहे के चौखट में क़ैद पारदर्शिता की प्रवृत्ति को खुलेआम बयान करती है । कुछ सामान्य नकारात्मक प्रवृतियां इस रूप में सामने आयीं–

'सूचना का अधिकार' नाम से ही परहेज़

सरकारी महकमों में सूचना के अधिकार के आवेदकों को प्रेसवाला, एडवोकेट, ब्लेकमेलर या ऐसे अप्रिय व्यक्ति के रूप में माना जाता है जिसके लिए दुबारा कार्यालय में क़दम न रखे ऐसी व्यवस्था का भरसक प्रयास किया जाता है । यदि सूचना का आवेदन डाक से भेजा जाए तो आवेदनों को प्राप्त करने वाला अपने हार्दिक नकारात्मक उदगार टिप्पणियां देने से बाज़ नहीं आता । आर०टी०आई० वाला और आर०टी०आई० वाली कुछ नवीन संबोधन हैं । महकमों के धारा 6(2) में आवेदन का कारण पूछने की मनाही के बावजूद लगे हाथों मौखिक रूप से कारण पूछ ही लिया जाता है । एक ओर क़ानून में निरक्षर को आवेदन लिखवाने के निर्देश का प्रावधान है दूसरी ओर सामान्य शिष्टाचार को ताक़ पर रखकर आवेदक को हर मुमकिन प्रयासों से सूचना लेने की सज़ा दी जाती है । 1923 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में औपनिवेशिक सत्ता की घृणा, दमन, उपेक्षा तो समझ आती है लेकिन 2010 में स्वतंत्र भारत के 63 साल बाद नागरिक के अपमान का माजरा समझ में नहीं आता ।

ऐसी प्रक्रिया में फंसाओ कि अधिकार भूल जाए

कुछ विभागों में मौखिक रूप से सूचना के अधिकार के प्रक्रियागत अवरोध निकाल रखे हैं । कुछ दृष्टांत ऐसे हैं–आवेदन के साथ लगे आवेदन शुल्क को नष्ट कर देना । रिकार्ड नहीं मिल रहा है कहकर औपचारिक एफ०आई०आर० दर्ज करवाना और फिर सूचना के आवेदन पर एफ०आई०आर० लगा देना । रिकार्ड ट्रांसफर कर दिया गया है, जहां दो से अधिक महकमें हों जैसे जयपुर नगर निगम एवं जे०डी०ए० । 'आई बला को टाल तू' मेरा नहीं तेरा क्षेत्र जहां एकाधिक वृत से सूचना मांगी गयी हो । मांगी जा रही सूचना में दंड के प्रावधानों का हवाला देते हुए अधीनस्थों को हस्तांतरण कर देना । लोक सूचना अधिकारियों द्वारा प्रथम अपील की पैरवी एवं सूचना आयोग में पैरवी पर स्वयं न जाकर किर्सा अन्य को भेजना । आवेदक को अधूरी सूचना देना तथा शेष सूचना के लिए उपलब्ध नहीं है का जुमला । प्रक्रिया को लंबा खींचो अगली पेशी की तारीख़ व्यस्तताओं का आधार बनाना । प्रथम अपील के निर्णयों का पालन नहीं करना । आयोग के निर्णयों के बाद विभाग से न्यायालय में जाने की सिफ़ारिश ।

मनाही के स्थापित उपाय

सूचना के अधिकार आवेदनों को ख़ारिज करने के कुछ उपाय भी स्थापित किये गये हैं । सूचना मांगने वाले से कह दिया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गयी सूचना प्रश्नात्मक है, व्यक्तिगत है, इससे जांच प्रभावित होगी । अतः आपको सूचना नहीं दे सकते । कुछ मामलों में तो मांगी गयी सूचना को सूचना के अधिकार क़ानून में नहीं होने का बहाना बनाकर सूचना देने से बचा जाता है । सूचना प्रश्नों में नहीं दे सकते, सूचना विस्तृत है, कार्यालय में स्टाफ़ की कमी जैसे बहाने सूचना देने की मनाही के कारण बन जाते हैं । धारा 6(3) सूचना के स्थानांतरण के प्रति उपेक्षा, धारा

7(ए) का विस्तृत प्रयोग, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में धारा 8, धारा 9 एवं धारा 10 के प्रति जानने की परम उत्सुकता और क्या नहीं दे सकते कि सवाल क़ानून के प्रति उनकी मानसिकता को इंगित करते हैं । धारा 4(1) का अनुपालन सरकारी महकमों के लिए कोई चिंता का कारण नहीं है ।

राज्य में सर्वाधिक सूचना के अधिकार के आवेदन लगने का दावा करने वाले शहरी/निकायों से संबंधित विभागों के ज़िम्मेदार अधिकारी का कहना है "एक बार जैसे-तैसे 4(1) को प्रकाशित कर दें फिर हम कह देंगे हमने तो कर दिया ।" रोचक तथ्य यह है कि लोक सूचना अधिकारियों अथवा लोक प्राधिकरण के ज़िम्मेदार अधिकारियों ने धारा 4(1) की 17 श्रेणियों को पढ़ने की ज़हमत भी नहीं उठायी है ।

अज्ञानता का लाभ

जहां एक ओर सूचना का अधिकार क़ानून सूचनाओं तक सहज पहुंच की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावना से लेकर 6 अध्यायों में हर संभव प्रयास करता है वहीं सरकारी महकमों में छोटे बाबू से लेकर बड़ा बाबू और प्रथम अपील अधिकारी स्तर तक नागरिक की प्रक्रिया की अज्ञानता का पूरा लाभ उठाया जाता है । आवेदन के प्रति संवेदनहीन रवैये का आलम यह है कि किसी भी कमी को न तो दुरुस्त करवाया जाता है न ही कोई अन्य जानकारी देने का प्रयास किया जाता है । युद्ध के मैदान में शत्रु की ग़लती पर ख़ुशी मनाने का रवैया सरकारी महकमों में आसानी से देखा जा सकता है । जयपुर ज़िले के बांस बाघनपुरा, चाकसू के राधेश्याम जांगिड़ ने जब स्कूल के ख़र्चे की सूचना पंचायत के स्थान पर पंचायत समिति को लगायी और इसकी अपील ज़िला शिक्षा अधिकारी को की तो उन्हें स्थानीय स्तर पर मुक़दमेबाज़ी में फंसाने की धमकी सहित गांव में अशांति का जनक घोषित किया गया । राज्य सूचना आयोग में आवेदन करने पर उन्हें प्रथम अपील के बाद सही प्रक्रिया से आने को कहा गया । सूचना तो उन्हें आज तक भी नहीं मिली ।

काम का बोझ मुसीबत का आवेदन

राज्य के नोडल विभाग द्वारा सूचना के अधिकार के लिए पृथक सेल के गठन के निर्देशों के बावजूद अधिकांश विभागों में सूचना के अधिकार के लिए आवश्यक स्टाफ़ एवं संसाधनों जैसे फोटोप्रति के लिए फोटोकॉपी मशीन का अभाव है । पुलिस विभाग (दक्षिण) एवं पुलिस विभाग (उत्तर) जयपुर में सूचना के अधिकार के आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने वाले अधीनस्थ विभाग ने फोटोकॉपी मशीन के प्रशिक्षण एवं पर्याप्त स्टाफ के अभाव में काम के बोझ की मुश्किल बतायी ।

दुनिया को सूचना के अधिकार को रोज़ी-रोटी से जोड़ना सिखाने वाले, निर्धन ग्रामीण मज़दूरों के एक दशक के संघर्ष के बाद मिले जानने की हक़दारी के अधिकार को हर संभव प्रयासों से नकारने वाली नौकरशाही शायद यह नहीं जान पायी है कि इस प्रगतिशील क़ानून के प्रभावी क्रियांवयन को विलंबित भले ही कर दिया जाए लेकिन दफ़न करने की मंशा सफल नहीं हो पाएगी । यह क़ानून की ताक़त ही है कि कार्यालय समय में सूचना के अधिकार की उपेक्षा करने वाली सरकारी व्यवस्था का नुमाइंदा क़ार्यालय समय के बाद अपनी निजी समस्याओं के लिए सूचना के अधिकार का आवेदन लगाता है । यही इस क़ानून की जीवटता है । (वि॰फी॰)

SHATABDI FOUNDATION, GAYA

- Started Shatabdi Public School in 2001 with primary classes, has now developed into a 10+2 CBSE affiliated educational institution with quality education in modern subjects with moral orientation.
- Presently there are around 1000 students who are provided modern teaching facilities. The Foundation also adopts poor/ orphan students
- Under Upwardbound .scheme, another project has been launched for preparation of +2 students to compete in Entrance Test for Engineering, Medical and other professional & technical courses.
- Our immediate needs are — Purchase one more school bus, Construction of Prayer Hall & Purchase of 30 Computers.

Ahle Khair Hazrat are Requested to Donate.

Kindly send your cheque/draft in favour of "Shatabdi Foundation, Gaya"

(ProfZ.H.Khan) Chairman — *(Prof M. B. Zaman)* Secretary

Shatabdi Public School, Katari Hill Road, Gaya-823001 (Bihar) INDIA

उर्दू एक सलीस ज़ुबान

■ डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी

इसमें दो राय नहीं हो सकती कि उर्दू एक सलीस ज़ुबान है । लेकिन बहुत से लोगों को यह भ्रम है कि उर्दू किसी मज़हब या संप्रदाय की भाषा है । कभी-कभी इस नासमझी की वजह से उर्दू को वोट बैंक की राजनीति में भी घसीटा जाता है । इससे उर्दू का भारी नुक़सान होता है । हक़ीक़त तो यह है कि उर्दू का जन्म हिन्दुस्तान में हुआ और यह मुग़ल दरबार के राजकाज की भाषा बनी । इसके बहुत सारे शब्द आज भी हमारे थानों-कचहरी में प्रयोग हो रहे हैं । आबोदाना, ज़िला, दफ़्तर, हक़ीक़त, आदि भारत की विभिन्न भाषाओं में भी घुल-मिल गये हैं । लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत आने के बाद उर्दू सरकारी भाषा नहीं रह सकी । इसलिए उर्दू का फैलाव और विकास अवरुद्ध हो गया ।

साथ ही उर्दू के अदब में जो रवानी है, मिठास है और जो ख़यालात की बुनावट है, वह भी कुछ लोगों के भीतर ही सीमित रह गयी है । इसका एक कारण जहां उर्दू का राजकाज से अलगाव होना है, वहीं दूसरी ओर उसका किसी एक संप्रदाय से विशेष जुड़ाव होना भी है, जो कि असलियत में नहीं है । यह बात बहुत अच्छी तरह समझनी चाहिए कि उर्दू के बहुत बड़े अख़बार मुसलमान नहीं, बल्कि हिन्दू निकालते थे । उर्दू के बहुत मशहूर अदीब प्रेमचंद, कृष्ण चन्द्र, फ़िराक़, मुल्ला, गुलज़ार आदि रहे हैं, जैसे हिन्दी में जायसी, खुसरो, अब्दुर्रहीम ख़ानख़ाना रहे ।

उर्दू में ऐसा बहुत-सा साहित्य है जो रस भरा तो है ही, दार्शनिक भी है । मंटो जैसे बहुत से लेखकों ने आम आदमियों के सवाल भी उठाये । लेकिन उसमें विज्ञान, आई॰टी॰, इंजीनियरिंग आदि बदलती दुनिया के अनुसार बहुत से आधुनिक विषय शामिल नहीं हैं । उर्दू जिन संस्थानों में पढ़ायी जाती रही है, वहां इन विषयों को पढ़ाने की तरफ़ ध्यान नहीं दिया गया । उर्दू का रोज़गार से संबंध हटता चला गया इसलिए उसके पढ़ने वालों की संख्या भी घटती चली गयी ।

जब मैं वाजपेयी सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री था तो उस नाते मैं उर्दू कौंसिल का अध्यक्ष भी था । तब मैंने उर्दू साहित्य के श्रेष्ठ ग्रंथों का हिन्दी में लिप्यांतर कराया था । दूसरा, उर्दू में कंप्यूटर की शिक्षा के अनेक केन्द्र देश भर में खोले गये थे । मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना में वहां साइंस और गणित के अध्यापक सरकार की ओर से देने की योजना भी चलायी गयी थी । लेकिन अफ़सोस है कि भाषाओं को आपस में जोड़ने का माध्यम बनाने और एक रचनात्मक सांस्कृतिक दृष्टिकोण अपनाने की बजाय हम उन्हें राजनीति की विघटनकारी नीतियों के दलदल में फंसाते हैं ।

उर्दू की तरफ़ एक स्वस्थ दृष्टिकोण की आवश्यकता है । उसे मज़हब और राजनीति के दांव पेंचों से निकाल कर संस्कृति और साहित्य, ज्ञान-विज्ञान के धरातल पर विकसित करने और समझने की ज़रूरत है । भारत की बहुरंगी भाषाई छटा में उर्दू की भी चमक उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, न कि उर्दू को अलग-थलग रखने की कुंदज़ेहनी बरती जानी चाहिए । इसी उद्देश्य से केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रहते हुए मैंने उर्दू किताबों की प्रदर्शनी का आयोजन किया था । सुना है कि उर्दू लैंग्वेज प्रोमोशन कौंसिल वालों ने मुंबई में उर्दू अदब और उर्दू किताबों का एक मेला लगाया है । ऐसे मेले दिल्ली और लखनऊ जैसे शहरों में भी लगाने चाहिए ।

(नवभारत टाइम्स, 19 जनवरी 2012 ई॰)

'सदाकांक्षा' 2011

'सदाकांक्षा' (2011) का अगला अंक विभिन्न विधाओं पर केन्द्रित होगा। रचनाकार बन्धुओं से निवेदन है कि विभिन्न विधाओं पर अपनी पांच उत्कृष्ट रचनाएं संक्षिप्त जीवन परिचय के साथ 30 अप्रैल 2012 तक निम्नलिखित पते पर भिजवाने का कष्ट करें। 'सदाकांक्षा' के निरंतर प्रकाशन के लिए हमें आपका भरपूर सहयोग अपेक्षित है।

संपादक, 'सदाकांक्षा'
इस्लामी साहित्य संगम
2703, बारादरी, बल्लीमारान, दिल्ली-110006
ई-मेल : sadakanchha@gmail.com

अंधेरी राह और मैं

जिस जगह खड़ा हूं मैं,
यह दोराहा, तिराहा
या चौराहा नहीं है,
यहां से निकलती हैं अनगिनत राहें ।
हर राह पर है अंधेरा,
अंधेरा-ही-अंधेरा !
इनमें से कोई राह नहीं है मेरे लिए;
कहीं नहीं जाना है मुझे,
क्योंकि किसी भी राह पर
नहीं है मेरी मंज़िल ।
इसलिए मैं जला रहा हूं दीये
हर अंधेरी राह पर,
ताकि भटक न पाएं
इन राहों के राही ।
मेरे जलाये दीये की रोशनी से
पहुंच गया एक भी राही
अपने गंतव्य पर,
तो मैं समझूंगा
मिल गयी है मंज़िल मुझे ही ।
इसीलिए जला रहा हूं दीये
मैं हर अंधेरी राह पर ।

डॉ॰ रामनिवास 'मानव'
706, सेक्टर-13, हिसार-125005 (हरि॰)

कविता

आज्ञाकारी कविताएं

कविता मुस्कराती है, लजाती है,
मेरे पास आती है,
मेरे अंतर में डूबकर,
मेरे शब्दों का रूप धर,
अभिव्यक्ति के कैनवास पर फैल जाती है ।
याद आती हैं मुझे
मिड डे मील के लिए विद्यालय जाती कविताएं,
कुछ ढूंढ़ती हैं विद्यालयों में वे,
इधर-उधर,
शायद-कोई कैनवास, कोई कवि/कवयित्री,
पर नहीं मिलता उनका अभीष्ट,
हताश हो, वे कूदती हैं/दौड़ लगाती हैं,
कित्तकित्ता और कबड्डी खेलती हैं कविताएं,
और उदरस्थ हो आये/भ्रष्टाचार को
पचाकर,
वापस लौटती हैं विद्यालय से,
बौद्धिक रिक्तता के साथ,
आज्ञाकारी कविताएं ।

मुनाज़िर हक़
चतरा (झारखंड)

क्षणिकाएं

आश्वासनों की गंगा

नेताजी आजकल
आश्वासनों की गंगा
बहा रहे हैं
और लोग उसमें बख़ूबी
नहा रहे हैं ।

विरोधाभास

वे सच्चाई पर
निबंध लिखते दिख
रहे थे
रिश्वत में मिले पेन से
लिख रहे थे

पर्यावरण दिवस

पेड़ काटकर
मंच बनाया गया
पर्यावरण दिवस
मनाया गया ।

डॉ॰ शरद नारायण खरे
विभागाध्यक्ष इतिहास
शासकीय महिला महाविद्यालय, मंडला-481661 (म॰प्र॰)

तितलियों का अनोखा संसार

■ विद्या प्रकाश

बगीचों और क्यारियों में फूलों पर मंडराने वाली रंग-बिरंगी और सुन्दर पंखदार तितलियां देखने में तो आकर्षक होती ही हैं, वे परागण के माध्यम से नवीन पौधों के पनपने तथा बीजों के अंकुरण में भी सहायक होती हैं । इन तितलियों के जन्म तथा विकास की प्रक्रिया रोचक है और अंडे से वयस्क तितली बनने तक इस कीट को चार अवस्थाओं से गुज़रना पड़ता है । वनस्पति विज्ञान की भाषा में इस प्रक्रिया को मेटाफार्मोसिस (कायान्तरण) कहा जाता है । इस परिवर्तन-प्रक्रिया के प्रत्येक पड़ाव में उसके आकार, रंग तथा जैविक संरचना में बदलाव आ जाता है । वृक्षों तथा लताओं की हरी पत्तियों पर रेंगने वाले शिशु को देखकर व्यक्ति अंदाज़ा भी नहीं कर सकता कि एक दिन यह सुन्दर तितली की शक्ल में इन्द्रधनुषी पंख फड़फड़ाते हुए फूल पर मंडराएगा।

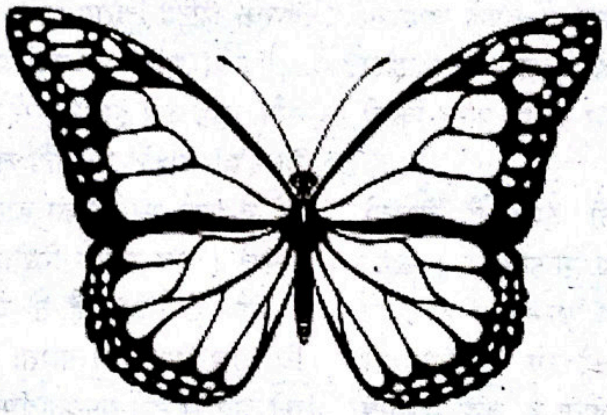

मादा तितली किसी ऐसे पौधे अथवा पेड़ पर अंडे देती है जिसकी पत्तियां उसके शिशु जिसे अंग्रेज़ी में कैटरपिलर तथा हिन्दी में इल्ली कहा जाता है, के लिए बढ़िया ख़ुराक साबित हो । कुछ समय के उपरांत कैटरपिलर अंडों से बाहर आ जाते हैं तथा फिर शुरू होता है उसका जीवन चक्र । अंडों से बाहर आने वाला कैटरपिलर बहुत भुक्खड़ होता है तथा हरी पत्तियों से भोजन ग्रहण कर बहुत तेज़ी से बढ़ता है । इसकी शारीरिक वृद्धि इतनी तेज़ी से होती है कि मोटापे से कैटरपिलर की त्वचा फट जाती है । त्वचा फटने से उसकी जान को कोई ख़तरा नहीं होता । क़ुदरत ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि बाल्यावस्था की बाहरी त्वचा के नीचे छिपी नवीन त्वचा सामने आ जाती है जिसमें उसके बढ़ते शरीर का भार तथा विस्तार संभालने की अधिक क्षमता पायी जाती है ।

प्रत्येक कैटरपिलर अपने चारों तरफ़ एक कठोर खोल जैसा बनाता है जिससे बॉटनी की शब्दावली में प्यूपा कहा जाता है । प्यूपा के अन्दर इसका शरीर अर्द्धठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है । प्यूपा अपने अन्दर उसके शरीर को किसी मज़बूत तिजोरी की तरह संभाले तथा बाह्य प्रभावों से बचाये रखता है ताकि इसमें होने वाले नवीन परिवर्तनों के दौरान वह किसी बाहरी नुक़सान और ख़तरों से पूरी तरह सुरक्षित रह सके ।

प्यूपा के भीतर मौजूद कीट का अर्द्धठोस शरीर क्रमशः तितली के रूप में परिवर्तित होने लगता है । जब प्यूपा के अन्दर मौजूद तितली इसे तोड़कर बाहर निकलती है तो उसके पंख काफ़ी नरम तथा सिकुड़े हुए होते हैं । सूरज की गर्मी में इसके पंख सूखकर फैल जाते हैं तथा मज़बूत भी हो जाया करते हैं । इसके कुछ ही घंटों के बाद एक नन्ही-सी तितली बगीचे में डाल-डाल पर मंडराने तथा पुष्पों के मकरन्द पान के लिए तैयार हो जाती है ।

मादा तितली अपने संपूर्ण जीवन काल में 50 हज़ार से अधिक अंडे देती है । एक फूल से दूसरे फूल तक उड़- उड़कर मकरन्द पान करने वाली तितलियां परागण में सहायक होती हैं । ये फूलों का मीण रस पान स्वाद के लिए नहीं करती । इससे उन्हें उड़ने के लिए आवश्यक शक्ति प्राप्त होती है । नन्ही-सी दिखने वाली तितली लंबी दूरी की उड़ान भरने में चैंपियन होती है । प्रति वर्ष सर्दी में अनुकूल मौसम तथा आहार की तलाश में मोनार्क बटर फ्लाई नामक तितली कनाडा से मैक्सिको तक लगभग 3500 किलोमीटर लंबी यात्रा पर निकल जाती है ।

वैसे तो तितली बहुत शरीफ़ तथा शांतिप्रिय होती है लेकिन इसकी एक क़िस्म पीकाक बटर फ्लाई शिकारी चिड़ियों में दहशत पैदा कर देती है । दरअस्ल जब कोई शिकारी चिड़िया इसे खाने की लालच में नज़दीक आती है तो वह अपने पंख फैला देती है जो दो ख़तरनाक घूरने वाली आंखों की तरह दिखते हैं ।

बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करें !

■ मिन कुमार रावल

बच्चे को सफल बनाने के लिए माता-पिता अथवा अभिभावकों द्वारा बच्चे में आत्म-सम्मान एवं आत्मविश्वास विकसित किया जाना आवश्यक है ।

हालांकि ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इन दोनों शब्दों के अर्थ बिल्कुल अलग-अलग हैं । जीवन में आत्म-सम्मान की बहुत अहमियत होती है और आत्म-विश्वास का अर्थ होता है कि किसी भी काम को कैसे भी किया जाए, चाहे वह तैरना हो या परीक्षा और साक्षात्कार देना । किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए अपने अन्दर आत्म-विश्वास का होना सबसे ज़रूरी है ।

आत्म-विश्वास एक नींव की तरह होता है जिस पर सफलता की इमारत बनती है । अगर आत्म-विश्वास नींव है तो आत्म-सम्मान धरती है, जिसमें यह नींव डाली जाती है । अगर किसी इमारत की नींव चट्टान में डाली जाए तो वह इमारत हर तरह के तूफ़ान को बड़ी आसानी से झेल लेती है, जबकि रेत में डाली हुई नींव पर बनी इमारत किसी भी तूफ़ान को नहीं झेल पाती ।

आत्म-सम्मान एक चट्टान की तरह है जिसमें आत्म-विश्वास की बुनियाद डाली जा सकती है । अगर आपका बच्चा स्वस्थ है तो केवल आत्म-सम्मान में ही इतना सामर्थ्य होता है कि वह आपके बच्चे को उम्र भर खुश रख सके । जिस व्यक्ति में आत्म-सम्मान होता है, वह आसानी से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है । हालांकि सुनने में यह भले ही परस्पर विरोधी लगे लेकिन जिस व्यक्ति में आत्म-सम्मान होता है, उसमें यह क्षमता होती है कि वह दूसरों की बातों को सुने, उससे सबक़ ले और साथ ही अपने कार्य पर भी ध्यान केन्द्रित करे । कुछ लोग आत्म-विश्वास की तुलना जादुई चिराग़ से भी करते हैं । वैसा जादुई चिराग़, जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है और जब बच्चा उस जादुई चिराग़ को पाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके रास्ते में अनेक बाधाएं आ जाती हैं और बाधाओं की इन दीवारों पर यही सब लिखा होता है, "तुम यह नहीं कर सकते !", "तुम्हें नहीं मालूम कि यह सब कैसे किया जाना चाहिए", "यह तुम्हें नहीं मिलना चाहिए" आदि-आदि ।

वैसे सुनने में आपको यह अटपटा भले ही लगे लेकिन सच तो यही है कि इनमें से अधिकांश दीवारें बच्चों के प्यारे माता-पिता द्वारा ही खड़ी की जाती हैं, न कि शिक्षकों अथवा दोस्तों द्वारा ।

बच्चों से बात करने के क्रम में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की असफलता की दीवार को सफलता में कैसे बदला जाए । सबसे पहले बच्चे के लिए लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए । फिर उसे पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि वह उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके । इस तरह आप असफलता की दीवार को गिरा सकते हैं ।

यदि माता-पिता चाहें तो अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं, उन्हें प्रेरित करके सोचने और कार्य करने की स्वतंत्रता देकर और उन्हें मान्यता देकर । जिस तरह हवा का एक तेज़ झोंका बेतर्तीब रखी ईंट की दीवार को बड़ी आसानी से गिरा सकता है, उसी तरह स्वतंत्र रूप से प्राप्त उपलब्धियां और मान्यताएं रास्ते की समस्याओं को दूर करके जादुई चिराग़ प्राप्त करने में बच्चे की मदद करती हैं ।

जब साल भर का बच्चा चलने की कोशिश करता है और आप उसे इस डर से नहीं चलने देते कि वह गिर जाएगा तो ऐसी स्थिति में आप बच्चे के सामने बाधा रूपी ईंट रख रहे हैं जिन पर लिखा होता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते । जब बच्चा गिरता है, उठता है, चलने की कोशिश में फिर से गिरता है तो ऐसे में वह अपने आप में आत्म-विश्वास विकसित करता है । इस क्रम में अगर उसकी मां की ओर से उसे मान्यता मिलती है तो यह उसके आत्मविश्वास के बढ़ने में और भी सहायक होता है । अगर बच्चे द्वारा किये गये कार्यों को मान्यता दी जाए तो इससे उसके आत्म-विश्वास को विकसित करने में मदद मिलती है ।

जब भी बच्चा कोई अच्छा काम करे तो यह ज़रूरी है कि आप बच्चे के उस कार्य को मान्यता देते हुए उसकी तारीफ़ ज़रूर करें । इससे भी बच्चे के भीतर आत्मविश्वास का विकास करने में काफ़ी मदद मिलती है ।

मुद्रक एवं प्रकाशक ख़लील अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट, गली क़ासिम जान, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से मुद्रित ।
फोन: 011-26949430
संपादक : डॉ० मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णत: प्रतिबंधित है ।

अल्लाह के
रसूल (सल्ल०) ने बताया :
अल्लाह तआला क़ियामत के दिन
एक आदमी से कहेगा, ऐ आदम के बेटे,
मैं बीमार पड़ा था, तू मेरी इयादत को नहीं आया ।
वह कहेगा, ऐ मेरे रब, कैसे तेरी इयादत को आता
और तू तो रब्बुल आलमीन है । अल्लाह कहेगा
क्या तुझे मालूम नहीं, मेरा फ़लां बन्दा बीमार
पड़ा था पर तू उसकी इयादत को नहीं गया ।
क्या तुझे मालूम न था अगर तू उसकी इयादत
को जाता तो मुझे उसके पास पाता ।
(हदीस)

Mohd. Zamir Sb.
Samak Sea Foods, Bunglow No. F-1,
Kalapathru Housing Co-Op. Society Ltd.
Aquem, Baixo, Margao, GOA

Posted on 20-21 February 2012
March 2012
E-mail: kantimonthly@hotmail.com
Publishing Date: 18.02.2011

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2012-2014
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2009-11

अल्लाह आकाशों और धरती का प्रकाश है । (क़ुरआन)

SAMIR KHAN **09890954240**

Let there Be Light

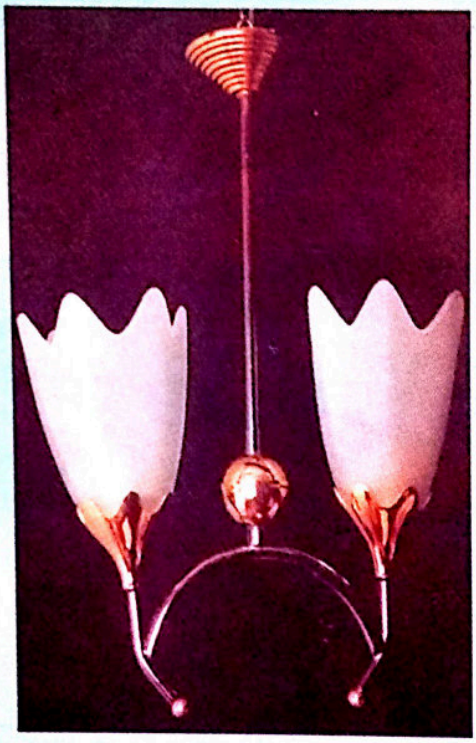

Let there Be Light

- ★ *CHANDELIERS*
- ★ *FIBER OPTICS*
- ★ *CEILING LAMPS*
- ★ *WALL LAMPS*
- ★ *PICTURE LIGHTS/*
- ★ *TRACK LIGHTS*
- ★ *TABLE LAMPS*
- ★ *FLOOR LAMPS*
- ★ *SPOT LIGHTS*
- ★ *GATE LIGHTS*
- ★ *OUTDOOR LIGHTS*
- ★ *UNDERWATER LIGHTS*
- ★ *PEDASTAL*

TAISIR
Enterprises

Next To Joao Menezes Pharmacy, Mapusa, Goa-403507
Tel. : 3226752, 2264813, Fax : 2262772
E-mail : taisirgoa@gmail.com